खण्ड-429, अंक-1
बुधवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(24 फरवरी, 1999 ई0)

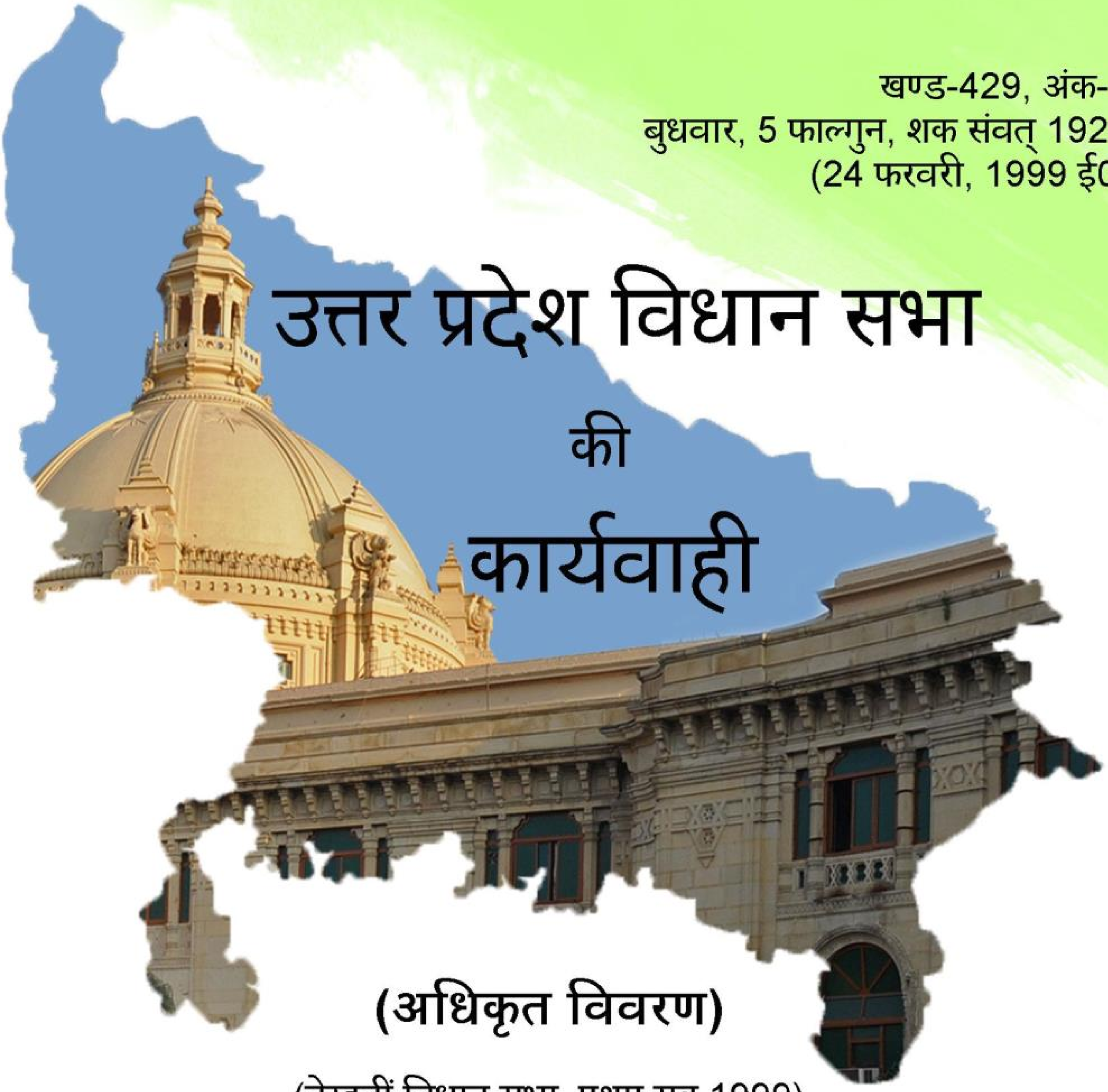

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 429 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय	पृष्ठ-संख्या
सरकार द्वारा सदन में की गई घोषणाओं तथा बजट में किये गये प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	105–106
प्रत्येक मा० सदस्य की संस्तुति पर 25 इण्डिया मार्का II हैण्ड पम्प लगाये जाने का आश्वासन दिये जाने के बावजूद हैण्डपम्प न लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	106–107
क्षेत्राधिकारी उरई द्वारा संविधान के अनुच्छेद 46 का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	107–108
समस्त प्रदेश में क्षेत्रीय संतुलन कायम न रखे जाने विषयक सूचना पर औचित्य का प्रश्न	108
उत्तर प्रदेश विनियोग (1998-99 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 (राज्यपाल महोदय के अनुमति की सूचना)	108
जनपद मथुरा के अपर कैनाल आगरा के कोसी रजबहा के मील नम्बर 23 व रेगुलेटर का निर्माण कराये जाने विषयक चौ० हरपाल सिंह की याचिका (प्रस्तुत की गई) ...	109
जनपद मथुरा के गोवर्धन में दानघाटी स्थित मुखारविन्दु मन्दिर तथा मानसी गंगा मन्दिर आदि को जनहित में अधिग्रहीत किये जाने विषयक श्री राधा रमन शर्मा की याचिका (उपस्थित की गई)	109
जनपद मथुरा के गोवर्धन मार्ग पर स्थित मथुरा स्कैप पर जनहित में पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री पृथ्वीराज कुमार पोइया की याचिका (उपस्थित की गई) ...	109
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	109–131
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	132–150
सचिवालय गेट के बाहर गोली काण्ड की घटना के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	150
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	150–160
उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1999 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	160–168
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	169
लखनऊ विश्वविद्यालय कैम्पस में बिना स्वीकृति के चल रहे कथित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों विशेषतः एम० एस० सी० (टेक०) फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्रों के साथ हुई धोखाधड़ी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर, नियम 51 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	170
जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत देहरा–धौलाना–गुलावटी मार्ग क्षतिग्रस्त होने तथा परम्मत कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, लोक निर्माण राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	171

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मुरादाबाद में अजुध्या शुगर मिल में कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि आवश्यक सुविधाएं न दिये जाने तथा बिना ग्रेच्युटी भुगतान किये श्रमिकों को सेवा निवृत्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री अकबर हुसैन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	171–173
प्रदेश में निरन्तर बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु कार्यक्रम में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी रखने तथा सभी धर्मों/वर्गों तथा जातियों पर सख्ती से जनसंख्या नियंत्रण का पालन करने हेतु कार्यक्रम चलाये जाने के सम्बन्ध में डा० रामबाबू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	173–175
नत्थी	176

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

58-कमलेश कुमार सिंह, श्री — बलरामपुर
59-कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
60-कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री — सहारनपुर
61-काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
62-काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री — हरिद्वार
63-काशिम हसन, श्री — फतेहपुर
64-काशीनाथ, श्री — सुल्तानपुर
65-किशन लाल बघेल, सेठ — आगरा
66-कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
67-कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री — पिथौरागढ़
68-कृष्ण पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
69-कृष्णा राज, श्रीमती — खीरी
70-केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली
71-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
72-केशो मेहरा, श्री — आगरा
73-के० सी० सिंह "बाबा", श्री — उधम सिंह नगर
74-कैलाश, श्री — गाजीपुर
75-कैलाश सिंह राजपूत, श्री — फर्रुखाबाद
76-कौकब हमीद, श्री — मेरठ
77-कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
78-कौशल किशोर, डा० — खीरी
79-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
80-गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
81-गंगा सिंह चौहान, श्री — हरदोई
82-गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री — मेरठ
83-गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
84-गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
85-गोपाल कृष्ण, श्री — पीलीभीत
86-गोमती यादव, श्री — लखनऊ
87-गोरखनाथ पाण्डेय, श्री — भदोही
88-गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
89-गौरी शंकर (एडवोकेट), श्री — लखनऊ
90-चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
91-चन्द्र नाथ सिंह, श्री — प्रतापगढ़
92-चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
93-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
94-चन्द्रेश पासवान, श्री — गोरखपुर
95-चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
96-चौधरी बाबूलाल, श्री — आगरा
97-छब्बू पटेल, श्री — वाराणसी
98-छोटे लाल वर्मा, डा० — महोबा
99-छोटे लाल, श्री — हरदोई
100-छोटे लाल गंगवार, मास्टर — बरेली
101-छोटे लाल राजभर, श्री — बलिया
102-छोटे सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
103-जगपाल, श्री — सहारनपुर
104-जगत पाल सिंह, मेजर — मुरादाबाद
105-जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
106-जगदीश नारायण राय, श्री — जौनपुर
107-जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
108-जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
109-जटा शंकर, श्री — बहराइच
110-जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
111-जय नारायन तिवारी, श्री — सुल्तानपुर
112-जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
113-जय प्रकाश, श्री — गाजियाबाद
114-जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
115-जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
116-जयवीर सिंह भदौरिया, श्री — इटावा
117-जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री — गोरखपुर
118-जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
119-ज्ञान चन्द्र, श्री — उत्तरकाशी
120-ज्ञानवती सिंह, डा० — अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

185–बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
186–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
187–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
188–बावन सिंह, श्री — गोण्डा
189–बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फर नगर
190–बिन्दु लाल, श्री — गोण्डा
191–बिहारी लाल आर्य, श्री — झांसी
192–बी० आर० वर्मा, श्री — जौनपुर
193–बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री — सीतापुर
194–बेचन राम, श्री — गोरखपुर
195–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
196–भगवती प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
197–भगवान सिंह शाक्य, श्री — बदायूं
198–भरत सिंह, श्री — बलिया
199–भाई लाल, श्री — मिर्जापुर
200–भारत सिंह रावत, श्री — गढ़वाल
201–भीम प्रसाद सोनकर, श्री — अम्बेडकर नगर
202–भोनू, श्री — गाजीपुर
203–भोला शंकर मौर्य, श्री — बदायूं
204–मंगल सिंह सैनी, श्री — मुरादाबाद
205–मंजू, श्रीमती — बलिया
206–मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
207–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — इलाहाबाद
208–मथुरा प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
209–मलखान सिंह, श्री — अलीगढ़
210–मस्तराम, श्री — उन्नाव
211–महराज सिंह यादव, श्री — इटावा
212–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
213–महेन्द्र कुमार, श्री — बुलन्दशहर
214–महेन्द्र कुमार, श्री — सीतापुर
215–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० — वाराणसी
216–महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
217–महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
218–मानवर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
219–मानिक चन्द्र यादव, श्री — मैनपुरी
220–माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
221–मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
222–मिथिलेश कुमारी, श्रीमती — एटा
223–मुख्तार अन्सारी, श्री — मऊ
224–मुन्ना चौहान, श्री — देहरादून
225–मुन्ना लाल मौर्य, श्री — फतेहपुर
226–मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
227–मुराद लारी, श्री — देवरिया
228–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
229–मुस्लिम, डा० — रायबरेली
230–मुहर सिंह अम्बाडी, श्री — इटावा
231–मूल चन्द, श्री — बिजनौर
232–मोती लाल, श्री — खीरी
233–मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री — गढ़वाल
234–मोहम्मद मुकीम, श्री — सिद्धार्थनगर
235–यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
236–यशवन्त, श्री — आजमगढ़
237–योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
238–योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री — देवरिया
239–रंगनाथ मिश्र, श्री — भदोही
240–रंग बहादुर पटेल, श्री — इलाहाबाद
241–रघुनाथ सिंह चौहान, श्री — अल्मोड़ा
242–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर — प्रतापगढ़
243–रघुवर दयाल वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
244–रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
245–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
246–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
247–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० — गढ़वाल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

248–रमेश राही, श्री सीतापुर
249–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो० मेरठ
250–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
251–रवीन्द्र शुक्ला, श्री झांसी
252–राकेश त्यागी, श्री बुलन्दशहर
253–राकेश धर त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
254–राजेश सोनकर, श्री कानपुर नगर,
255–राजधारी, श्री बलिया
256–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
257–राजपाल सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
258–राज राय सिंह, श्रीमती पीलीभीत
259–राजा गज़नफर अली खां, श्री बिजनौर
260–राजा राम पाण्डेय, श्री प्रतापगढ़
261–राजा राम पाल, श्री कानपुर देहात
262–राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
263–राजेन्द्र, श्री गाजीपुर
264–राजेन्द्र प्रताप सिंह
उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
265–राजेन्द्र सिंह, श्री देहरादून
266–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
267–राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
268–राजेश कुमार सिंह, श्री मुरादाबाद
269–राधेश्याम, श्री कानपुर देहात
270–राधेश्याम गुप्त, श्री फतेहपुर
271–राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
272–राधेश्याम सिंह, श्री पडरौना
273–राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
274–राम अवतार मिश्रा, श्री शाहजहांपुर
275–राम आसरे पासवान, श्री बस्ती
276–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० कानपुर नगर
277–राम औतार शाक्य, श्री मैनपुरी
278–राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
279–राम खिलाड़ी, श्री बदायूं
280–राम चन्द्र मौर्य, श्री मिर्जापुर
281–रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
282–रामजग, श्री आजमगढ़
283–रामतेज यादव, एडवोकेट बहराइच
284–राम नक्षत्र, श्री पडरौना
285–राम नरेश रावत, श्री गाजियाबाद
286–राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
287–रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
288–रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
289–रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
290–राम पाल सिंह, श्री गोण्डा
291–राम प्यारे सिंह, श्री आजमगढ़
292–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
293–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
294–राम बाबू हरित, श्री आगरा
295–राम रतन यादव, श्री सुल्तानपुर
296–राम लखन, श्री सुल्तानपुर
297–राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
298–राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
299–रामवीर उपाध्याय, श्री अलीगढ़
300–रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
301–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
302–राम सखी, श्रीमती अलीगढ़
303–राम सिंह, डा० अलीगढ़
304–राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
305–राम सिंह सैनी, श्री हरिद्वार
306–राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
307–राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
308–राम स्वरूप शर्मा, श्री मथुरा
309–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
310–राम हर्ष सिंह, श्री सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

311–रामाधार सिंह, श्री — हमीरपुर
312–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री — मैनपुरी
313–रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
314–रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री — मुरादाबाद
315–रूप चौधरी, श्री — मेरठ
316–रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि", कुंवर — इलाहाबाद
317–लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, डा० — मेरठ
318–लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री — मथुरा
319–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
320–लवकुश कुमार, श्री — बिजनौर
321–लाखी राम जोशी, श्री — टिहरी गढ़वाल
322–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
323–लाल जी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
324–लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
325–लाल सिंह वर्मा, श्री — इटावा
326–लोकपति त्रिपाठी, श्री — मिर्जापुर
327–वकार अहमद शाह, डा० — बहराइच
328–वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
329–बहोरन लाल मौर्य, श्री — बरेली
330–विक्रमाजीत मौर्य, श्री — इलाहाबाद
331–विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
332–विजय कुमार, श्री — गाजीपुर
333–विजय पाल सिंह, श्री — आगरा
334–विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
335–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
336–विद्या सागर, गुप्ता, श्री — लखनऊ
337–विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री — गोण्डा
338–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
339–विनोद मणि, श्री — महराजगंज
340–विभूति प्रसाद निषाद, श्री — आजमगढ़
341–विरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
342–विरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
343–विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
344–विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
345–विशन सिंह चुफाल, श्री — पिथौरागढ़
346–विश्म्भर सिंह, श्री — मथुरा
347–विश्वनाथ, श्री — पडरौना
348–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री — शाहजहांपुर
349–वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री — एटा
350–वेद प्रकाश, श्री — बस्ती
351–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० — बिजनौर
352–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
353–शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
354–शिव गणेश लोधी, एडवोकेट — रायबरेली
355–शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
356–शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
357–शिव पूजन राम, श्री — वाराणसी
358–शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
359–शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
360–शिव शंकर, श्री — बांदा
361–शिव सिंह चक, श्री — फिरोजाबाद
362–शिवाकान्त, श्री — प्रतापगढ़
363–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
364–शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
365–शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकर नगर
366–श्याम किशोर यादव, श्री — लखनऊ
367–श्यामदेव राय चौधरी, (दादा), श्री — वाराणसी
368–श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
369–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
370–श्याम सुन्दर, श्री — रायबरेली
371–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महामहिम राज्यपाल

श्री सूरजभान

मंत्रि-परिषद्

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	श्री कल्याण सिंह (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, न्याय, विधायी, राज्य सम्पत्ति, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास एवं प्रोटोकाल ।
2	श्री कलराज मिश्र	लोक निर्माण, पर्यटन
3	श्री लालजी टण्डन	आवास, नगर विकास
4	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, गन्ना विकास
5	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण ।
6	श्री नरेश अग्रवाल	ऊर्जा
7	श्री दिवाकर विक्रम सिंह	कृषि
8	डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा
9	श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह	ग्राम्य विकास
10	श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
11	श्री मारकण्डेय चन्द	लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण ।
12	श्री रघुवर दयाल वर्मा	वन
13	डा० नैपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा, भाषा
14	श्री सूर्य प्रताप शाही	आबकारी
15	श्री राम कुमार वर्मा	सहकारिता

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं० नाम	विभाग या विषय
12 श्री राम आसरे कुशवाहा	अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण
13 श्री लल्लू सिंह चौहान	ऊर्जा
14 श्री वीरेन्द्र सिंह	ऊर्जा
15 श्री भगवान सिंह शाक्य	कृषि
16 श्री संग्राम सिंह	कृषि
17 श्री राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा
18 श्री यशवन्त सिंह	प्राविधिक शिक्षा
19 श्री शिवेन्द्र सिंह	ग्राम्य विकास
20 श्री बंश नारायण सिंह पटेल	ग्राम्य विकास
21 डा० अरविन्द कुमार जैन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
22 श्री राम आसरे पासवान	लघु सिंचाई
23 श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	ग्रामीण अभियंत्रण
24 श्री गंगा बख्श सिंह	वन
25 श्री चन्द्र किशोर	माध्यमिक शिक्षा
26 श्री विक्रमाजीत मौर्य	आबकारी
27 श्री रामचन्द्र बाल्मीकि	सहकारिता
28 श्रीमती गुलाब देवी	महिला कल्याण
29 श्री वेद प्रकाश	श्रम
30 श्री प्रेम प्रकाश सिंह	वस्त्रोद्योग
31 श्री बिहारी लाल आर्य	लघु उद्योग
32 श्री राकेश त्यागी	पंजीयन
33 श्री हरि नारायण राजभर	कारागार
34 श्री विवेक कुमार सिंह	पर्यावरण
35 श्री रामपाल राजवंशी	अतिरिक्त ऊर्जा
36 श्री शिव शंकर सिंह	राजस्व
37 श्री सतीश शर्मा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
38 श्री श्रीराम सोनकर	राष्ट्रीय एकीकरण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

1–अजय राय, श्री	वाराणसी
2–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
3–अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
4–अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
5–अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
6–अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
7–अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
8–अशफाक अहमद, श्री	बरेली
9–अशोक कुमार, श्री	जौनपुर
10–अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
11–आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना
12–उदय राज यादव, श्री	उन्नाव
13–उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
14–उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
15–ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
16–ओंकार सिंह, श्री	एटा
17–ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
18–कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
19–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
20–किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
21–कैलाश, श्री	गाजीपुर
22–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
23–गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
24–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
25–छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
26–जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
27–जटा शंकर, श्री	बहराइच
28–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
29–जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
30–जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
31–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
32–तिलकराज बेहड़, श्री	उधम सिंह नगर
33–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
34–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
35–देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
36–धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
37–धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
38–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
39–निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
40–''पटेल'' रामकुमार वर्मा, श्री	खीरी
41–परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
42–पूरन सिंह, बुन्देला, श्री	ललितपुर
43–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
44–बच्चा पाठक, श्री	बलिया
45–बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फर नगर
46–मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
47–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
48–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
49–मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
50–मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
51–मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
52–मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
53–रंग बहादुर पटेल, श्री	इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

54–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० गढ़वाल
55–रमेश राही, श्री सीतापुर
56–रवीन्द्र शुक्ला, श्री झांसी
57–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० कानपुर नगर
58–राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
59–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
60–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
61–राम स्वरूप शर्मा, श्री मथुरा
62–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
63–लालमणि प्रसाद, श्री बस्ती
64–लोकपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
65–वकार अहमद शाह, डा० बहराइच
66–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
67–विनोद कुमार सिंह
उर्फ पंडित सिंह, श्री गोण्डा
68–विरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
69–विश्वनाथ, श्री पडरौना
70–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० बिजनौर
71–शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
72–शिव पाल सिंह यादव, इटावा
73–संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
74–संजय सिंह, श्री मुजफ्फर नगर
75–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 1999

(सदन की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा कराने की मांग

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर अनेक सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है । दिन दहाड़े हत्यायें हो रही हैं । एक सिपाही की हत्या हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम–56 में आयी है, कृपया बैठ जायं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इस लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर चर्चा कराने का कष्ट करें । पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो रही है । आज कोई सुरक्षित नहीं है कब किसको गोली मार दी जाय । कहा नहीं जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

जिस विषय को आप उठा रहे हैं उस विषय पर नियम–56 में सूचना आयी है और वह सूचना शलाका में आ गयी है । जब कार्य-स्थगन का प्रस्ताव आयेगा तो सुन लेंगे ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों के नकदीकरण, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों को सामान्य भविष्य निधि में डालने सम्बन्धी शासन की नीति की जानकारी

**1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के नकदीकरण, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों को सामान्य भविष्य निधि में डाला जा रहा है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार उक्त नीति को बदलने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के नकदीकरण की धनराशि राज्य की विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल दिनांक 31-3-99 तक सामान्य भविष्य निधि में जमा की जा रही है ।

दिनांक 1 जुलाई, 1998 से देय अतिरिक्त महंगाई भत्ते की दिनांक 30 नवम्बर, 1998 तक की अवशेष धनराशि पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत ही सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की गई है । दिनांक 1-12-98 से जिसका भुगतान 1-1-99 को देय था, मंहगाई भत्ता नकद भुगतान किया जा रहा है । अन्य कोई भत्ते सामान्य भविष्य निधि में जमा नहीं हो रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारियों की भविष्य निधि में उनका नकदीकरण जमा किया जा रहा है । प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है इसके लिये न तो कर्मचारी दोषी हैं और न जनता दोषी है । यह सरकार का दोष है । मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कैटेगराइज नहीं किया गया है । क्लाश–1-2-3-4 का कितना धन नकदीकरण में जमा किया गया है ? क्लाश–1-2 का नकदीकरण खत्म कर दिया गया है । 31 मार्च के बाद कैश पेमेन्ट करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि 31 मार्च के बाद पेमेन्ट करने के लिये इसी सत्र के दौरान कोई जी०ओ० जारी करने की घोषणा करेंगे ?

* श्री हुकुम सिंह–

इसमें कोई जी० ओ० जारी करने की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है । बाद में जैसी परिस्थिति होगी वैसी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल 31-3-99 तक सामान्य भविष्य निधि में पैसा जमा किया जा रहा है । अगर सरकार के पास पैसा था तो नकद क्यों नहीं दिया गया । भविष्य निधि में क्यों जमा किया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जमा वह किया गया है जो नकदीकरण के रूप में दिया था ।

श्री अम्बरीष कुमार–

अगर धन नहीं है तो आपने जमा नहीं किया है । यह आई०पी०सी० की धारा 406 के अन्तर्गत अपराध है । अगर नियोजक कर्मचारियों की भविष्य निधि का पैसा जमा नहीं करता तो आई०पी०सी० की धारा 406 का उल्लंघन है । अगर सरकार यह कार्य कर रही है तो नियोजक यदि जमा नहीं करेगा तो उसको कैसे दण्डित किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

406 आई०पी०सी० इस पर लागू नहीं हो पायेगी ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

आपके माध्यम से मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी अपना यह पैसा जो जमा करते हैं जब आज उनकी लड़की की शादी करनी होती है तो वह भविष्य निधि से पैसा निकाल नहीं सकते हैं । यह बहुत कठोर व्यवस्था है । आदमी अपने पैसे जो जमा करता है उसको भी आवश्यकता पड़ने पर नहीं निकाल सकता है तो यह जो कठोर व्यवस्था की गयी है इसको खत्म करके पूर्व की भांति व्यवस्था लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में दो बाते हैं नकदीकरण की राशि भविष्य निधि में क्यों जा रही है इसके बारे में और भविष्य निधि के बारे में विस्तार से कल चर्चा हो गयी है । संभवतः आप थे नहीं ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह नकदीकरण सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं मिलता है । बल्कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को इसकी सुविधा है । इस वित्तीय वर्ष को छोड़कर किसी अन्य वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के नकदीकरण को भविष्य निधि खाते में जमा किया गया है या केवल इसी वित्तीय वर्ष में सरकार ने कर्मचारियों के नकदीकरण का पैसा भविष्य निधि में जमा किया है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि 1-1-99 से पूर्व इन चारों वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को नकदीकरण की सुविधा थी । 1-1-99 से समूह "क" तथा "ख" के लिये सुविधा बन्द कर दी गयी । "ग" और "घ" को यह सुविधा मिल रही है । यह उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को विशेष सुविधा थी और उस समय दी गयी थी जिस समय केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के वेतन में अन्तर था । अब वेतनमानों में एक रूपता हो गयी है । तो यह जो एक अतिरिक्त सुविधा थी । विषम परिस्थितियों में जी० पी० एफ० में धन जमा किया जा रहा है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो नकदीकरण को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जा रहा है तो इस आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिये क्या सरकार कोई चिन्तन करना चाहती है ? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि नकदीकरण की राशि भविष्य निधि में जमा न हो ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया कि एक जुलाई, 98 से देय मंहगाई भत्ते की राशि जो 30 नवम्बर, 1998 तक की अवधि की थी उसको भविष्य निधि खाते में जमा किया गया है । 31-3-99 तक फिलहाल यही स्थिति है उसके बाद जैसी स्थिति होगी वैसा काम किया जायेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, कृपया देखें इसमें लिखा हुआ है कि फिलहाल 31-3-99 तक सामान्य भविष्य निधि में जमा की जा रही है तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार 31-3-99 के बाद अर्जित अवकाश को कैश पेमेन्ट करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ गया है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं । 31-3-99 क्यों लिखा है इसका आशय क्या है ? यह कथनी और करनी में अन्तर करके कर्मचारियों का शोषण करना है । 31-3-99 नहीं लिखना चाहिए । तो यह स्पष्ट कर दें कि क्या 31-3-99 के बाद उस नकदीकरण की सविधा जो मिलती थी उसको प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वर्तमान में सरकार का निर्णय 31-3-99 तक है । इसके बाद जिस तरीके की परिस्थिति होगी उसको दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया जायेगा ।

केन्द्र सरकार द्वारा शहरी भूमि हदबन्दी कानून को रद्द किये जाने के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त कानून को रद्द किये जाने पर विचार की जानकारी

**2-श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शहरी भूमि हदबन्दी कानून को केन्द्र सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार भी राज्य में शहरी भूमि हदबन्दी कानून को रद्द करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

जी हां । भारत सरकार द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 को दिनांक 11 जनवरी, 1999 के अध्यादेश के माध्यम से निरसित कर दिया है ।

प्रदेश सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, प्रस्तुत प्रश्न व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ प्रश्न है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब 1976 में प्रश्नगत एक्ट लागू किया गया था और उसके पीछे जो लक्ष्य और उद्देश्य था सरकार क्या यह मानती है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी वह लक्ष्य की पूर्ति संभव हो पायी है अथवा नहीं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से इस एक्ट को निरसित किये हुए एक महीना से ऊपर बीत गया है तो क्या प्रदेश सरकार ने अपने मंत्रि-परिषद् में इसको समाप्त करने का कोई निर्णय लिया है अथवा नहीं ? तीसरी मैं यह जानना चाहता हूं कि विभाग को समाप्त करने के बाद, इस एक्ट के निरसित करने के बाद, इस विभाग में कितने कर्मचारी/अधिकारी हैं उनका भविष्य क्या होगा ? वह छांट दिये जायेंगे अथवा अन्य विभागों में उनका समायोजन किया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, 1976 में जब यह अधिनियम बनाया गया था तो उसके कुछ एक उद्देश्य थे । इसमें पहला उद्देश्य यह था कि कुछ एक व्यक्ति के हाथों में नगरीय भूमि के स्वामित्व के केन्द्रीयकरण को रोकना तथा नगरीय भूमि के हस्तान्तरण में सट्टेबाजी अथवा मुनाफाखोरी को रोकना, दूसरा यह है कि नगरीय भूमि के समाजीकरण द्वारा सामूहिक हित के लिए भूमि का समतापूर्ण वितरण, तीसरा यह है कि विलासिता पूर्ण आवास को हतोत्साहित करना और चौथा यह है कि व्यवस्थित नगरीयकरण करना । यह समीक्षा के बाद कि इसमें कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई तो कुछ राज्यों ने मांग की कि केन्द्रीय सरकार से इसका निरसन किया जाय । भारत सरकार ने इसका निरसन कर दिया । दो राज्यों ने इसका समर्थन किया । इसमें यह व्यवस्था है कि अन्य राज्य चाहें तो लागू रखें, चाहें तो निरसन रखें । उत्तर प्रदेश मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया है कि जैसा भारत सरकार ने निरसन कर लिया है उसी रूप में निरसन यहां भी कर दें । विधान मण्डल को अंगीकृत करना है ।

श्री अध्यक्ष–

तीसरा जो उन्होंने पूछा है कि कर्मचारियों/अधिकारियों का सामायोजन कैसे होगा वह भी बता दें ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, यह तो आवास का, जो विभाग का एक हिस्सा है । यह तो कानून खत्म हो रहा है । उस विभाग में लगे हुए कर्मचारी जो हैं उन्हें नियमानुसार जो होगा वह किया जायेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है अरबन सिलिंग का अलग विभाग है आवास विभाग में तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तो नियमानुसार वह विभाग तो समाप्त हो गया है तो वह भी अपने आप समाप्त हो जायेगा तो वहां पर जो लगे हुए कर्मचारी या अधिकारी हैं क्या उन्हें आवास विभाग में शामिल किया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, पहले यह सदन उसे अंगीकृत करे फिर विस्तार से इस पर विचार किया जायेगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, क्या इसी सत्र में नियम 52 में एडाप्ट करने पर विचार करेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मैंने कहा कि यह सदन अंगीकृत करे, सदन चल रहा है । प्रयास है कि इसमें आ जाये ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, आप हमारे तो संरक्षक हैं ही, उत्तर प्रदेश की जनता के भी संरक्षक हैं । कर्मचारियों के भी संरक्षक हैं । हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं । समायोजित करने पर आपको निर्णय करना है । सरकार क्या निर्णय करेगी ? यह बतायें ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, पहले सदन अंगीकृत करे उसके होने के बाद इसका निरसन हो जायेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अगर यह विभाग समाप्त होगा तो हजारों कर्मचारी प्रभावित होंगे । वर्षों तक जिन्होंने इसमें सेवा की है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी निकालने की कोई बात है नहीं ।

शासन की नीति तो आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, पहले तो सदन को अंगीकृत करना है । अंगीकृत हो जायेगा तो कार्यान्वयन के बारे में विचार होगा तब कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेंगे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए विशेष कार्य योजना की रूपरेखा की जानकारी

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को कम करने के लिये सरकार कोई विशेष कार्य योजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को कम करने के लिए प्रदेश में निम्न ग्रामीण पेयजल योजनायें चलायी जा रही हैं :–

1–ग्रामीण जल संपूर्ति न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (जिला योजना) ।

2–अनु० जाति/जनजाति पेयजल योजना ।

3–गुणता प्रभावित कार्यक्रम ।

4–त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति ।

5–इंडोडच कार्यक्रम वाह्य सहायतित ।

6–विश्व बैंक पोषित स्वजल योजना ।

समस्त ग्रामीण बस्तियों को शुद्ध पेयजल से नवम् पंचवर्षीय योजना काल में मानक के अनुसार संतृप्त करने की योजना है ।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु शासन द्वारा योजनाबद्ध ढंग से प्रयास किया जा रहा है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चहता हूं कि आपने जिस योजना के बारे में बताया तो वह कौन सी ऐसी योजनाएं ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में होंगी और उनके रख-रखाव की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो हैण्ड पम्प के अनुरक्षण का कार्य ग्राम पंचायतों के सुपुर्द किया जा रहा है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, प्रदेश के किन-किन जिलों में इन योजनाओं को लागू किया जा रहा है और कब से लागू किया जा रहा है ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम लागू है और प्रदेश की सभी 2 लाख 74 हजार जो चिन्हित बस्तियां हैं, उनमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री भरत सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न में यह पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को कम करने के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनायी जा रही है और उत्तर आया है कि निम्न कार्ययोजनाएं चलायी जा रही हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप इन चल रही योजनाओं के पश्चात् क्या यह अनुभव कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या हल हो गयी है यदि नहीं तो इसके लिए विशेष कार्य योजना क्या बनायी जा रही है और क्या बनी है ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक पेयजल की समस्या का प्रश्न है यह तो अनवरत है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसी हिसाब से इसकी व्यवस्था की जायेगी। लेकिन वर्तमान में हमारा लक्ष्य है कि सन् 2000 तक उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गांव कोई ऐसी बस्ती न रह जाय जहां पर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता न हो सके, यह प्रयास है।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्पों का रखरखाव ग्राम पंचायतों को सौंपने जा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं को क्या आर्थिक संसाधन दिये गये हैं जिससे वह उन हैण्ड पम्पों का रखरखाव करेंगे ? जैसे हैण्ड पम्प को रिबोर करना है, कोई हैण्ड पम्प खराब है, मिस्त्री की जरूरत है तो गांव सभाओं को कोई आर्थिक संसाधन देंगे ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अभी 100 रुपया प्रति हैण्ड पम्प के हिसाब से रखरखाव के लिए ग्राम पंचायतों को देने का निर्णय किया गया है।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह 100 रुपया महीना देंगे या साल में देंगे तो यह कैसे पूरा होगा, यह हैण्ड पम्प कैसे चल पायेंगे ?

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, 100 रुपये में तो एक मिस्त्री भी नहीं मिलेगा एक वासर भी नहीं मिलेगा।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सन् 2000 तक उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या का निराकरण कर लिया जायेगा तो इसमें मात्र पौने दो साल बचे हैं तो इन पौने दो वर्षों में उत्तर प्रदेश की पेयजल की समस्या के मामले में उत्तर प्रदेश संतृप्त कर लिया जायेगा कैसे युद्ध स्तर पर कार्य होगा तो उस पेयजल योजना के कार्यक्रम की जानकारी माननीय मंत्री जी दे दें ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बताया कि यह जो योजनाएं या कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उन्हीं के तहत जो 2 लाख 74 हजार बस्तियां चिन्हित की गयी हैं वैसे तो प्रदेश में 1 लाख 12 हजार गांव हैं लेकिन पेयजल की शुद्धता के लिए इन 2 लाख 74 हजार बस्तियों में विभिन्न योजनाओं के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

श्री राजा राम पाल–

मान्ययवर, पूरे प्रदेश में तमाम ऐसी गांव पंचायतें हैं जहां पर सरकारी ड्यूबवेल से टंकी से पानी सप्लाई होता है और उसकी पाइप लाइन फट जाने के कारण तमाम गांव पानी से वंचित रह जाते हैं और उन्हीं टंकियों के कारण हैण्ड पम्प भी नहीं लगाये जा रहे हैं तो क्या ऐसे गांव का सर्वे कराकर जहां पानी की टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है, हैण्ड पम्प से पानी की सुविधा देने की व्यवस्था करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह सही है कि बहुत जगह पानी की टंकियां हैं उनसे पानी नहीं जा रहा है उन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैण्ड पम्प की व्यवस्था की जा रही है यदि माननीय सदस्य कुछ स्पेसिफिक गांव के नाम देंगे तो हम उसे दिखवा लेंगे ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, हैण्ड पम्प के द्वारा जो पानी जनता को मिलता है क्या वह स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक तो नहीं है क्या इसको दिखवाने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी जांच करायी जाती है अगर कहीं से कोई शिकायत आती है कि शुद्ध पेयजल नहीं उपलब्ध हो रहा है, पानी ठीक नहीं है तो उसको ठीक करा दिया जाता है और व्यवस्थित करा दिया जाता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि 2 लाख 74 हजार ऐसे मजरे हैं जिनको चिन्हित किया गया है (व्यवधान) इसमें यह है कि जहां यह दिखाया गया है कि पेयजल की व्यवस्था नहीं है तो वहां 4-4 हैण्ड पम्प लगे हैं और जहां यह दिखाया गया है कि पेयजल की व्यवस्था है वहां एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सर्वेक्षण को दुबारा करवा करके धरातल पर वास्तविकता क्या है इसकी कोई योजना बनायेंगे या कोई आश्वासन देंगे कि जहां पर हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं वहां लगें और जहां लगे हैं उसको सूची से बाहर कर दिया जाए ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय डंग जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है यह सर्वेक्षण जो हुआ था 91-93 के बीच हुआ था । यह भी सही है कि गांव में एक तरफ तो बहुत-बहुत हैण्ड पम्प लग गये हैं और दूसरी बस्ती में हैण्ड पम्प नहीं लगा । इधर मैंने यह व्यवस्था की है कि पूरे गांव का एक नक्शा बनाया जाए और मानक यह है कि 250 की आबादी पर एक हैण्ड पम्प हो, मानक के अनुसार जहां पर व्यवस्था नहीं है वहां पर व्यवस्था की जायेगी ऐसा मैंने निर्देश दिया है और ऐसा भी नहीं है तो एक बात डंग जी के प्रश्न के आगे बढ़कर बताना चाहता हूं कि अभी तक अनुसूचित जाति की बस्तियों में जो हैण्ड पम्प लगते थे तो उसमें जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई छूता नहीं है उन लोगों के पीने के पानी की कठिनाई होती थी मैंने यह कहा है कि जो समाज के महा दलित लोग हैं इस वर्ग के लोग हैं उनकी बस्तियों के पास हैण्ड पम्प लगाये जायें ताकि उनको भी पीने का पानी उपलब्ध हो सके ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि सर्वेक्षण कराकर उसके हिसाब से हैण्ड पाइप लगाये जो 250 की जनसंख्या का मानक मानकर लगाया गया है उसमें कठिनाई हो रही है मानक के हिसाब से तो उस गांव में हैंण्डपम्प लगा दिये गये लेकिन किसी बस्ती में लगे ही नहीं । सरकार की सारी सदाश्यता के बावजूद

जो पहले की सूची बनी है, शासनादेश किया है उसको रद्द करके नई सूची बनाये और जनप्रतिनिधियों से पूछ करके तब लगवायें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी क्या सर्वेक्षण कराकर इस बात का सत्यापन करने की कोई योजना सरकार के पास है कि जो स्थान दर्शाये गये हैं वहां पर हैण्ड पम्प लगे हैं या नहीं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष जी मैं समझता हूं कि पेयजल एक अनिवार्य आवश्यकता है और उस पर माननीय सदस्यों की जिज्ञासा स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए । मैंने यह निवेदन किया कि अभी तक 1,12,000 गांवों को चिन्हित किया गया, हम 2,74,000 गांवों बस्तियों को चिन्हित कर रहे हैं । मैं सम्मानित सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि अभी भी कुछ गांव और क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है । हमने इसीलिए गांवों में एक नक्शा बनाकर जहां पर 250 की आबादी पूरी होती है वहां पर एक हैण्डपम्प जरूर स्थापित की जाय । अभी तक 250 की आबादी पर एक हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था की गयी थी जहां पर व्यवस्था नहीं होगी, अगर माननीय सदस्यगण कहीं अवगत करायेंगे तो उसको दिखवा लेंगे । माननीय सदस्यों को इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि पेयजल की व्यवस्था पूरी तरह से किया जायेगा । जहां तक डंग साहब ने सर्वेक्षण की बात कही है यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । अभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है लेकिन चिन्हित किया जा रहा है । पुरानी सूची रद्द करने का सवाल नहीं है लेकिन अगर नये सुझाव आयेंगे तो उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है ।

श्री जगदीश सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र सहारनपुर जनपद में पड़ता है जिसके एक ओर पश्चिम में यमुना नदी है, पूर्व में गंगा है । शिवालिक की पहाड़ी में 180 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है । पेयजल योजना है लेकिन बिजली न आने के कारण पानी की समस्या बनी रहती है । लोग ट्रैक्टर–ट्राली से बग्गी और बैलगाड़ी से दूर-दूर से पानी ले करके आते हैं । मैं मंत्री जी से यह चाहूंगा कि बिजली नहीं मिल पाती है तो क्या जनरेटर की सुविधा उपलब्ध करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

हैण्ड पाइप के प्रश्न से जनरेटर और बिजली का क्या सम्बन्ध है ?

श्री जगदीश सिंह राणा–

मान्यवर, उस क्षेत्र में 40 हजार रुपये की लागत से हैण्ड पम्प लगता है और अन्य क्षेत्रों में 10–12 हजार रुपये की लागत से लगता है तो क्या उस क्षेत्र में 40 हजार रुपये की लागत से हैण्डपम्प लगाने की कृपा करेंगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं, जहां पर पथरीली इलाका है वहां हैण्डपाइप लगाने की कीमत 35 हजार रुपये आती है । जहां इस तरीके की आवश्यकता है, वहां व्यवस्था की जाती है । कई जगह पेयजल योजनायें है लेकिन बिजली की दिक्कत आती है तो उसमें कठिनाई होती है अगर कोई ऐसा गांव माननीय सदस्य इंगित करेंगे तो वहां विशेष इन्तजाम करवा देंगे ।

(व्यवधान)

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फैजाबाद जिले में चार विकास खण्ड तारून, बीकापुर, मिल्कीपुर, इनरीन ग्रे श्रेणी में आ गए हैं वहां का 70–80 प्रतिशत पानी दोहन हो चुका है वहां के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाकर वहां इण्डिया मार्क टू हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल की समस्या को हल करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह नीति से सम्बन्धित प्रश्न है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अगर माननीय सदस्य कुछ विशेष गांव की खास समस्या की तरफ इंगित करेंगे तो उसका परीक्षण करवा लेंगे । सर्वेक्षण कराने के बाद जरूरत होगी तो व्यवस्था की जाएगी ।

श्री छोटेलाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार 25–25 हैण्ड पम्प प्रत्येक विधायक को दिए गए थे तो क्या आगे भी यही व्यवस्था रहेगी ?

श्री अध्यक्ष–

इस सम्बन्ध में हम विभिन्न दलो के नेताओं की बैठक बुला रहे हैं उसमें इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेंगे । इसमें अनुरोध करेंगे कि सम्बन्धित मंत्री, संसदीय कार्यमंत्री उपस्थित हों और इसका निदान निकालने की कोशिश करेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण अंचलों में जो हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं वह जल निगम द्वारा लगाये जाते हैं और जल निगम पर माननीय मंत्री का कोई नियंत्रण नहीं है और इनका विभाग हैण्ड पम्प लगाता नहीं है । ग्रामीण अभियंत्रण विभाग हैण्ड पम्प लगाता नहीं है । इसमें इतना विरोधाभास है । एन०सी०पी०सी० स्कीम के अन्तर्गत जो हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, उसमें बड़ी धांधली है । माननीय मंत्री जी जो यहां कह देते हैं, उससे कोई हल निकलता नहीं है । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह अलग से कोई व्यवस्था करेंगे, ग्रामीण अंचलों में पेयजल के लिये और वह योजना सीधे मंत्री जी के नियंत्रण में हो ? दूसरा, एन०सी०पी०सी० स्कीम के अन्तर्गत जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं और उसमें जो धांधली हुई है, उसकी जांच करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कुछ धांधली की बात कही है । कहीं पर भी कोई धांधली हुई हो और किसी तरह की भी शिकायत हो तो उसे आप हमारे पास भेज दें, हम उसकी जांच करायेंगे और प्रभावी कार्यवाही करायेंगे ।

श्री रामहर्ष सिंह–

मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों में जहां छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं और अब गर्मी का सीजन आ रहा है,उन्हें आधे घण्टे का इन्टरवल मिलता है । अगर स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो उन्हें दूर जाना पड़ता है । जिससे पढ़ाई में भी अवरोध पैदा होता है । इसलिये क्या माननीय मंत्री जी प्राइमरी स्कूलों में हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था करेंगे ताकि बच्चों को पीने का पानी सुलभ हो सके ?

प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों में होने वाले व्यय में पर्याप्त कथित विषमता की जानकारी

*2–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों में होने वाले व्यय में पर्याप्त विषमता है ? यदि हां, तो क्या इसके समाधान के लिये सरकार कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

जहां पैसा खर्च होता है वहां सुविधाएं नजर आती हैं । माननीय मंत्री जी ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया है जी नहीं । मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाला खर्च कितना है ?

श्री रमापति शास्त्री–

वैसे हमारी सरकार की घोषणा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को ज्यादा सुविधा देंगे । कुल धनराशि का 58.36 प्रतिशत ग्रामीण और 41.46 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के लिये व्यवस्था है । इसमें विषमता नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कितना पैसा ग्रामीण क्षेत्र और कितना नगरीय क्षेत्र में जा रहा है ? उत्तर आ रहा है । जी नहीं । यह बिना आंकड़ों के आधार पर दिया नहीं । इन तथ्यों को सत्यापित करने के लिये कोई आधार तो होना चाहिए । मैं पूछना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कितना व्यय किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो विस्तृत ब्यौरे की बात है । माननीय मंत्री जी यदि सूचना हो तो बता दें ?

श्री रमापति शास्त्री–

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्रों में होने वाले व्यय में पर्याप्त विषमता है ? हमने कह दिया कि ऐसा नहीं है । हमने माननीय सदस्य को अवगत करा दिया कि जैसी सरकार की मंशा है कि शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र को अधिक देंगे । 58.36 प्रतिशत ग्रामीण और 41.46 शहरी क्षेत्रों में है । इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा है ।

आषधीय मद में नगरीय क्षेत्र में 5 हजार प्रति शैया पर दिया जाता है । 4,250 प्रति शैय्या ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाता है । शहरी क्षेत्रों में उपकरणों की व्यवस्था और अन्य प्रकार की सुविधायें ज्यादा हैं । ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में ज्यादा मरीज आते हैं । इसलिए यह व्यवस्था है कोई विषमता नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, बड़ी चतुराई से मंत्री जी ने प्रश्न को टालने का काम किया है । मान्यवर, हमारे प्रदेश की 70 से 72 प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है । जबकि शहरी क्षेत्र की जनसंख्या उस अनुपात में कम है

तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या कोई ऐसी विशेष कार्य योजना बनायेंगे ? दो वर्ष, पांच वर्ष में कि जिस स्तर की सुविधा नगरीय क्षेत्र को मिल रही है उस स्तर की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध हो सके ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैंने मंत्री जी को अवगत करा दिया है । माननीय सदस्य बहुत विद्वान सदस्य हैं यह जानते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में वह सुविधा कैसे उपलब्ध हो जाएगी जो शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होती है । ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज शहरी क्षेत्र में जाते हैं उसी हिसाब से व्यवस्था की जाती है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है पूरा सदन जानता है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उप केन्द्र पर कितनी संख्या में कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं । कितने अधिकारी चिकित्सक वहां जाते हैं । क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ? इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देने का मन्तव्य यह है कि वास्तविकता से आंखें मूंदी जा रही हैं । मैंने पूछा कितने वर्षों में सुनिश्चित करेंगे कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपकेन्द्र पर जिन कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति है वह वहां पहुंचे और जो पट्टी, सुई लगाने की सुविधा है । प्राणरक्षा की सुविधा है । वह केन्द्र पर उपलब्ध करायें । माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न का सीधा-सीधा उत्तर देंगे ।

श्री रमापति शास्त्री–

आपने जो पूछा है । उसका जवाब दे दिया है ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं । ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों की कमी पिछले दो वर्षों से बनी हुई है । जिसकी डिमाण्ड मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की गई है तो डाक्टरों की वहां नियुक्ति की कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री विनोद मणि–

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक नहीं है जो हैं वह भी उपलब्ध नहीं होते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिक्त पद डाक्टरों के हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न देखिए । किस बारे में प्रश्न किया गया है । आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री विनोद मणि–

मूल प्रश्न से जुड़ा है ।

श्री अध्यक्ष–

इतना जुड़ा नहीं है कि अनुपूरक प्रश्न हो ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने अभी बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में विषमताएं हैं तो मूल प्रश्नकर्ता ने जोर देकर पूछा है

कि शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपकी स्वास्थ्य इकाइयां हैं उनको प्रभावशाली बनाने के लिए क्या मंत्री जी कोई सुनियोजित योजना बना रहे हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, बजट भाषण में घोषणा की गयी है । हम स्वास्थ्य नीति बनाकर इस व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए आगे घोषणा करेंगे ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं दी गयी हैं जैसे एक्सरे मशीन एवं उसी तरह की अनेक मशीनें लगायी गयी हैं लेकिन वह ऐसे ही पड़ी हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है । इसलिए इस संबंध में क्या मंत्री जी उन्हें चालू कराने की कोई योजना बना रहे हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्या ने कहा है तो मैं इसमें दिखवा लूंगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री सीताराम निषाद–

[2रे शुक्रवार में नियम 38 (2) में तारा० प्रश्न सं०–2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के तराई अनु० जनजाति विकास निगम के कर्मियों को शासकीय निदेशालयों एवं अन्य निगमों में समायोजित करने का औचित्य

*2–डा० अशोक बाजपेयी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई अनु० जनजाति विकास निगम लि० के 177 कर्मियों में से 112 कर्मियों को किस आधार पर शासकीय निदेशालयों और शेष 65 कर्मियों को उ० प्र० अनु० जाति वित्त एवं विकास निगम में समायोजित किया गया ? क्या उन 65 कर्मियों को वेतन आदि का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1998 को इन 65 कर्मियों के संबंध में विभागीय निदेशालयों में पुनर्समायोजन का कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां,तो क्या उन्हें वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो वेतन न देने का औचित्य क्या है ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'')–

तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम (तराई निगम) के भारी घाटे में आ जाने के कारण उनकी कठिन आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तराई निगम को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (अनुगम) में संविलियन तथा तराई निगम में कार्यरत कर्मियों को विभिन्न निदेशालयों तथा उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया । इससे क्षुब्ध होकर तराई निगम तथा अनुगम के कार्मिको ने रिट याचिकायें दायर की तथा मा० उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को मामले के समाधान हेतु निर्देश दिये ।

जी नहीं । माह नवम्बर, 1997 से इन्हें तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा वेतन भुगतान निगम की खराब आर्थिक स्थिति एवं धनाभाव के कारण नहीं किया जा रहा है ।

जी हां ।

जी नहीं । क्योंकि मुख्य सचिव द्वारा लिए गये निर्णय/आदेश दिनांक 24-3-98 के संदर्भ में प्रश्नगत प्रकरण को मा० मंत्रि-परिषद् के समक्ष अनुमोदन/आदेश हेतु रखा गया । सम्प्रति मा० मंत्रि-परिषद् ने मुख्य सचिव से संदर्भित आदेश दिनांक 24-3-98 के निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा की गई । मुख्य सचिव ने पुनर्विचारोपरान्त दिनांक 17-2-99 को इस सम्बन्ध में आदेश पारित किये जिस पर तद्नुसार वांछित कार्यवाही प्रगति पर है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, तराई अनुसूचित जाति विकास निगम के 177 कर्मचारियों में से 112 को दूसरे निदेशालय में समायोजित करने का निर्देश दिया गया । 65 कर्मियों को छोड़ दिया गया । जब यह लोग मा० उच्च न्यायालय में गये तब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर इनके मामले को निस्तारित किया गया । एक वर्ष होने के बाद भी इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है ? इनका भविष्य क्या होगा ? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह सदन को आश्वस्त करेंगे कि 177 कर्मियों को सेवा में लेकर उनके बकाये के वेतन का भुगतान किया जायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, यह मामला ठन्डे बस्ते में पड़ा हुआ था । जब माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार आयी तब इसमें कार्यवाही हुई । मैं इसमें विलम्ब की बात इसलिए स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि सरकार में आने के बाद 6 महीने के अन्दर इस पर सारी कार्यवाही पूर्ण करने का सफलतापूर्वक प्रयत्न किया है । मान्यवर, जहां तक 65 कर्मियों की बात कही गयी है इसमें 24-3-98 को जो निर्णय हुआ था उसमें इन 65 को भी विभिन्न निदेशालयों में समायोजित करने का निर्णय हो गया था । मंत्रि-परिषद् में जाने के बाद इसमें आपत्ति हुई और उस आपत्ति के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने के लिए मुख्य सचिव को अनुरोध किया गया और मुख्य सचिव ने अपनी बैठक में...

श्री अध्यक्ष–

यह सब आपके प्रश्न के उत्तर में आ चुका है ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, 17-2-99 की बैठक में यह निर्णय हो गया था । सभी 48 जो शेष थे उनको विभिन्न विभागों में समायोजित करने का निर्णय हो गया है । इसके साथ ही जो 17 शेष उन्हें भी निदेशालय में समायोजित करने का निर्णय हो गया है । अन्य सभी 65 कर्मियों को समायोजित करने का निर्णय हो चुका है । जहां तक उनके वेतन भुगतान का प्रश्न है वह उन्हें निश्चित रूप से किया जायेगा ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं एक स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि जब निर्णय हो गया है तो सदन के उठने से पहले इन 65 कर्मियों की पुनर्नियुक्ति करने तथा वेतन का बकाया भुगतान करने की कृपा माननीय मंत्री करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

ऐसा कैसे हो सकता है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, यह प्रश्न बड़ा ही संवेदनशील है । माननीय विधायक जी ने जो बात कही सरकार उस दिशा में सचेष्ट है । मुख्य सचिव का निर्णय एक न्यायिक निर्णय है और सरकार भी उससे सहमत है ।

हम यथाशीघ्र मंत्रि-परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर लेंगे और उसके पश्चात् समायोजन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[5वे मंगलवार में ता० प्र० सं०–1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

*2–श्री राजधारी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प की मांग

*3–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्रदूषित हुये जल से महामारी फैलने का भय उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शुद्ध जल की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु ऐसे स्थानों पर इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

यह कब सूचना एकत्र की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह स्वतः अपने क्रम में दुबारा आ जायेगी ।

जनपद प्रतापगढ़ के मान्धाता एवं सदर ब्लाक में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की जानकारी

*4–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के मान्धाता एवं सदर ब्लाक में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों को बिना पूर्ण कराये जिला अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नये कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का नियमानुसार उपयोग प्रमाण-पत्र कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त होने के पश्चात् ही अगली किश्त अवमुक्त की जाती है । जनपद प्रतापगढ़ में पूर्व स्वीकृत कार्यों के बिना पूर्ण कराये नये कार्य प्रारम्भ किये जाने का कारण यह है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ससमय पूर्व स्वीकृत कार्य पूर्ण न होने एवं क्षेत्रों से अन्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर सम्यक् विचारोपरान्त ससमय लक्ष्य पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक प्रस्तावित कार्यों पर धनराशि अवमुक्त की गयी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, सदर ब्लाक का पैसा वह बेलाघाट में और विकास भवन में साइकिल स्टैण्ड में खर्च कर दिया गया है और बिना जन प्रतिनिधि की राय के यह किया गया है और जिस उद्देश्य से यह योजना बनायी गयी है उसकी नीति के विरुद्ध है क्या उन दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह रोजगारपरक योजना है इसमें जो गरीब लोग होते हैं उन्हें रोजगार देने की व्यवस्था होती है । इसमें मैंने स्वीकार किया है कि नये कार्य शुरू करा दिये गये । 38 कार्य मान्धाता एवं सदर ब्लाक में इसमें किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का प्रश्न है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्यतः है और शहरी क्षेत्र में कार्य कराये गये हैं तो क्या दोषी लोगों को दण्डित करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह सही है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, ब्लाकों के लिए है, ब्लाकवाईज है और उस ब्लाक के अन्तर्गत ही वह कार्य कराये जा सकते हैं ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

बिना जन प्रतिनिधि की राय के मनमाने तरीके से मेरे ब्लाक का पैसा शहरी क्षेत्र में खर्च किया गया है । जबकि मंत्री जी का आदेश है कि जन प्रतिनिधि की राय से ही सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्य कराये जायं । तो जितने कार्य हमारे यहां हुए हैं उनकी सूचना सूची सहित हमें देंगे । वह देनी भी चाहिए तो जिन लोगों ने यह गलत कार्य किया है उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर शहरी क्षेत्र में कोई कार्य कराया गया है जो ब्लाक के अन्तर्गत नहीं आता है तो उसकी जानकारी माननीय सदस्य हमको करा दें, स्पष्ट तौर पर एक सूची दे दें कि फला-फला कार्य फला-फला स्थान पर हुआ है ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह शासन के संज्ञान में आ गयी है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, विकास भवन में साइकिल स्टैण्ड कोई विकास का कार्य नहीं है, यह तो जो लोग वहां जाते हैं उनकी साइकिल खड़ी करने के लिए है ।

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने तो प्रतापगढ़ का स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है । मान्यवर, निश्चित तौर पर यह पूरे प्रदेश की समस्या है और सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत एक सुनिश्चित मापदण्ड है । ब्लाकवाइज धन आवंटन होता है । माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि ब्लाकवाइज

आवंटित धन को प्रतापगढ़ शहर में लगा लिया एक स्थान का नाम लिया लेकिन उसका जवाब नहीं आया तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं ने उपभोग का सर्टिफिकेट नहीं दिया, जिसके कारण नये मार्ग या कार्यों को स्वीकृत कर लिया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि पुराने कार्यों के उपभोग सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी किस पर निर्धारित की गयी है ? क्या जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी नहीं है कि जिसको कई वर्ष हो गये हैं और उपभोग का सर्टिफिकेट उनके द्वारा नहीं प्राप्त किया गया है तो कार्यदायी संस्था से बिना सर्टिफिकेट लिए नया कार्य न कराया जाय ? कि०मी० करना है और 300 मीटर हुआ तो बिना कार्य किये हर जगह इस तरह से कार्य हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से सुनिश्चित तौर पर जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे ? इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाय कि इतने समय के अन्दर उपभोग सर्टिफिकेट अवश्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय और वे उपभोग का सर्टिफिकेट लेकर उसे पूरा कराये फिर नया कार्य प्रारम्भ करें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जब कार्य प्रारम्भ हो जाता है तो कार्य प्रारम्भ होने के बाद कार्यदायी संस्थाएं प्रमाण-पत्र नहीं देती हैं तो उस कार्य को रोक करके नये कार्य प्रारम्भ करा दिये जाते हैं । यह सही है कि जब तक कार्य पूरा न हो जाये तब तक नये काम सामान्यतः नहीं प्रारम्भ कराने चाहिए, यह सामान्य प्रक्रिया है । वैसे मान्यवर, सुनिश्चित रोजगार योजना में कार्य दिये जाते हैं उनको सामान्यतः दो वर्ष पें पूरा हो जाना चाहिए, इस तरह की गाइड लाइन है । अगर कोई शिकायत है, कोई कार्यदायी संस्था ने सही कार्य नहीं किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है, मेरे जनपद में 1996-97 का कार्य पूरा हुए बगैर लगातार दूसरे कार्यों के लिए धन दिया जा रहा जबकि 1996-97 के कार्यों पर पैसा नहीं दिया जा रहा है अगर इतने दिनों में यह पूरा नहीं कराया गया चूंकि इसमें जिलाधिकारी का स्वविवेक काम करता है इसमें कार्यदायी संस्था का क्या दोष है ? आप जिलाधिकारी को दण्डित करने का काम करें अगर वह नियमानुसार काम नहीं करा रहे हैं ।

मास्टर छोटे लाल गंगवार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य कराया जा रहा है और लोगों को रोजगार दिया जा रहा है । मेरी निश्चित जानकारी है मेरे जनपद बरेली में सारे कार्य ठेकेदारों से कराया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

यह अलग जनपद की बात है तो अलग से प्रश्न कीजिए । यह प्रश्न जनपद प्रतापगढ़ के मान्धाता और सदर ब्लाक के लिए है । आप अलग से प्रश्न करिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया । माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि विकास कार्य का धन साइकिल स्टैण्ड में नहीं लगाया जा सकता है । माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की एक विशेष सूचना दे रहे हैं कि सुनिश्चित रोजगार का पैसा विकास भवन के

साइकिल स्टैण्ड पर लगाया गया है । क्या माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना को सही मानकर इसकी एक सप्ताह या 10 दिन में जांच कराकर सदन को अवगत करायेंगे और इसकी सूचना आपको देंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी जानकारी करा लूंगा और सदन को अवगत करा दूंगा ।

नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए विशेष कार्य योजना

*5–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए कोई विशेष कार्य योजना सरकार बनाने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी हां ।

नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए विशेष पारदर्शी कार्य योजना बनायी गयी है जिसमें विभागीय अनुरक्षण मद में एवं डबटेल करके डी०आर०डी०ए० से प्राप्त धन से नहरों की क्षमता पुनर्स्थापना एवं सफाई का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । 31-1-99 तक 21603 कि०मी० नहरों की सफाई की जा चुकी है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है वह स्पष्ट जवाब नहीं है । मैंने यह पूछा था कि विशेष कार्य योजना क्या है ? आपने दे दिया कि इतने कि०मी० सफाई करा दिया, यह आंकड़ा फर्जी है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जितना सिंचन क्षेत्र के लिए जल की आवश्यकता है क्या उतना जल इकट्ठा कर लिया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, टेल तक पानी पहुंचाने की बात कही गयी है । कितना सींचा गया, कितना नहीं सींचा गया या कितना जल है, कितना जल नहीं है ? इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था । टेल तक पानी पहुंचाने के लिए इस सफाई अभियान के अन्तर्गत पूरी क्षमता से चलाने के लिए हर जिला बार्डर पर चेक करने तथा टेल के अन्तिम 5 कुलाबा को चेक करेंगे जिससे अधिक से अधिक पानी टेल तक पहुंच सके । इसमें सफलता भी मिली है । पिछले वर्ष 15 फरवरी तक 10 लाख 42 हेक्टेयर सिंचाई हुई थी इस वर्ष इस सफाई अभियान के कारण और निर्देशों के कारण 21 लाख 90 हजार हेक्टेयर में सिंचाई हुई है । दो गुना से ज्यादा इस कार्यक्रम से सफलता मिली है ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

कुंवर रेवती रमण सिंह –

मंत्री जी ने सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया है इस कारण मैं और मेरा दल बहिर्गमन करता है ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत नवाबगंज शुगर मिल के गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान

*6–श्री राम विशुन आजाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत नवाबगंज शुगर मिल कई वर्षों से बीमार चल रही थी और वर्तमान समय में बन्द हो गयी है ? क्या गन्ना कृषकों एवं मजदूरों के हितों में उक्त शुगर मिल चलाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक मिल चालू हो जायेगी ? क्या उक्त मिल पर गन्ना कृषकों के बकाये का ब्याज सहित भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

राज्य चीनी निगम द्वारा उक्त मिल के अधिग्रहण के बाद देय मात्र समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ।

जनपद देहरादून लखवाड़-व्यासी परियोजना को पूर्ण कराने का प्रस्ताव

*7–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखवाड़–व्यासी परियोजना जनपद देहरादून जो लगभग 20 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई थी, को कब तक पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित था ? क्या अब उसका स्वरूप बदल दिया गया है ? यदि हां, तो बदले हुये स्वरूप में परियोजना की अनुमानित लागत क्या होगी ? क्या इस हेतु पुनः निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं ? उक्त परियोजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लखवाड़-व्यासी परियोजना के प्रारम्भिक निर्माण कार्य 1979 में प्रारम्भ हुये थे । परियोजना के कार्य वर्ष 1995–96 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों के बकाये का ब्याज सहित भुगतान की मांग

*8–श्री समरपाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का वर्ष 1998 का कितना भुगतान शेष है ? क्या विगत वर्षों का भी भुगतान बाकी है ? यदि हां, तो क्या गन्ना किसानों को चौदह दिन के अन्दर गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार ने किसानों को चीनी मिलों द्वारा बिलंबित भुगतान पर 15 प्रतिशत ब्याज दिलवाने के लिये कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 12–2–99 तक प्राप्त स्थिति के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों पर पेराई सत्र 1997–98 का लगभग 36.16 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया है ।

जी हां ।

गन्ना मूल्य भुगतान स्थिति का निरन्तर अनुश्रवण करते हुये चीनी मिलों को यथाशीघ्र भुगतान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है ।

अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान होने के उपरान्त ब्याज दिलाये जाने के संबंध में यथासम्भव कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मेरठ सरधना नगर खादी उद्योग को बचाने की मांग

*9–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जनपद के सरधना नगर में खादी उद्योग नष्ट होने की कगार पर है ? यदि हां, तो क्या इस धन्धे को नष्ट होने से बचाने के लिये सरकार कोई प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ में शासनादेश के अनुसार विशेष प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों को नियुक्ति करने की मांग

*10–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पी० एम० एस० एवं मेडिकल कालेजों के चिकित्सकों की योग्यता एवं दक्षता बढ़ाने हेतु नेफरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलांजी एवं अल्ट्रासाउन्ड आदि विषयों में विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था एस० जी० पी० जी० आई०, लखनऊ में है ? यदि हां, तो शासनादेश संख्या–4666/चिकित्सा–4 दिनांक 18-7-92 के अनुपालन में उक्त पूर्ण विशेष प्रशिक्षण क्या उक्त चिकित्सकों को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश के अन्तर्गत ऐसे पूर्ण विशेष प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों की तैनाती विशिष्ट इकाइयों में कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त तैनाती कब तक कर दी जायेगी ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)–

जी हां ।

जी हां । एक चिकित्सक को प्रशिक्षण दिया गया ।

तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण इन्हें निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के जनपद चिकित्सालयों में बर्न यूनिट में उपयोग हेतु बाथटब क्रय में कथित अपव्यय

*11–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के किन-किन जनपद चिकित्सालयों में बर्न यूनिट में उपयोग हेतु "बाथटब" क्रय किये गये हैं ? प्रत्येक बाथटब का क्या मूल्य है तथा क्रय किये गये बाथटब की संख्या कितनी है और बर्न यूनिट में इनका क्या उपयोग है ? इस मद में हुये अपव्यय के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा सरकार उन पर कब तक और क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

इस वित्तीय वर्ष में केवल जिला चिकित्सालय, रायबरेली में रु० 5000/– की दर से दो बाथटब क्रय किये गये हैं ।

जले हुये रोगियों के घावों की वैज्ञानिक विधि से सफाई एवं रोगियों को एन्टीसेप्टिक लोशनों से नहलाने में बाथटब का उपयोग किया जाता है ।

प्रश्नगत क्रय में कोई अपव्यय नहीं हुआ है, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*12–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[5 वें बुधवार के लिये स्थगित]

वर्ष 1997 में पुरुष नर्स की परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग

*13–डा० राम बाबू हरित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि पुरुष नर्स की दिनांक 9 नवम्बर, 1997 की परीक्षा ली गई थी जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त परिणाम कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

भारतीय उपचर्या परिषद् के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार पुरुष उपचारिकाओं को तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण काल के द्वितीय छः मास में मानसिक रोग का प्रशिक्षण उपचर्या कार्य के अन्य विषयों के प्रशिक्षण के साथ मानसिक रोग चिकित्सालय, आगरा में दिये जाने की व्यवस्था कालान्तर में थी जो वर्ष 1998 में मानसिक रोग चिकित्सालय, आगरा को स्वायत्तशासी संस्था घोषित हो जाने के कारण बाधित हो गई है जिसके कारण पुरुष उपचारिका प्रशिक्षण को उक्त व्यवस्था के अभाव में स्थगित रखा गया है । मानसिक रोग के प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था होने पर ।

गण्डक नहर निर्माण खण्ड सिंचाई विभाग कुशीनगर में टी०ए०सी० जांच द्वारा तार जाली रैम्प निर्माण में लाखों रुपये घोटाले के प्रकरण पर कार्यवाही

*14–श्री दीपलाल भारती–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 11 नवम्बर, 98 को गण्डक नहर निर्माण खंड (सिंचाई विभाग) खड्डा (कुशीनगर) में टी० ए० सी० द्वारा नानगण्डक बोल्डर व तार की जाली रैम्प निर्माण

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 12-2-99 तक प्राप्त स्थिति के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों पर पेराई सत्र 1997–98 का लगभग 36.16 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया है । चीनी मिलों की कमजोर आर्थिक स्थिति एवं न्यायालय के स्थगनादेश के कारण उक्त भुगतान अभी तक सम्भव नहीं हुआ है । सम्पूर्ण प्रदेश में विगत पेराई सत्र से बैंकों के माध्यम से गन्ना मूल्य भुगतान की व्यवस्था प्रारम्भ की गई थी, जो पेराई सत्र 1998–99 में भी लागू है । अवशेष गन्ना मूल्य शीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

उत्तरांचल क्षेत्र के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के अनुपात में चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों को रखने का मामला

*18–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तरांचल क्षेत्र में कुल कितने आयुर्वेद चिकित्सालय हैं ? उन चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त अस्पतालों में दवा आदि के अभाव में मरीजों की उपस्थिति लगभग शून्य हैं ? यदि हां, तो आयुर्वेद चिकित्सालयों के सुधार हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

उत्तरांचल क्षेत्र में कुल 369 चिकित्सालय हैं । 4 शैय्या चिकित्सालयों में प्रदत्त चिकित्साधिकारी/कर्मचारियों की औसत संख्या 3.5 है और 15 शैय्या चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी/कर्मचारियों की औसत संख्या 9.0 है ।

जी नहीं !

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर में वृद्धावस्था पेंशन में हुये घोटाले की जांच

*19–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि सिद्धार्थ नगर में वृद्धावस्था पेंशन में लाखों का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी तथा प्रदेश के सभी अन्य जिलों में इस प्रकार के घोटाले की जांच कराये जाने व घपले के लिये दोषी लोगों को दण्डित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां, उक्त आशय की शिकायतें मिली हैं ।

सम्प्रति सिद्धार्थनगर के प्रश्नगत मामलों में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली-जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है । जांच का कार्य जारी है यदि प्रदेश के अन्य किसी जिले से कोई धांधली की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी भी जांच कराकर दोषी पाये जाने पर विधि सम्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*20–श्री लाखी राम जोशी–

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद उन्नाव नाबार्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996–98 में सिंचाई पर हुये व्यय एवं उससे प्राप्त कृषि लक्ष्य की जानकारी

1–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद की किन-किन नहरों पर नाबार्ड योजना में वर्ष 1996-97 व 1997-98 में कार्य कराया गया है ? उन पर कितना-कितना धन व्यय किया गया है ? क्या इन नहरों की सिंचाई से कृषि का लक्ष्य प्राप्त हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी दोषी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1996–97 व 1997–98 में जनपद उन्नाव की पुरवा ब्रान्च, पाटन रजबहा, पड़री रजबहा, पुरवा रजबहा, तौरा रजबहा, रसूलाबाद रजबहा प्रणाली, कुरसठ रजबहा प्रणाली एवं सण्डीला रजबहा (कि०मी० 17.7 से कि०मी० 22.5 तक) पर नाबार्ड योजना में कार्य कराया गया है ।

वर्ष 1996–97 में रु० 88.40 लाख तथा 1997–98 में रुपया 36.36 लाख व्यय किया गया है ।

उपरोक्त कार्य से सिंचाई में वृद्धि हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारी के स्थानान्तरण की मांग

2–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में कितने फिजीशियन स्वास्थ्य कर्मचारी गत 10 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या यह सरकार की स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे फिजीशियनों स्वास्थ्य कर्मचारियों को अन्य जिलों में स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रमापति शास्त्री–

उन्नाव जनपद में गत 10 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत फिजीशियन स्वास्थ्य कर्मचारी की संख्या क्रमशः शून्य व 487 हैं ।

स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध कतिपय अराजपत्रित कर्मचारी कार्यरत हैं ।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुरूप ऐसे कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चत की जायेगी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महाराजगंज विश्व बैंक परियोजना वर्ष 1988-89 में लगाये गये नलकूपों के भूमि के मुआवजे की मांग

6–श्री विनोद मणि–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–महराजगंज क्षेत्र पंचायत–बृजनमनगंज में वर्ष 1988-89 मे विश्व बैंक परियोजना में लगाए गए नलकूपों का मुआवजा किन कारणों से अभी तक किसानों को नहीं दिया गया ? क्या सरकार उन्हें मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्षेत्र पंचायत बृजमनगंज में वर्ष 1988-89 में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 25 नये नलकूपों का निर्माण किया गया था, जिसमें से 7 नलकूपों के लिये ली गयी भूमि का मुआवजा काश्तकारों को भुगतान कर दिया गया है । एक नलकूप की भूमि का प्रकरण मा० न्यायालय के विचाराधीन है तथा मुआवजे की धनराशि न्यायालय में जमा है । एक नलकूप ग्राम सभा की भूमि में है । शेष 16 नलकूपों के लिये ली गयी भूमि की भू-अध्याप्ति प्रक्रिया चल रहा है ।

जी हां ।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ड्रेनेज प्रखंड प्रथम गोरखपुर के कतिपय बांध हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग

7–श्री विनोद मणि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज प्रखण्ड प्रथम गोरखपुर के अधीन करमैनी–बेलसड़ एवं करमैनी–खड़खड़िया बंधा जो राप्ती नदी पर बना है, में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त मुआवजा कब तक दिलायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद गोरखपुर के ड्रेनेज खण्ड प्रथम गोरखपुर के अधीन करमैनी-बेलसड़ एवं करमैनी-खड़खड़िया नाम का कोई बांध नहीं, बल्कि करमैनी-खड़खड़ियां के स्थान पर करमैनी-पनघटिया तथा करमैनी-बेलसड़ के स्थान पर बेलसर-रिगौली बांध है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1–पनघटिया-करमैनी बांध–इस बांध के निर्माण हेतु कुल 89.243 एकड़ भूमि ली गयी है जिसमें से 57.293 एकड़ भूमि के प्रतिकर का भुगतान् रु० 13.40 लाख किया गया है ।

2–बेलसर-रिगौली–इस बांध के निर्माण हेतु कुल 176.90 एकड़ भूमि ली गयी है, जिसमें 18.62 एकड़ भूमि का प्रतिकर रु० 9.09 लाख वितरित किया जा चुका है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रतिकर का अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में वर्ष 1998-99 में विकलांग पेंशन हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

8–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बलिया में वित्तीय वर्ष 1998-99 में विकलांग पेंशन हेतु कितना धन आवंटित किया गया था ? क्या इस वित्तीय वर्ष में सभी अभ्यर्थी लाभान्वित हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

वित्तीय वर्ष 1998-99 में जनपद बलिया के विकलांग पेंशन हेतु रुपया 9.40 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

वित्तीय वर्ष 98-99 में स्वीकृत धनराशि रुपया 9.40 लाख के समक्ष 875 विकलांग लाभार्थियों को प्रथम छमाही किश्त के रूप में रुपया 600/- प्रति लाभार्थी की दर से रुपया 5.25 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है । शेष दूसरी छमाही किश्त की धनराशि के वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

बलिया जिले में विकलांग कल्याण पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण

9–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला–बलिया में विकलांग कल्याण पेंशन हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं और कितने विकलांगों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है ? क्या सभी लम्बित आवेदन-पत्रों पर विकलांग कल्याण पेंशन का लाभ सरकार दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जिला विकलांग कल्याण कार्यालय, बलिया में विकलांग पेंशन हेतु कुल 1384 आवेदन पत्र लम्बित हैं ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 में स्वीकृत धनराशि रु० 9.40 लाख के समक्ष 875 विकलांग लाभार्थियों को प्रथम छमाही किश्त के रूप में रु० 600/- प्रति लाभार्थी की दर से रु० 5.25 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है । शेष दूसरी छमाही किश्त की धनराशि के वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

वित्तीय वर्ष 98-99 के लिये स्वीकृत धनराशि के समक्ष ही वर्तमान सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में वरीयता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के ही लम्बित आवेदन-पत्रों पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक विचार सम्भव है ।

जनपद हरदोई के ग्राम बरहज में टेढ़िया जल भराव समस्या के निदान की मांग

10–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–बरहज टेढ़िया विकास खण्ड माधोगंज जनपद हरदोई में जल भराव की समस्या है ? यदि हां, तो क्या शासन बरहज रजबहा की सप्लाई व बरहज माइनर के कुलावा सं०–5 के दक्षिण से बरहज रजबहा तक जल निकास हेतु नाली व माइनर के नीचे साइफन का निर्माण करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

इमारत आज तक नहीं बन सकी है जबकि ग्राम-पंचायत द्वारा उक्त अस्पताल के लिये भूमि प्रदान की जा चुकी है परन्तु अभी तक उक्त अस्पताल की बिल्डिंग नहीं बनवाई गयी है ? यदि हां, तो कब तक उक्त अस्पताल की बिल्डिंग बनवा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु ग्राम सभा की भूमि औपचारिक रूप से अभी प्राप्त नहीं हुयी है ।

भवन निर्माण कार्य भूमि की उपलब्धता, जनपद योजनान्तर्गत परिव्यय की उपलब्धता तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है । अतः भवन निर्माण हेतु कोई निश्चित तिथि इंगित नहीं की जा सकती ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद सीतापुर में गन्ना सीजनल लिपिकों को स्थायी नियुक्ति देने की मांग

14–श्री रमेश राही–

14–क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सीतापुर में गन्ना सहकारी समिति, सीतापुर में गन्ना सीजनल लिपिक के पद पर वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों की क्या स्थाई नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उ० प्र० सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975 (यथा संशोधित 1976) के नियम संख्या–40 में कुल स्वीकृत स्थायी लिपिकों की संख्या के 50 प्रतिशत पदों पर उन सामयिक लिपिकों जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा जिनकी शैक्षिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट हो चयन द्वारा भरे जाने का प्राविधान है । वर्तमान में सामयिक लिपिकों से स्थायी लिपिकों के पद पर चयनित कर्मचारियों की संख्या पूर्ण है । अतः कोटा पूर्ण होने के कारण सामयिक लिपिकों की स्थायी नियुक्ति किये जाने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्तानुसार पदोन्नति कोटे में सम्प्रति कोई पद रिक्त नहीं है ।।

15–श्री कमलेश कुमार सिंह–

[दिनांक 17-2-99 की अता० प्र० सं० 90 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलरामपुर के सिंचाई बांधों की छमता बढ़ाने की मांग

16–श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बलरामपुर के अन्तर्गत आने वाले सिंचाई बांधों की सफाई कराकर सिंचन क्षमता बढ़ाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांधों की सिल्ट सफाई नहीं की जाती है । यह आर्थिक व तकनीकी दृष्टिकोण से साध्य नहीं होती ।

जनपद बलिया में उच्च न्यायालय के आदेश पर गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य सुविधा प्रदान कराया जाना

17–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में उच्च न्यायालय के आदेश एवं शासनादेशो के अनुसार गोंड जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का माना जा रहा है ? यदि हां, तो क्या जनपद बलिया की समस्त तहसीलों में गोंड जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देने से मना किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार समस्त गोंड जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराकर उन्हें आवास, भूमि तथा कर्ज लेने की सुविधा प्रदान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में गोंड़ जाति को अनुसूचित जाति की सूची में वर्गीकृत किया गया है । चूंकि यह पूरे प्रदेश में प्रभावी है, अतः इसमें जनपद–बलिया भी सम्मिलित है ।

जी नहीं । नियमानुसार आवश्यक जांचोपरान्त गोंड जाति के व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है ।

नियमानुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उन्हें अनुमन्य लाभ एवं सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया जिले के ग्राम भरौली से अंजोरपुर तक बांध बनवाने हेतु कार्यवाही की मांग

18–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर शासन द्वारा दिए गए आदेश पत्रांक एम–5/2–50/बलिया/96, दिनांक 13-1-97 जो भरौली से अंजोरपुर तक एक बंधा बनवाये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मा० प्रश्नकर्ता का पत्र भरौली से अंजोरपुर तक बन्धा बनाने का प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र के क्रम में कार्यस्थल की जांच की गई । जांच में पाया गया कि मा० प्रश्नकर्ता द्वारा बताये गये भरौली से अंजोरपुर बंधा का निर्माण प्रस्तावित स्थल पर तकनीकी दृष्टिकोण से सुरक्षित नहीं है क्योंकि नदी से इस स्थल की दूरी न्यूनतम आवश्यक दूरी से भी कम है ।

19–श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

भू-जल खण्ड प्रथम सिंचाई अनुसन्धान संस्थान रुड़की जनपद हरिद्वार में प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् कार्यरत अधिशासी अभियन्ता की स्थिति की जानकारी

20–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू-जल खण्ड (प्रथम) सिंचाई अनुसन्धान संस्थान रुड़की जनपद हरिद्वार के कितने अधिशासी अभियन्ता वर्ष 1990 से रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की जनपद हरिद्वार में प्रतिनियुक्ति पर गये थे ? उनकी प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल क्या-क्या था ? जो अधिशासी अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर गये थे वे क्या अपने प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल के समाप्त होने के उपरान्त तुरन्त अपने पैतृक विभाग में वापस आ गये हैं ? कितने ऐसे अधिशासी अभियन्ता हैं, जो प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के उपरान्त भी अधिक समय तक बिना स्वीकृत के प्रतिनियुक्ति पर बने रहे ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

21–श्री अजय कुमार पोइया–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा

22–श्री अजय भट्ट–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न–153 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु जो प्रक्रिया आवास सचिव शाखा द्वारा वर्ष 1995 में सभी विभागों के लिये निर्धारित की गयी थी, उसके अनुसरण में प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) स्तर पर क्षेत्रीय कमेटियां गठित कर तद्नुसार कार्यवाही करने का प्रयास किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

23–श्री अजय भट्ट–

[दिनांक 15-7-98 की अता० प्र० सं०–23 द्वारा उत्तरित]

श्री मारकाण्डेय चन्द–

जी नहीं ।

वर्ष 1998-99 की जनपद योजना में नये नलकूपों के निर्माण का प्राविधान न होने के कारण प्रश्नगत क्षेत्र में नये राजकीय नलकूपों का निर्माण किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जी नहीं ।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना तथा सभी श्रेणी के कृषकों के लिए गहरे नलकूपों के निर्माण की विशेष सहायता योजना पूर्व से ही क्रियान्वित की जा रही है, जिसका लाभ कृषक उठा रहे हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की कतिपय ग्राम पंचायतों पर प्रा० स्वा० केन्द्र भवन के निर्माण की स्थिति

27–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेरिया नजीरपुर मे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है ? यदि हां, तो क्या अभी तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण नहीं कराया गया है ? भवन निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर वि०,सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में सी० एण्ड डी० एस० संस्था द्वारा आवंटित धनराशि से किए गये निर्माण कार्यों का व्यय विवरण

28–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद–संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र एवं जनपद में सी० एण्ड डी०एस० संस्था द्वारा किन-किन मदों में कितना धन अवमुक्त हुआ है ? वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक किये गये कार्यों का विवरण जिनमें विकास भवन ज्ञानपुर मूंसीलाटपुर स्टेडियम तथा सीतामढ़ी में घाट मोटल पर कितना धन खर्च किया गया ? क्या निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है ? यदि हां, तो क्या धांधली की जांच किसी सक्षम अधिकारी से सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र एवं जनपद में कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज के लिए निम्नवत् धन अवमुक्त किया गया :-

भवनों के निर्माण हेतु रु०	256.59 लाख
सड़क एवं सम्पर्क मार्गों हेतु रु०	276.86 लाख
योग रु०	533.45 लाख

प्रश्न में उल्लिखित कार्यों हेतु जनवरी, 1999 तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार धन व्यय किया गया :–

विकास भवन पर	रु० 110.00 लाख
मुंसीलाटपुर स्टेडियम पर	रु० 29.00 लाख
सीतामढ़ी घाट पर	रु० 6.00 लाख
मोटल पर	रु० 15.00 लाख

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के कतिपय वि० खण्डों के सम्पर्क मार्गों पर निर्माण कार्य प्रस्तावों के अनुसार आरम्भ कराने की मांग

29–श्री राम विशुन आजाद–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न सं०–112 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना में क्या 76 सम्पर्क मार्गों से सम्बन्धित सभी प्रस्तावों पर धन आवंटन कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक आरम्भ करा दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । अपितु मा० विधायक श्री राम विशुन आजाद, विधान सभा क्षेत्र मनकापुर द्वारा वर्ष 1996 से 1998 तक 76 सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य हेतु प्रेषित प्रस्तावों में से 31 सम्पर्क मार्गों पर स्वीकृति प्रदान कर धनावंटन करके निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ।

शेष 45 सम्पर्क मार्गों के प्रस्तावों पर संबंधित विकास खण्डों में वर्तमान समय में योजनान्तर्गत प्रस्तावित मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण सभी प्रस्तावों पर एक साथ कार्य प्रारम्भ कराया जाना संभव नहीं है ।

धनराशि उपलब्ध होने पर ।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ग्रामों में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने की मांग

30–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के पत्रांक सं०–617/लेखा–4 इकहत्तर/98=10/एस० एन० डी०/98 द्वारा प्रतापगढ़ जनपद में वार्षिक जिला योजना वर्ष 1997-98 में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय ग्राम सभा भावलपुर, चिलबिला एवं पर्वतपुर में खोलने हेतु स्वीकृत हुए हैं ? यदि हां, तो कब तक उक्त राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोल दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जनपद प्रतापगढ़ में जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में 8 स्थानों पर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने का आदेश शासनादेश संख्या–617/सेक–4/इकहत्तर/98-10(एस०एन०डी०)/97–

दिनांक 28-2-98 के माध्यम से निर्गत किया गया था । जिसमें उक्त तीनों स्थान भावलपुर, चिलबिला एवं पर्वतपुर सम्मिलित थे । जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के पत्र दिनांक 18-3-98 द्वारा उपलब्ध कराये गये जिला योजना के पुनरीक्षित प्रस्ताव के आधार पर संशोधित शासनादेश, संख्या–1330/सेक–4/इकहत्तर/98–10 (एस०एन०डी०)/97 दिनांक 22-4-98 में, भावलपुर, चिलबिला एवं पर्वतपुर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 में भावलपुर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । जिसे इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करना संभव नहीं पाया गया । आगामी वित्तीय वर्ष में जिला योजना के अन्तर्गत उक्त स्थानों पर होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

न्याय पंचायत स्तर पर इवाकरा केन्द्र एवं भवन की स्थापना

31–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार इवाकरा केन्द्र एवं भवन की स्थापना न्याय पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रदेश में इवाकरा योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 50:50 के सहयोग से संचालित की जाती है । इस योजना अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इवाकरा महिला समूहों के रिवाल्विंग फंड के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है । केन्द्र सरकार से कोई भी धनराशि इवाकरा केन्द्र एवं भवन के लिए अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । अतः इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी है ।

जनपद बलिया ब्लाक सीयर में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने की मांग

32–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशुहारी ब्लाक–सीयर, जिला बलिया के अस्पताल के भवन व आवास निर्माण के लिये जनता की मांग पूर्व से चल रही है ? यदि हां, तो सरकार धन स्वीकृत कर निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा देगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण जिला योजना का भाग है तथा जिला योजना में परिव्यय की उपलब्धता पर निर्भर करता है । अतः निश्चित तिथि इंगित किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद बलरामपुर में सरकारी डाक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की मांग

33–श्री बिन्दु लाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद बलरामपुर में डाक्टरों के कितने पद रिक्त हैं ? ऐसे कौन-कौन से अस्पताल हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं ? क्या सरकार डाक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद बलरामपुर में चिकित्सा अधिकारी के वर्तमान समय में 41 पद रिक्त हैं।

नन्द नगर, खुजरिया, रेहराजगंज, भगवनापुर खादर, शिवपुर, भगवानपुर, जरवा, पिपरा, नचौरा, रतनपुर, भगवानपुर, गुलरिहा हिशीमपुर, बल्देवनगर, मथुरा बाजार, गंगोली, सहजनवा, पिपराएकडंगा, मानापार बहेरया, ईटईरामपुर, महुआ, सादिल्लानगर, सरायगास, श्रीगंज, पुरैनावाजिद स्थित चिकित्सालयों सहित महिला चिकित्सालय उतरौला, महिला चिकित्सालय सहदुल्लानगर में चिकित्सक नहीं हैं।

प्रदेश में रिक्त 1692 चिकित्सकों के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 1998 में चयन कराया गया है। जैसे-जैसे चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो रही है। चिकित्सकों की नियुक्तियां की जा रही हैं। तद्नुसार बलरामपुर में भी रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्तियां की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा वि० सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों पर पत्थर सोलिंग कार्य करवाने की मांग

34–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत माड़ा पतिजया खुर्द एवं मवई सम्पर्क मार्ग, सनबरसा चुवाड़ सम्पर्क मार्ग, सनबरसा–बगदर–ग्रन्ट सम्पर्क मार्ग, पतिजिया बुजुर्ग सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी कार्य करवाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत पत्थर सोलिंग का कार्य करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

योजनान्तर्गत केवल श्रम प्रधान कार्य कराये जाने का प्राविधान है। चूंकि प्रश्नगत सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी एवं पुलिया निर्माण का कार्य पूर्व में कराया जा चुका है। अब पुनः उक्त मार्गों पर मात्र पत्थर सोलिंग का कार्य स्वीकृत किये जाने पर मार्ग निर्देशों में श्रम-सामग्री हेतु निर्धारित मानक 60:40 के अनुपात का अनुपालन प्रश्नगत मार्गों पर पत्थर सोलिंग का कार्य कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा (रानीखेत) में चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना करने की जानकारी

35–श्री अजय भट्ट–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री "हेल्थ एजूकेशन अवेयरनेस एण्ड लर्निंग (हील) फाउन्डेशन आफ इण्डिया," लखनऊ द्वारा प्रस्तुत पत्रांक हील/26/98, दिनांक 26-6-98 के अनुरूप जनपद अल्मोड़ा (रानीखेत) क्षेत्र में कब तक चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

हेल्थ एजूकेशन अवेयरनेस एण्ड लर्निंग हील (फाउन्डेशन आफ इण्डिया) के पत्रांक–हील/26/98, दिनांक 26-6-98 के सन्दर्भ में फाउन्डेशन को मेडिकल कालेज स्थापना हेतु राज्य सरकार से आवश्यकता/अनापत्ति के लिए, निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने हेतु लिखा गया था। परन्तु

उनके स्तर से औपचारिक प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही राज्य सरकार के स्तर की आवश्यक कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सन्त रविदास नगर ज्ञानपुर की इन्दारगांव रजबहा के नहर के कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

36–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में ज्ञानपुर नहर से निकली हुई इन्दारगांव रजबहा अब तक अपूर्ण है, जबकि हजारों एकड़ जमीन असिंचित है ? क्या इसे पूर्ण करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

भूमि मिलने पर गैप की खुदाई करा दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संत रविदास नगर ज्ञानपुर के नलकूपों की री-बोरिंग व्यवस्था की मांग

37–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने नलकूप री-बोरिंग न होने के कारण वर्षों से बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार उनकी री/बोरिंग तत्काल कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में एक नलकूप ग्राम–चन्दापुर विकास खण्ड डीघ में री-बोरिंग न होने के कारण बन्द है ।

वर्तमान में उक्त नलकूप की री-बोरिंग हेतु कोई धन उपलब्ध नहीं है । अगले वित्तीय वर्ष की जनपद योजना में नलकूपों की री-बोरिंग हेतु धनराशि उपलब्धता के अनुरूप विचारणीय होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

38–श्री लाखीराम जोशी–

[दिनांक 10-2-99 की अता० प्र० सं० 66 द्वारा उत्तरित]

39–श्री अजय कुमार पोइया–

[3रे मंगलवार में अता० प्र० सं०–184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोण्डा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के कतिपय बाजार में प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने की जानकारी

40–श्री राम विशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में महराजगंज ग्रिन्ट, कुनगुंइया, मोतीगंज, तामापार, गड़रही, कुर्काडीह बाजार में प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इसकी स्वीकृति प्रदान करेगी ?

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय विकास खण्डों में लगे हैण्डपम्पों के प्लेट फार्म बनाने की मांग

42–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी, आसपुर देवसरा मंगरौरा में अधिष्ठापित सभी हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म बना दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कितने बने हैं तथा कितने बनने शेष हैं ? शेष प्लेटफार्म कब तक बना दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

विकास खण्ड आसपुर देवसरा, पट्टी तथा मंगरौरा में 2944 हैण्डपम्पों के फ्लेटफार्म बना दिये गये हैं तथा 232 हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म बनने शेष हैं ।

शेष प्लेटफार्म बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है । इनके मार्च, 99 के अन्त तक बन जाने की संभावना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय वि० खण्डों में ग्रामीण पेयजल समूह योजना स्वीकृत एवं हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन

43–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ में वर्ष 1998-99 में पट्टी तहसील के किसी विकास खण्ड में ग्रामीण पेयजल समूह योजना, माह नवम्बर, 1998 तक स्वीकृत की गयी है ? क्या विकास खण्ड पट्टी मंगरौरा, देवसरा के लिये वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 की जिला नियोजन समिति द्वारा जल निगम को परिव्यय अनुमोदित किया गया है ? यदि हां, तो उसके सापेक्ष अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्या मंत्री जी जल निगम प्रतापगढ़ के उत्तरदायी अधिकारियों को दंडित करने की कार्यवाही करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं । परिव्यय पूरे जनपद के लिये स्वीकृत हुआ था ।

वर्ष 96-97 एवं वर्ष 97-98 में लक्ष्य के अनुरूप हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया जा चुका है । वर्ष 98-99 में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नवाबगंज (बरेली) में राजकीय यूनानी चिकित्सालय के भवन के अवशेष किराये के भुगतान कराने की मांग

44–मास्टर छोटे लाल गंगवार–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय यूनानी चिकित्सालय नवाबगंज (बरेली) का भवन किराया 8/94 से 2/97 तक का रु० 5000/- प्रतिमाह की दर से 1,55,000/- रुपये बकाया है ? यदि हां, तो क्या किराये की मांग के लिये भवन मालिक श्रीमती सलमा बेगम ने बार-बार प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर भी किराया भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां,तो क्या सरकार उक्त भुगतान शीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां।

जी हां। बजट के आभाव में भुगतान नहीं हो पाया है।

बजट व्यवस्था कराकर शीघ्र भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत अर्ह अनुरेखकों का पुनरीक्षित वेतन मान

45–मास्टर छोटे लाल गंगवार–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत अर्ह अनुरेखकों को ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सिंचाई विभाग को लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों में कार्यरत अर्ह अनुरेखकों की भांति दिनांक 1-1-1986 से वेतनमान रु० 950-1500 दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी नहीं।

लघु सिंचाई विभाग में शासनादेश संख्या–4714/54-2-1399(5)/89, दिनांक 8-8-89 द्वारा समता समिति, उ०प्र० (1989) की संस्तुतियों पर लिये निर्णयानुसार विभाग में कार्यरत अनुरेखकों को दिनांक 1-1-1986 से पुनरीक्षित वेतनमान रु० 825–1200 दिया जा रहा है तथा जिन अनुरेखकों के पास अनुरेखक का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा है और जिन्होंने 7 वर्ष की उत्कृष्ट सेवा पूर्ण कर ली हो, को रु० 950–1500 देय है।

जनपद लखनऊ के कतिपय अस्पतालों की उपचारिकाओं को वर्ष 1998 में विलम्ब से वेतन दिये जाने का औचित्य

46–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में मेडिकल कालेज तथा डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में उपचारिकाओं को जनवरी से नवम्बर 1998 तक का वेतन विलम्ब से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या संबंधित दोषी अधिकारी. कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

मेडिकल कालेज, लखनऊ के वेतन शाखा कार्यालय में कर्मचारियों की कमी एवं कार्य की अधिकता के कारण केवल माह मार्च, जून, अगस्त व अक्टूबर, 1998 का वेतन दिनांक 15 व उसके बाद की तिथियों में भुगतान किया गया है। जनवरी, 1998 से नवम्बर, 1998 तक के अन्य माह का वेतन समय से भुगतान किया गया है। वेतन भुगतान में होने वाली कठिनाइयों को वर्तमान में दूर कर लिया गया है। त्वरित भुगतान हेतु आहरण वितरण का अधिकार अपर निदेशक राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश मेडिकल कालेज लखनऊ से हटाकर अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मंडल, लखनऊ को सौंप दिया गया है।

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ की उपचारिकाओं को जनवरी, 1998 से सितम्बर, 1998 तक तथा नवम्बर, 1998 एवं अक्टूबर, 1998 की 36 उपचारिकाओं का वेतन समय से वितरित

किया गया है । माह अक्टूबर में केवल 28 उपचारिकाओं को, जिनका वेतन नान-प्लान–16 से आहरित एवं वितरित किया जाता है, बजट ऋणात्मक होने के कारण बजट प्राप्ति के पश्चात विलम्ब से दिनांक 2-12-98 को भुगतान किया गया है ।

वेतन विलम्ब से वितरित किये जाने हेतु कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है । कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–प्रतापगढ़ के प्रत्येक ब्लाकों में लक्ष्य के अनुरूप हैण्डपम्पों को स्थापित किए जाने की जानकारी

47–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत 1-4-1997 से 7-11-1998 तक प्रत्येक ब्लाक तथा प्राथमिक विद्यालयों में जल निगम द्वारा कितने हैण्ड पम्प ग्रामों में लगाये गये ? उपरोक्त अवधि में ए० आर० पी०/एन०एन०पी०/जिला योजना सहित सभी मदों में कितने हैण्डपम्प लगाने का लक्ष्य था ? क्या लक्ष्य के अनुसार हैण्डपम्प स्थापित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत सभी विकास खण्डों को मिलाकर दिनांक 1-4-97 से 7-11-98 तक की अवधि में कल 5478 हैण्डपम्प तथा प्राइमरी पाठशालाओं में 1-4-97 से 31-3-98 तक 106 हैण्डपम्प जल निगम द्वारा लगाये गये हैं ।

वर्ष 1997-98 में 3572 तथा वर्ष 1998-99 में 4109 हैण्डपम्प लगाने का लक्ष्य निर्धारित है ।

वर्ष 1997-98 में निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है । वर्ष 98-99 के निर्धारित लक्ष्य को भी पूर्ण किये जाने का प्रयास है ।

48–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[3रे मंगलवार में अता० प्र० सं०–171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रतापगढ़ की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाया धनराशि के भुगतान की मांग

49–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्र 1997-98 में सठियाव चीनी मिल–आजमगढ़ को गन्ना आपूर्ति करने वाले सभी किसानों का भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो गन्ना किसानों का कुल कितना धन 1997-98 का बकाया है ? क्या सरकार उक्त बकाये धन का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न नहीं है ।

प्रदेश के प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र (अस्पताल) पर डाक्टरों के निवास हेतु जारी आदेश का अनुपालन कराने की मांग

50–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र (ब्लाक अस्पताल) पर डाक्टरों के निवास हेतु आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या जनपद संत रविदास नगर में प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक निवास करते हैं ? यदि नहीं, तो क्या उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जनपद सन्त रविदास नगर में जहां स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में राजकीय आवास उपलब्ध हैं, वहां सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी निवास करते हैं । मुख्यालय पर निवास न करने तथा अनियमित अनुपस्थिति के सन्दर्भ में चार चिकित्सकों/अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है । 3 को सचेत किया गया है तथा 2 से स्पष्टीकरण मांगने की कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र छितवापुर लखनऊ में पर्चा शुल्क हेतु ली जा रही धनराशि की जानकारी

51–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय परिवार कल्याण केन्द्रों पर निःशुल्क पर्चा की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र छितवापुर लखनऊ में वर्ष 1995 से वर्तमान तक लगातार रु० 1/- पर्चा शुल्क के रूप में लिया जा रहा है ? क्या उक्त वसूल की जा रही धनराशि को सरकारी कोष में जमा किया जा रहा है ? यदि हां, तो वह किस मद संख्या में जमा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

52–श्री अजय कुमार पोइया–

[5वें बुधवार के लिए स्थगित ।

वेतन एवं अन्य देय लाभों को दिलाने के सम्बन्ध में बी०एच०डब्लू० (महिला) श्रीमती प्रवेश गौतम के कथित पत्र की जानकारी

53–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 206/89, दिनांक 31-7-89 के अनुसरण में बी० एच० डब्लू (महिला) के पद पर तैनात श्रीमती प्रवेश गौतम का पत्र जो दिसम्बर, 1992 से 1998 तक के वेतन एवं अन्य देय लाभों को दिलाये

जाने के संबंध में था, दिनांक 2 नवम्बर, 1998 को भेजा हुआ पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

जी नहीं ।

दिनांक 2 नवम्बर, 1998 का भेजा हुआ पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

54–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[दिनांक 10-2-99 की अता० प्र० सं०–16 द्वारा उत्तरित]

महिला कल्याण में स्थानान्तरित कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में वापसी का मामला

55–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला कल्याण में स्थानान्तरित ऐसे कर्मचारियों को पुनः वापस किया जायेगा जिन्होंने समाज कल्याण में रहने का विकल्प प्रस्तुत किया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी नहीं ।

समाज कल्याण विभाग से महिला कल्याण में पदधारक पद तथा योजना सहित स्थानान्तरित हुए हैं । अतएव समाज कल्याण में उनकी वापसी का प्रश्न नहीं उठता है ।

पिछड़ा वर्ग वित्त निगम आजमगढ़ द्वारा दिये जाने वाले ऋण हेतु अवैध धन की मांग की जानकारी

56–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में पिछड़ा वर्ग वित्त निगम द्वारा लाभार्थियों को दिये जाने वाले ऋण अनुदान की अदायगी से संबंधित चेक बनाने में ही धन की अवैध मांग की जाती है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी नहीं ।

उपरोक्त से सम्बन्धित कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जांच करायी गयी तथा शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

जनपद आजमगढ़ में विधवा पेंशन स्वीकृत हेतु लगाये गये कैम्पों की जानकारी

57–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1997-98 तथा वर्ष 1998-99 में 1 दिसम्बर, 1998 तक कुल कितनी विधवा पेंशन कितने लोगों को स्वीकृत हुयी ? उक्त दो सत्र में आजमगढ़ जनपद में पेंशन स्वीकृति के लिये कब-कब तथा कहां-कहां कैम्प लगाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जिला लखनऊ ब्लाक काकोरी के ग्राम–ईंट गांव में फर्जी वृद्धा पेंशन वितरण की स्थिति की जानकारी

60–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि ग्राम ईंट गांव, ब्लाक काकोरी, जिला लखनऊ में वृद्धा पेंशन का आहरण पात्र व्यक्तियों द्वारा न लेकर स्वयं ग्राम प्रधान द्वारा आहरित कर वितरित किया जाता है एवं मृतकों के नाम से भी फर्जी पेंशन भुगतान लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण में लिप्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं ग्राम प्रधान के विरुद्ध गोपनीय जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में मुख्य चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध फैक्स की सुविधा की सूची, पटल पर रखने की मांग

61–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने मुख्य चिकित्साधिकारियों को फैक्स सुविधा उपलब्ध है ? क्या सरकार उन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह बतायेगी कि किन नियमों के तहत यह सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्तमान में प्रदेश के कुल 29 मुख्य चिकित्साधिकारियों को फैक्स सुविधा उपलब्ध है ।

जिन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को फैक्स सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, उनकी सूची संलग्न है ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के व्यापक आधुनिकीकृत मानीटरिंग/रिपोर्टिंग पद्धति विकसित करने हेतु राज्य परिवार नियोजन सेवा अभिनवीकरण परियोजना एजेन्सी (सिपसा) द्वारा यह सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी ।

[सूची के लिये देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 176 पर]

स्वास्थ्य विभाग में समान पद पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन मान की स्थिति की जानकारी

62–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य निरीक्षक (हेल्थ इन्सपेक्टर) तथा समान पद पर कार्यरत इसी संवर्ग के कर्मचारियों की अलग-अलग जिलों में रु० 4500-7000, रु० 5000-8000 का वेतन क्रम प्रदान किया जा रहा है ? यदि हां,तो ऐसी भिन्नता क्यों है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतापगढ़ में ब्लाक वार होम्योपैथिक अस्पतालों की एवं श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या तथा औषधि उपलब्धता के मानक की जानकारी

69–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में ब्लाक वार होम्योपैथी, आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या क्या है ? कितने अस्पताल शासकीय भवन युक्त है ? कितने में मानकों के अनुरूप अलग-अलग श्रेणी के कर्मचारी तैनात हैं और जहां नहीं हैं वहां कब तक तैनात कर दिये जायेंगे ? औषधि की उपलब्धता के मानक क्या है ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जनपद प्रतापगढ़ में ब्लाकवार होम्योपैथिक आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या निम्नवत् है :–

ब्लाक का नाम	होम्यो०चिकि० की संख्या	आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या
1–सदर	02	02
2–मान्धाता	01	02
3–पट्टी	03	06
4–मंगरौरा	06	04
5–आसपुर देवसरा	01	02
6–गौरा	02	04
7–शिवगढ़	05	06
8–सण्डवा चन्द्रिका	02	04
9–रामपुर संग्रामगढ़	02	01
10–लक्ष्मण पुर	03	04
11–सांगीपुर	04	02
12–लालगंज	02	01
13–कुण्डा	04	05
14–बाबागंज	शून्य	04
15–बिहार	01	03
16–कालाकांकर	01	02
कुल योग	39	52

एक होम्योपैथिक चिकित्सालय राजापुर तथा दस आयुर्वेदिक चिकित्सालय शासकीय भवन युक्त हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 1991-92 में तथा वर्ष 1994-95 में स्वीकृत 09 होम्योपैथिक चिकित्सालयों हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त न होने से अभी तक कोई भी पद सृजित नहीं हो पाये हैं । शेष 30 होम्योपैथिक चिकित्सालयों में मानक के अनुसार सृजित पदों में 27 पद चिकित्साधिकारियों के 21 पद भेषजिकों के, 29 पद वार्ड ब्वाय के तथा 22 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भरे हुए हैं । इसी प्रकार आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में मानक के अनुसार सृजित पदों में 39 पद चिकित्साधिकारियों के, सभी पद फार्मेसिस्टों के, 42 पद भृत्यों के व 44 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भरे हुए हैं ।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों, आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों व होम्योपैथिक भेषजिकों के रिक्त पदों के भर्ती की प्रक्रिया जारी हैं । चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के तैनाती पर शासन द्वारा रोक हटाये जाने के उपरान्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती कर ली जायेगी ।

होम्योपैथिक औषधियों की उपलब्धता हेतु आवंटित धनराशि को पूर्व वर्षों में सेवित रोगियों की संख्या के अनुपात में औषधि मद में अवमुक्त किया जाना है । आयुर्वेदिक औषधियों की उपलब्धता के संबंध में शासनादेश संख्या–483/सेक–9/पांच–58/87, दिनांक 24-8-87 के अनुसार औषधि मद में बहिरंग एवं 04 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों के लिये क्रमशः रु० 5,000/–एवं रु० 8,000/–तथा 15 एवं 25 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों के लिये क्रमशः रु० 20,000/–एवं रु० 25,000/-प्रतिवर्ष निर्धारित है ।

70–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र

71–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्रांक : क–469686, दिनांक 5 दिसम्बर, 1998 उनके यहां प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

शिकायत में उल्लिखित बिन्दुओं पर संबंधित अनुभाग के प्रभारी अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया । अभिमत में शिकायतों को सामान्य प्रकृति का बताया गया तथा यह भी कहा गया कि संबंधित दोनों कर्मियों के कार्य से उन्हें कोई शिकायत नहीं है । अतः प्रकरण समाप्त कर दिया गया है ।

72–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

स्वास्थ्य विभाग में श्रेणीवार पदों की अलग-अलग वरिष्ठता सूची की जानकारी

73–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नर्स, हास्टल वार्डेन, पालक माता, कम्पाउण्टर संवर्ग की वरिष्ठता सूची एक साथ बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या इनकी अलग-अलग वरिष्ठता सूची बनाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जांचोपरान्त शिकायतें सही नहीं पायी गयीं।

श्री मुरलीधर लाल भूतपूर्व ग्राम सेवक ग्राम ताजपुर जिला चन्दौली के सेवानिवृत्त पश्चात् उनके पेंशन के भुगतान की मांग

81–श्री छब्बू पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुरलीधर लाल भूतपूर्व ग्राम सेवक ग्राम ताजपुर, जिला चन्दौली दिनांक 30-11-73 को ब्लाक बरहनी जिला चन्दौली से सेवानिवृत्त हुए थे ? क्या इनकी पेंशन का अभी तक भुगतान नहीं हुआ ? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों को दण्डित करते हुए पेंशन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

शासनादेश संख्या–जी–2–2262/डी/917/65, दिनांक 6-8-66 के अनुसार अस्थायी कर्मचारी को पेंशन अनुमन्य नहीं थी। श्री मुरलीधर लाल, ग्राम सेवक के पद पर स्थायी नहीं थे, जिसके कारण उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला एवं बाल विकास निदेशालय में जिला परिवीक्षा अधिकारियों की विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

82–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि निदेशालय में जिला परिवीक्षा अधिकारी, क्षेत्राधिकारी तथा महिला परिवीक्षा अधिकारी के पद सृजित हैं ? क्या उक्त पदों पर सभी जनपदों में अधिकारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी सभी जिलों में परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां।

जिला स्तर पर क्षेत्राधिकारी तथा महिला परिवीक्षा अधिकारी के पद सृजित नहीं हैं। केवल जिला परिवीक्षा अधिकारी के पद सृजित हैं।

जी हां।

संगत सेवा नियमावली अन्तिम रूप से प्रख्यापित होने के पश्चात् रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बन्द होने जा रही चीनी मिलों के श्रमिकों को अन्य मिलों में रिक्त स्थान होने पर समायोजन की मांग

83–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की 5 चीनी मिलों को बन्द किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उनमें कार्यरत श्रमिकों को अन्य विभागों में समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासन द्वारा राज्य चीनी निगम की 5 चीनी मिलें यथा–बरेली, बाराबंकी, महोली, नवाबगंज तथा नन्दगंज को पेराई सत्र 1998-99 से न चलाये जाने का निर्णय लिया गया है ।

इन मिलों के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है अपितु इन मिलों के कर्मचारियों/श्रमिकों को निगम की अन्य चीनी मिलों में कर्मचारियों के रिक्त स्थान की पूर्ति एवं आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण कर समायोजित किया गया है ।

मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर को ग्राम टिकरिया में इन्दिरा आवास के प्रभारी की कथित शिकायतों के सम्बन्ध में ब्लाक प्रमुख गौरीगंज के पत्र पर जांच कार्यवाही की मांग

84–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर को ब्लाक प्रमुख गौरीगंज का पत्रांक 110, दिनांक 2-12-98 जो ग्राम टिकरिया में इन्दिरा आवास के आवंटन प्रभारी ए०डी०ओ० द्वारा बिना जांच कराये आवास आवंटन करने तथा पंचायत के अंशधन को लेकर शौचालय न बनाने, खड़ण्जा न लगाने की शिकायत विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच कब और किस अधिकारी द्वारा की गयी तथा जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या अपात्रों को दिये गये आवंटन को निरस्त कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

इस मामले की जांच दिनांक 10-2-99 को नोडल अधिकारी विकास खण्ड गौरीगंज/मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण, सुल्तानपुर द्वारा की गयी । इन्दिरा आवास का कार्य नियमानुसार पाया गया है । शौचालय एवं खड़ण्जा का कार्य अभी तक नहीं कराया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान टिकरिया श्री अगनूराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बब्बन सिंह को दोषी पाया गया है । ग्राम प्रधान श्री अगनूराम को कारण बताओ नोटिस दिया गया है तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बब्बन सिंह को निलम्बित कर दिया गया है ।

शौचालय तथा खड़ण्जा का कार्य अभी तक न कराने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ के तहबरपुर ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इन्दिरा आवास हेतु कथित भ्रष्टाचार की शिकायत

85–श्री राजधारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के तहबरपुर ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इन्दिरा आवास हेतु ग्रामीणों से दो-दो हजार रुपये लेने की शिकायत मुख्य

विकास अधिकारी आजमगढ़ से की है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां के कतिपय ग्राम पंचायतों के वृद्धाओं के पेंशन के प्रार्थना-पत्रों की संख्या

86–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र पंचायत माधवगंज के ग्राम पंचायत हरपुरा, मटियामऊ बिराइचमऊ जेहदीपुर तथा क्षेत्र पंचायत मल्लावां के ग्राम पंचायत शाहपुर पवार के कितने वृद्धावस्था पेंशन फार्म तहसीलदार के रजिस्टर में दर्ज हैं ? 7-8 माह बीत जाने के बाद अभी तक इन ग्रामों के वृद्धों व वृद्धाओं को पेंशन के प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के निम्न ग्रामों में जनवरी, 98 से अब तक प्राप्त वृद्धावस्था पेंशन फार्मों का पंजीकरण निम्नवत् है :–

ग्राम का नाम	प्राप्त प्रार्थना-पत्र
हरपुरा	–
मटियामऊ	–
बिराइचमऊ	–
जेहदीपुर	26
शाहपुर पवार	03
	29

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर के गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

87–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त रविदास नगर अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र गोपीगंज को उच्चीकृत करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त केन्द्र उच्चीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त आवासों का निर्माण करवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जनपद मैनपुरी में 12 ब्लाक नहीं बल्कि केवल 9 ब्लाक हैं जिसमें कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के निवास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1995-96 का अवशेष 6,20,400 रुपये, वर्ष 1996-97 में 34,59,000 रुपये तथा वर्ष 1997-98 में 27,62,200 रुपये कुल 68,41,600 रुपये की धनराशि जनपद स्तर पर उपलब्ध है ।

उक्त आवासों के निर्माण हेतु सम्पूर्ण धनराशि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड–मैनपुरी का वित्तीय वर्ष 1997-98 में उपलब्ध करा दी गयी है । उक्त आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

छत्रपति साहू जी महराजनगर में खेरिहा बांध की टूटी परासिन नहर को बंधवाने की मांग

94—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जिला छत्रपति साहू जी महराजनगर में खेरिहा बांध की परासिन नहर टूट गयी है ? यदि हां, तो इस नहर को बंधवाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

धन उपलब्धता के अनुसार निर्माण कराया जायेगा ।

केन नदी की बाढ़ से बांदा शहर को बचाने हेतु तटबन्ध बनाने की मांग

95—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा में केन नदी की बाढ़ से शहर को बचाने के लिये बांदा में तटबन्ध बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । वर्ष, 1983 में तटबन्ध बनाकर बांदा शहर को निम्नी नाले में आने वाले बाढ़ के पानी से बचाने हेतु रु० 24.42 लाख की योजना स्वीकृत हुई थी लेकिन धन अभाव के कारण कार्य नहीं हुआ । इस परियोजना हेतु वर्ष 1984-85 में भूमि अध्यापित अधिकारी द्वारा भूमि प्रतिकर के रूप में रु० 79.65 लाख पुनरीक्षण के पश्चात मांग की गई । पूरी धनराशि उपलब्ध न होने के कारण भूमि उपलब्ध न हो सकी । अतः इस योजना पर आवंटित धनराशि समर्पित कर दी गई । परियोजना का पुनरीक्षण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा ब्लाक बड़ोखर खुर्द की अनुसूचित जाति की बस्तियों में हैण्ड पम्पों की स्थिति की जानकारी

96—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गोयरा मुगली ब्लाक बड़ोखर खुर्द जिला बांदा में वर्ष 1998 में कुल कितने हैण्डपम्प लगाये गये ? इनमें से अनुसूचित जाति की बस्ती में कितने

लगाये गये हैं ? क्या मानक के अनुसार अनु० जाति बस्ती में हैण्डपम्प लगे हैं ? यदि नहीं, तो अनु० जाति बस्ती में कितने हैण्डपम्प कब तक लगवाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम गोयरा मुगली ब्लाक बड़ोखर खुर्द जिला बांदा में वर्ष 1998 में कुल 16 हैण्डपम्प लगाये गये हैं। ग्राम में कुल 18 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है।

वर्ष 1998 में अनुसूचित जाति की बस्ती में दो हैण्डपम्प लगाये गये हैं। बस्ती में कुल तीन हैण्डपम्प अधिष्ठापित है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत रविदास नगर की ज्ञानपुर पम्प नहर (रजबहा) से निकलने वाली कतिपय रजबाहा के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

97.–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर की ज्ञानपुर पम्प नहर (रजबाहा) से निकलने वाली बारीपुर राजबाहा एवं इन्दारा गांव रजबाहा का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ? क्या यह सही है कि इसका निर्माण न होने के कारण हजारों एकड़ जमीन असिंचित रहती है ? सरकार इसे पूर्ण कराने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी हां।

शेष रह गये गैप की खुदाई हेतु भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

बलिया वि० सभा क्षेत्र द्वाबा में दूबे-छपरा–टेंगरही बांध के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

98.–श्री भरत सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र द्वाबा में दूबे–छपरा–टेंगरही बांध क्या लगभग 15 वर्षों से अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त बांध कब तक बनकर पूर्ण हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1996 से कार्य रुका हुआ है।

उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

बलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनवानी के रुके निर्माण कार्य को पुनः चालू कराये जाने की कार्यवाही की जानकारी

99.–श्री भरत सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बलिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनवानी, विधान सभा क्षेत्र द्वाबा का निर्माण कार्य जुलाई, 1998 में रोक दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का पुनः निर्माण कार्य कब तक शुरू कराकर पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

द्वारा विज्ञापन सं० 1/96-97 जिसके अन्तर्गत 121 आरक्षित पदों के चयन की संस्तुति लोक सेवा आयोग द्वारा प्राप्त हुई थी, को निरस्त किये जाने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

105—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[3रे सोमवार में अता० प्र० सं०–11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जालौन खण्ड विकास कदौरा क्षेत्र में नहर पट्टी को पक्का कर जल निकासी हेतु मानक के अनुसार कुलाबा लगाने की जानकारी

106—श्री श्रीराम पाल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–जालौन में बेतवा नहर की हमीरपुर शाखा पर खण्ड विकास कदौरा क्षेत्र में नहर पटरी को पक्का कराने का कार्य किया गया है ? यदि हां, तो क्या निर्मित पक्की सड़क की दूरी में जल निकासी हेतु कुलावा निर्धारित मानक के अनुसार हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

कुलाबा निर्धारित मानक के अनुसार लगाये गये हैं।

जालौन बेतवा नहर के रजबहों व माइनरों पर कराये गये कार्यों की जांच की मांग

107—श्री श्रीराम पाल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के बेतवा नहर प्रथम में बरसात के बाद रजबहों व माइनरों की टूट-फूट व कटिंग को ठीक कराये जाने की सींच पालों द्वारा बनायी गयी रिपोर्ट के मुताबिक कार्य न कराकर मनमाने रूप से फर्जी कार्यों में धन आहरित करके वित्तीय अनियमिततायें किये जाने की सतर्कता विभाग द्वारा जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

कोई वित्तीय अनियमितता दृष्टिगोचर न होने के कारण।

प्रश्न नहीं उठता।

108–श्री श्रीराम पाल–

[दिनांक 17-2-99 की अता० प्र० सं० 132 द्वारा उत्तरित।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम का संचित घाटा इसकी चुकता पूंजी से अधिक हो जाने के कारण इसे बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्सियल रिकांस्ट्रक्शन द्वारा दि सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशल प्रोवीजन्स) एक्ट के अन्तर्गत एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित करके इसकी 18 इकाईयों के निजीकरण का निर्देश दिया गया है । चूंकि रोहानाकला इकाई भी उक्त निजीकरण की जाने वाली इकाइयों में सम्मिलित है । अतः इसका विस्तारीकरण नहीं किया जा रहा है ।

मुजफ्फरनगर रोहाना कला चीनी मिल की क्षमता का विवरण

117—श्री रणधीर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर के रोहाना कला चीनी मिल के क्षेत्र में किसानों द्वारा 1 करोड़ चालीस लाख कुन्टल गन्ने का उत्पादन किया जाता है जबकि निगम की चीनी मिल केवल सीजन में 22 लाख कुन्तल गन्ना ही पेराई कर पाती है ? क्या अतिरिक्त गन्ने की पेराई हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई रोहाना के सुरक्षित क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में उत्पादित एवं चीनी मिल द्वारा पेरे गये गन्ने की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	गन्ना उत्पादन (लाख क्विं०)	गन्ना पेराई (लाख क्विं०)
93-94	163.75	26.56
94-95	163.94	28.99
95-96	155.04	33.16
96-97	151.27	26.08
97-98	128.34	23.49

चीनी मिल में गन्ना आपूर्ति के अतिरिक्त खाण्डसारी इकाइयों को आपूर्ति करने, गुड़, रस आदि के उत्पादन में खपत करने तथा बीज के रूप में उपयोग करने के विकल्प कृषकों को उपलब्ध है ।

प्रश्न का नहीं उठता है ।

रोहाना कला चीनी मिल के किसानों के गन्ने मूल्य के भुगतान की मांग

118—श्री रणधीर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि रोहना कला चीनी मिल में पेराई सत्र दिनांक 9-11-98 से प्रारम्भ हो चुका है ? क्या अभी तक किसानों को गन्ने मूल्य का भुगतान आरम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । कृषकों को दिनांक 31-1-99 तक 5.09 करोड़ रु० गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं है ।

भुगतान प्रगति में है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन ग्राम विकास अभिकरण अंश से सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ कराये गये कार्यों की जानकारी

122—श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में माह अक्टूबर/नवम्बर, 1998 में ग्राम्य विकास अभिकरण अंश से व सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से स्वीकृत किये गये कार्यों के आगणन तैयार होकर कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कालपी विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ न किये जाने में विलम्ब के लिये दोषी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माह अक्टूबर/नवम्बर, 1998 में ग्राम्य विकास अभिकरण अंश से किसी कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई व सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत 112 कार्यों में से 66 कार्य प्रारम्भ है ।

कालपी विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत 38 कार्यों में से 21 कार्य प्रारम्भ है, शेष 17 कार्य तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न होने, खेतों में फसल खड़ी होने, जल भराव, विवाद होने, नहरों में पानी चलने के कारण प्रारम्भ नहीं हो सके हैं । अतः विलम्ब के लिये कोई दोषी नहीं है ।

लागू नहीं होता ।

जनपद प्रतापगढ़ में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत चयनित कार्यों में शासनादेश का अनुपालन कराये जाने की जानकारी

123–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत चयनित कार्यों में शासनादेश का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सदर विधान सभा क्षेत्र, प्रतापगढ़ में उक्त योजना के विभिन्न कार्य किसकी-किसकी संस्तुति पर किये गये हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सदर विधान सभा क्षेत्र, प्रतापगढ़ में प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत मा० विधान सभा सदस्य, मा० विधान परिषद् सदस्य एवं मा० सांसद, प्रतापगढ़ की संस्तुतियों पर निर्माण कार्य कराये गये हैं ।

जनपद रायबरेली में महिला कल्याण विभाग के रसोइया की सेवाएं समाप्त का मामला

124–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में महिला कल्याण विभाग में रसोइया के पद पर कार्यरत कर्मचारी की जांच कराई गई ? क्या वह जांच में दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां ।

दोषी कर्मचारी की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली में वर्ष 1996-97 में विधवा पेंशन की स्वीकृति एवं जांच की मांग

125–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–रायबरेली में वर्ष 1996-97 में विधवा पेंशन कुल कितनी महिलाओं के लिये स्वीकृति की गई ? क्या स्वीकृद पेंशनों की जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई गई ? यदि हां, तो उस जांच में कितनी स्वीकृत पेंशन फर्जी पाई गई ? दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जनपद रायबरेली में वर्ष 1996-97 में 526 महिलाओं को विधवा पेंशन स्वीकृत की गयी है ।

जी हां ।

526 महिलाओं को स्वीकृत विधवा पेंशन में से 105 महिलाओं को स्वीकृति विधवा पेंशन फर्जी पायी गयी ।

प्रकरण में दोषी पाये गये जिला परिवीक्षा अधिकारी को निलम्बित कर उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16-2-99 को मुकदमा अपराध संख्या–122/99 के अन्तर्गत थाना कोतवाली, रायबरेली में अंकित कराई जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोण्डा विकास खण्ड वजीरगंज आदि में सुनिश्चित रोजगार योजना में स्वीकृत मार्गों पर मानक के अनुसार कराये गये कार्यों की जांच

126–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड वजीरगंज, मनकापुर, नवाबगंज, छपिया में वर्ष 1997-98, 1998-99 में "सुनिश्चित रोजगार योजना" में स्वीकृत मार्गों पर खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा मानक के अनुरूप कार्य नहीं करवाया है ? क्या उक्त कार्यों में शासन के पत्र संख्या 1480/38-4-50/जे०आर०वाई०/96, दिनांक 31-5-97 में दिये गये 14 बिन्दुओं के निर्देशों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र तिलहर में समाज कल्याण विभाग द्वारा फर्जी नामों से लोन वितरण के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

135-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र तिलहर शाहजहांपुर में समाज कल्याण द्वारा फर्जी नामों से लोन का वितरण कर सरकार के लाखों रुपये का घोटाला किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का रजि० पत्र दिनांक 6-4-98 को या इसके आस-पास जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार उपरोक्त पत्र की जांच किसी उच्चाधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी विकास खण्ड बेवर के निकट निगोह रजबहा पर पुलिया बनवाने की मांग

136-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का प्रमुख सचिव सिंचाई को सम्बोधित पत्रांक-2811 व 2812/पी०एस०एस०/बी०आई०पी०/98 दिनांक 21-8-98 बाबत निगोह रजबहा पर पुलिया व मझोला स्कैप पर पुल बनवाये जाने विषयक प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं और उसमें अब तक बिन्दुवार क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार पत्रों में वांछित पुलिया व पुल बनवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां ।

1-पत्र संख्या-2811/पी०एस०एस०/बी० आई० पी०/98 दिनांक 21-8-98 में मा० सदस्य ने जनपद मैनपुरी के ग्राम कमालपुर महमुदिया डा० नबीगंज, विकास खण्ड बेवर जनपद मैनपुरी के निकट निगोह रजबहा की पुलिया टूट गयी है, को तत्काल निर्माण कराने की मांग की गयी थी, विभाग द्वारा यह कार्य माह दिसम्बर, 1998 में ही करा दिया गया है ।

2-पत्र संख्या 2812/पी०एस०एस०/बी० आई० पी०/98 दिनांक 21-8-98 में मा० सदस्य ने जनपद मैनपुरी के ग्राम सोवनपुर (परौखा) ब्लाक बेवर के सम्मुख मझोला स्कैप पर ट्रैक्टर निकालने योग्य पुल की मांग की गयी है । यह स्थल मझोला स्कैप के कि०मी० 5.30 पर है । इस स्कैप के कि०मी० 4.65 पर पूर्व में ही एक सेतु निर्मित है । अतएव एक पुल के विद्यमान होते हुये इतने निकट ट्रैक्टर निकालने योग्य सेतु बनवाना प्रस्तावित नहीं है ।

137-श्री अजय कुमार पोइया-

[उत्तर सोमवार में अता० प्र० सं०-181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फतेहपुर ग्राम सभा मिस्सी को जवाहर रोजगार योजना हेतु आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन

138-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा मिस्सी विकास खण्ड खजुहा, तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1989-90 से 1995-96 तक कुल कितनी

धनराशि आवंटित की गयी ? उक्त आवंटित धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ? क्या किये गये कार्य का भौतिक सत्यापन किसी उच्च स्तरीय एजेन्सी से कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत जनपद फतेहपुर के बिन्दकी तहसील के ग्राम मिस्सी को वर्ष 1989-90 से 1995-96 तक कुल रु० 2,24,965/- की धनराशि आवंटित की गयी है ।

उक्त आवंटित धनराशि से कूप मरम्मत, रास्ता पुराई, निर्बल वर्ग आवास, स्कूल मरम्मत, मैदान पुराई, नाली खुदाई एवं निर्माण, स्टेशनरी तथा खड़न्जा निर्माण का कार्य कराया गया ।

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों का सत्यापन जिला सेक्टर अधिकारी से कराया जा रहा है ।

लागू नहीं होता ।

समाज कल्याण विभाग के लिपिक वर्गीय संशोधित सेवा नियमावली के अनुसार कर्मचारियों का महिला कल्याण विभाग में स्थानान्तरण

139–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1991 का संशोधन वर्ष 1998 में करते हुये मुख्यालय एवं जिला स्तरीय कर्मचारियों का संवर्ग अलग-अलग किया गया है ? क्या नियमावली से आच्छादित कर्मचारियों की प्रोन्नति की गयी है ? यदि हां, तो क्या महिला कल्याण में समाज कल्याण से स्थानान्तरित कर्मियों की प्रोन्नति उसी नियमावली के अन्तर्गत की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीशजी'–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

समाज कल्याण से महिला कल्याण में पदधारक पद तथा योजना सहित स्थानान्तरित हुये हैं, अतएव समाज कल्याण में उनकी पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मेरठ के महिला कल्याण विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

140–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मेरठ के महिला कल्याण विभाग में दिनांक 8-8-97 को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति की गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त नियुक्ति अधिकारी को नियुक्ति करने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी नहीं ।

संबंधित अधिकारी को आरोपित कर अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ मेडिकल कालेज में उपचारिकाओं को पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण

141—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना—

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मेडिकल कालेज मे उपचारिकाओं को पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 1-1-96 से वेतन का निर्धारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिये दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा—

जी हां, पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 1-1-96 से पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के सठियांव चीनी मिल की समय से पेराई आरम्भ तथा समस्त गन्ने की खरीद के उपरान्त क्रय केन्द्र बन्द करने का मामला

142—नरेन्द्र सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की सठियांव चीनी मिल में सत्र 1998-99 में गन्ना पेराई किस तिथि को प्रारम्भ हुई तथा सठियांव चीनी मिल का गन्ना कांटा केन्द्र पलहना, मेहनाजुर, कजहित तथा ज्ययोली (बरदह) किस तिथि से प्रारम्भ हुआ ? क्या देर से उक्त चार गन्ना केन्द्रों को चालू करने के कारण गन्ना किसानों का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार देर मे उक्त गन्ना क्रय केन्द्र चालू करने वाले अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जनपद आजमगढ़ की सठियांव चीनी मिल ने पेराई सत्र 98-99 में दिनांक 6-12-98 को पेराई कार्य प्रारम्भ किया ।

प्रश्नगत क्रय केन्द्रों के चलने की तिथियां निम्नवत् हैं :—

क्रय केन्द्र का नाम	चलने की तिथि
1—पलहना	21-12-98
2—मेहनाजपुर	22-1-99
3—ज्ययोली	09-12-98

कजही नाम से कोई क्रय केन्द्र सुरक्षित नहीं है । कजही ग्राम की खरीद देवगांव पर होती है जो दिनांक 29-12-98 को प्रारम्भ हुई है । चारों गन्ना केन्द्रों पर पेराई योग्य समस्त गन्ने की खरीद के उपरान्त ही पेराई सत्र में अन्तिम रूप से बन्द कर दिया गया है । इससे कृषकों को हानि नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन नहर विभाग के कार्यों का अंकन एवं कतिपय उपखण्डों की स्थिति की जानकारी

143—श्री श्रीराम पाल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा विकास कार्यों तथा निर्माण कार्यों में पारदर्शिता तथा कार्यों के निरीक्षण में जनप्रतिनिधि को अवगत कराने की नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो

जनपद जालौन में नहर विभाग (बेतवा नहर) के निर्माण कार्यों को प्रगति पुस्तिका में दर्शित न कराये जाने के कारण क्या है ? क्या यह सच है कि बेतवा नहर हमीरपुर शाखा तथा कुठौंद शाखा के उपखण्डों में मात्र कार्य दर्शित करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या कराये गये कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

निर्माण कार्यों की प्रगति मासिक पुस्तिका में प्रतिमाह दर्शायी जाती है ।

इस प्रकार का कोई तथ्य शासन की जानकारी में नहीं है ।

सम्प्रति इसका प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि कोई अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं हुई है ।

गन्ना विभाग से बनी पुरानी सड़कों की मरम्मत व पुनर्निर्माण की स्थिति

144—प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विभाग से बनी पुरानी सड़कों की मरम्मत व पुनर्निर्माण की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना विकास विभाग की अन्तग्रामीण सड़क निर्माण योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत अंशदायी अधार पर सड़क निर्माण हेतु अंशदान स्वरूप धन स्वीकृत किया जाता है । इसके तहत सड़क निर्माण हेतु प्राप्त अंशदान के अन्तर्गत ही सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने का प्राविधान किया गया है । शासन से सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु अलग से कोई धन स्वीकृत नहीं किया जाता है ।

आजमगढ़ मार्टीनगंज ब्लाक के कतिपय माइनरों के पानी से किसानों की फसलों को नुकसान की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को दिए गये पत्र पर कार्यवाही की मांग

145—श्री हरदेव सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद मार्टीनगंज–ब्लाक के अन्तर्गत भगवानपुर–कुरथुवा माइनर से ग्राम–कोहरौली के अन्तर्गत दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर से माइनर निकाले गये है ? क्या यह सही है कि उक्त माइनर (नाली) के पानी से उक्त ग्राम कोहरौली के किसानों के खेत में जल जमाव हो जाने से प्रत्येक वर्ष फसलें डूब जाती है ? क्या मंत्री जी उक्त किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति दिलायेंगे ? क्या यह सही है कि उक्त किसानों के दिनांक 15-7-97 व यूनियन का पत्रांक 754/दिनांक 27-7-97 व पत्रांक 890/दिनांक 30-8-97 तथा पत्रांक 1042/दिनांक 14-10-97 मंत्री जी को तथा जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

किसानों को सिंचाई हेतु पानी न मिलकर इधर उधर बह रहा है ? क्या सरकार उक्त नलकूप के नालियों का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । ग्राम पिपरा ग्रामसभा बढ़या विकास खण्ड बधौली जनपद सन्त कबीर नगर में राजकीय नलकूप संख्या-132 के बजाय नलकूप संख्या-133 स्थित है । इस वर्ष भीषण बाढ़ के कारण जल निकासी हेतु स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा जगह-जगह नलकूप की नाली को काट दिया गया था ।

बाढ़ से क्षतिग्रस्त नालियों की आवश्यकतानुसार मरम्मत कराई जा रही है ।

मरम्मत का कार्य प्रगति में हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ की कतिपय विधवाओं को विधवा पेंशन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजधारी विधायक का पत्र

148—श्री राम विशुन आजाद–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुमन तिवारी चरस मण्डी हाथी खाना लखनऊ श्रीमती रजनी लता सिन्हा निवासी 292 हरीनगर दुगावां लखनऊ तथा श्रीमती रीता राठौर निवासी 70 हरीनगर दुगांवा लखनऊ के भरण पोषण हेतु विधवा पेंशन स्वीकृत किये जाने विषयक श्री राजधारी विधायक का पत्र दिनांक 21 अगस्त, 1998 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन लोगों को कब तक पेंशन उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी हां । श्रीमती सुमन तिवारी एवं श्रीमती रजनी लता सिन्हा को विधवा पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु दिनांक 21-8-98 के मा० विधायक के दो पत्र प्राप्त हुए थे । श्रीमती रीता राठौर के विषय में दिनांक 21-8-98 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

उपर्युक्त दोनों आवेदकों ने अपनी मासिक आय 308/ रु० अंकित की है, जो पात्रता हेतु निर्धारित आय सीमा से अधिक है । अतः इन्हें निराश्रित विधवा पेंशन देने का प्रश्न नहीं उठता ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्री प्रभा शंकर पाण्डेय प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय/हंडिया इलाहाबाद का वेतनमान

149—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रभा शंकर पाण्डेय बनाम निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा, उ०प्र० एवं अन्य से संबंधित रिट याचिका संख्या 8734/91 के मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन हेतु याची श्री प्रभा शंकर पाण्डेय, संस्कृत प्रवक्ता, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, हंडिया, इलाहाबाद ने दिनांक 14-12-98 को सचिव, चिकित्सा शिक्षा को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या याची को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित अनुतोष दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या 233/71–2–99–डब्लू–332/93 दिनांक 6-2-99 द्वारा श्री प्रभाशंकर पाण्डेय को प्रवक्ता (संस्कृत) का वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है ।

संत रविदास नगर के ज्ञानपुर में शासन द्वारा स्वीकृत हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन

150—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि शासन द्वारा 25 हैण्ड पम्प स्थापित किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत होने के बाद भी आज तक जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर, विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्प नहीं लगाये गये ? क्या उक्त कार्य पूर्ण कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नगत 25 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम सभा इछोई के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कथित धन के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायती पत्र पर जांच

151—श्री रणधीर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा इछोई विकास खण्ड–अमानीगंज, तहसील–मिल्कीपुर जनपद–फैजाबाद के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग की जांच कराने के संबंध में विधायक श्री ओम प्रकाश यादव का पत्र सं० 596/98 दिनांक 29-7-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जांच में ग्राम प्रधान दोषी नहीं पाये गये । प्रधान द्वारा कराये गये कार्य सही पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई मल्लावां के ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराने की मांग

152—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुतुबापुर, ग्राम पंचायत तेरवा कुल्लो में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 1989 में खोले जा चुके

क्यों ? मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कब तक कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी नहीं ।

वर्ष 1991 के अधियाचित/विज्ञापित पदों के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार उनके द्वारा 13 रक्षित पदों के विरुद्ध उ०प्र० लोक सेवा आयोग के पत्र के क्रम में 12 याचियों की नियुक्ति प्रदान की गई तथा अन्य याचियों के प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं पर दिये गये निर्णयों पर प्रदत्त निर्देश के क्रम में बाद में वर्ष में हुई रिक्तियों के विरुद्ध उ० प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को निदेशालय के पत्रांक 2312/स्था०, दिनांक 10-9-97 द्वारा संदर्भित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुति/निर्देश के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

156–श्री अफजाल अहमद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

अधिशासी अभियन्ता नलकूप का सब डिवीजन बेल्थरा रोड बलिया में खोलने की मांग

157–श्री अफजाल अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप प्रखण्ड प्रथम बलिया द्वारा वर्ष 1995 में बेल्थरा रोड में सब डिवीजन खोलने का आदेश दिया था ? क्या स्थानीय कर्मचारियों को वेतन व अन्य कार्य हेतु रसड़ा सब डिवीजन आना जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार 1995 में हुये आदेशों का अनुपालन करते हुए उक्त डिवीजन खोलने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

वर्ष 1995 में बेल्थरा रोड (सीयर) में सब डिवीजन खोलने के आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं, इसलिये सब डिवीजन (सीयर) बेल्थरा रोड में खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

रसड़ा में नलकूप कालोनी निर्मित है यहां पर आवासीय एवं अनावसीय भवन उपलब्ध हैं जिसमें उपखण्ड एवं जिलेदारी कार्यालय पूर्व से ही स्थापित है ।

जनपद आजमगढ़ में स्वीकृत ब्लाक पल्हना में कार्य हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति

158–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में पल्हना ब्लाक स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या पल्हना ब्लाक में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति हो गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त ब्लाक में कब तक कर्मचारियों की नियुक्ति होकर ब्लाक कार्य करने लगेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

विकास खण्ड पल्हना में मानक के अनुसार पदों का सृजन विचाराधीन है और पद सृजित होने पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जायेगी । सम्प्रति खण्ड विकास अधिकारी, लालगंज तथा अनेक अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा पल्हना विकास खण्ड का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम कोहरौली के किसानों द्वारा पत्र अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग को दिये गये पत्र पर कार्यवाही की मांग

159–श्री हरदेव सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम–कोहरौली के किसानों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-7-97 व उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्रांक 754/दिनांक 27-7-97 व सिंचाई मजदूर संघ उ० प्र० का पत्रांक 890/दिनांक 30-8-97 व पत्रांक 1042/दिनांक 14-10-97 उन्हें व अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ दशम मण्डल, सिंचाई विभाग तथा अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड 23 आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

ग्राम कोहरौली विकास खण्ड मार्टिनगंज जनपद आजमगढ़ की जल निकासी हेतु 7.92 लाख रुपये का प्राक्कलन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आजमगढ़ को प्रेषित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ तहसील लालगंज में नया आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण कराया जाना

160–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में नया आश्रम पद्धति विद्यालय निर्माण करने की योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

क्रमांक	नाम समिति	घाटे की धनराशि (लाख रुपये में)
5	रामकोला (के०)	89.39
6	रामकोला (पी०)	95.66
7	पडरौना	58.64
8	कठकुइयां	12.56
9	दुदही	31.99
10	सेवरही	50.00
11	तरयासुजान	16.64
12	कसया	48.16
13	हाटा	153.21
	योग :	840.29

सहकारी गन्ना समितियों के खर्चे उनकी आमदनी से अधिक होने के परिणामस्वरूप यह समितियां घाटे में चल रही हैं। समितियों को अपने प्रशासनिक प्रबन्ध एवं अन्य व्ययों में कमी करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में वर्ष 1997–98 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा मानक के अनुसार कार्य न कराये जाने के संबंध में शिकायती-पत्र

164–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा वर्ष 1997-98 में कराये गये कार्य मानक के अनुसार नहीं है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र जिलाधिकारी कुशीनगर एवं मंडलायुक्त गोरखपुर को माह नवम्बर, दिसम्बर, 1998 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्यों की जांच करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जनपद कुशीनगर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा वर्ष 1997–98 में कराये गये कार्य मानक के अनुसार न होने के संबंध में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० सुरेश चन्द्र द्विवेदी सम्बद्ध आयुर्वेदिक निदेशालय, लखनऊ के विरुद्ध जांच की जानकारी

165–श्री अफजाल अहमद–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि डा० सुरेश चन्द्र द्विवेदी सम्बद्ध आयुर्वेद निदेशालय, लखनऊ के विरुद्ध अनेक गंभीर मामलों की जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे चिकित्साधिकारी को निदेशालय से बाहर हटाकर जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां ।

निदेशक आयुर्वेद से प्राप्त सूचना के अनुसार डा० द्विवेदी की निदेशालय में सम्बद्धता से उनके विरुद्ध जांच का कार्य प्रभावित न होने के कारण निदेशालय से उन्हें हटाकर जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

आयुर्वेद यूनानी निदेशालय, लखनऊ से सम्बद्ध लोगों के विरुद्ध जांच की जानकारी

166–श्री अफजाल अहमद–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में आयुर्वेद यूनानी निदेशालय लखनऊ में कितने बाहरी अधिकारी, चिकित्साधिकारी, कर्मचारी सम्बद्ध हैं और उनके विरुद्ध कितनी-कितनी जांचें लम्बित हैं ? क्या यह सही है कि श्री ओम प्रकाश तिवारी वरिष्ठ लिपिक आयुर्वेद निदेशालय के विरुद्ध कई जांचें लम्बित हैं ? यदि हां, तो उक्त जांचें पूर्ण कर कब तक उक्त को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

वर्तमान में आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय में तीन चिकित्साधिकारी, एक प्रधानाचार्य एवं 12 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्बद्ध हैं । दो अधिकारियों के विरुद्ध जांच लम्बित है ।

एक जांच लम्बित है ।

जांच पूर्ण होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के सरधना में सड़कों के पुनर्निर्माण का विवरण

167–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ में गन्ना विभाग की सरधना महादेव, दादरी–पीरपुर–मण्डौरा, सकौती–मण्डौरा, महलका–समसपुर, लावड़, खेड़ी–सरसवा, अहारना, सकौती मार्ग खराब होने के कारण अवरुद्ध है ? क्या सरकार उपरोक्त सड़कों का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो उन पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत मार्ग अवरुद्ध नहीं है । यह सही है कि उक्त मार्गों की स्थिति ठीक नहीं है ।

सरबना मार्ग से महादेव मार्ग–

इस 3.5 कि०मी० मार्ग में से 1.00 कि०मी० मार्ग 31 मार्च, 1999 तक पूर्ण हो जायेगा । शेष 2.5 कि०मी० मार्ग का पुनर्निर्माण फिलहाल धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है ।

दादरी-पीरपुर-मण्डौरा मार्ग–

धनाभाव के कारण इस 1.5 कि०मी० मार्ग का निर्माण होना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

सकौती मण्डौरा मार्ग–

धनाभाव के कारण निर्माण फिलहाल सम्भव नहीं है ।

महालका-समसपुरमार्ग–

इस मार्ग का पुनः निर्माण कार्य जून, 99 तक पूरा किया जाना सम्भावित है ।

लावड़, खेड़ी-सरसवा मार्ग–

इस 3.5 कि०मी० मार्ग में से 1.5 कि०मी० पर पुनः निर्माण का कार्य हो चुका है । शेष भाग धनाभाव के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है ।

अहारना मार्ग–

इस 2.4 कि०मी० में से .9 कि०मी० पर पुनः निर्माण कार्य हो चुका है । शेष भाग धनाभाव के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है ।

सकौती मार्ग–

इस 1.737 कि०मी० का निर्माण 31 मार्च, 99 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में विधवा पेंशन स्वीकृत करने हेतु अनुसूचित/सामान्य जाति के लाभार्थियों को आवंटित धनराशि एवं उनके भौतिक सत्यापन की जानकारी

168–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधवा पेंशन स्वीकृत करने के लिए अनुसूचित जाति एवं सामान्य जातियों के लिए अलग-अलग धनराशियां आवंटित की जाती हैं ? यदि हां, तो जनपद बरेली में 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में कुल कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? क्या अनुसूचित जाति की लाभार्थियों को आवंटित धनराशि का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जनपद बरेली में अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के लिये वर्षवार निम्न प्रकार धनराशि आवंटित की गई :–

[आवंटित धनराशि लाख रुपये में]

वर्ष	अनुसूचित जाति	सामान्य जाति
1995–96	—	79.217
1996–97	98.78	44.031
1997–98	44.85	49.838

(वर्ष 1995-96 में अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के लिये एक साथ धनराशि आवंटित की गई थी ।)

जी हां ।

ग्रामीण क्षेत्र की बचनबद्ध अनुसूचित जाति के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन नोडल अधिकारियों से करा लिया गया है । नहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को आवंटित धनराशि का भौतिक सत्यापन प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

169–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

बाल विकास परियोजना अधिकारी रायबरेली को वित्तीय अनियमितताओं हेतु निलम्बित किया जाना

170–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली की बाल विकास परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के चयन तथा नियुक्तियों में भ्रष्टाचार बरतने के आरोप में संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार अनियमित चयन के आधार पर की गई नियुक्तियों को निरस्त करेगी ? क्या पारदर्शी चयन पुनः कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो इन अनियमित एवं अवैध नियुक्तियों को बनाये रखने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

बाल विकास परियोजना अधिकारी (प्रभारी) रायबरेली को वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं हेतु निलम्बित किया गया है। उन पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के चयन तथा नियुक्ति में भ्रष्टाचार बरतने का आरोप नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला एवं बाल विकास के सचिवालय स्थित प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आहरण

171–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि महिला एवं बाल विकास के अधीन एक सचिवालय स्तरीय प्रकोष्ठ गठित है जिसमें सचिवालय कर्मचारियों के अतिरिक्त निदेशालय के कर्मचारी भी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो सचिवालय स्तरीय पदों के विरुद्ध निदेशालय स्तर के कर्मचारियों का वेतन किन वित्तीय नियमों के तहत आहरित किया जा रहा है ? इस कार्य में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां।

उ०प्र० सचिवालय स्थित प्रकोष्ठ में, वर्तमान में केवल तीन कर्मचारी निदेशालय से कार्यहित में सम्बद्ध हैं, जिनका वेतन निदेशालय से ही आहरित हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर एवं देवरिया के विभिन्न चीनी मिलों पर कृषकों का वर्ष 1997–98 के बकाये का पूर्ण भुगतान कराने की मांग

172–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर एवं देवरिया के विभिन्न चीनी मिलों पर कृषकों का वर्ष 1997-98 का कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? उसका पूर्ण भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 12-2-99 तक प्राप्त स्थिति के अनुसार कुशीनगर जनपद की चीनी मिलों पर वर्ष 1997–98 का निम्न प्रकार गन्ना मूल्य बकाया है :–

क्र० सं०	नाम चीनी मिल	बकाया गन्ना मूल्य (लाख रुपये में)
1	कप्तानगंज	1110.99
2	पडरौना	1103.94
3	कठकुइयां	381.18

उक्त मिलों की आर्थिक स्थिति खराब है तथापि यथाशीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

वृद्धावस्था पेंशन के कार्य को जिला समाज कल्याण अधिकारी को देने की मांग

173–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण का विषय होने के बावजूद जनपदों के परगनाधिकारी (राजस्व) द्वारा स्वीकृत किया जाता है और उसके वितरण का कार्य जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वृद्धावस्था पेंशन के कार्य जिला समाज कल्याण अधिकारी को देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां, इस कार्य में राजस्व विभाग के सहयोग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये तद्नुसार व्यवस्था की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र, लखनऊ में सामान्य क्रय किये जाने वाले समिति के सदस्यों की सूची की जानकारी

174–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र, लखनऊ के निदेशक–प्रोफेसर द्वारा वर्ष 1995-96 व 1996-97 के वित्तीय वर्ष में अनुबन्धित फर्मों द्वारा नियमानुसार सामानों का क्रय किया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त अनुबन्धित फर्मों से सामानों का क्रय न करने का क्या कारण था ? क्या सरकार बतायेगी कि सामान क्रय करने हेतु कोई समिति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस समिति के सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जी हां।

क्रय समिति के सदस्यों की सूची निम्नवत् है :–

1-निदेशक–प्रोफेसर	अध्यक्ष
2–वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
3–वरिष्ठ चिकित्साधिकारी-कम-रीडर	सदस्य
4–प्रभारी क्रय	सदस्य सचिव
5–वित्त एवं लेखाधिकारी	सदस्य

शासनादेश संख्या 1811/38-5-98-635/95 दिनांक 4-6-98 द्वारा जिला अधिकारियों को अपने जनपद की स्थिति यथा कार्यदायी संस्थाओं की क्षमता, कार्य कुशलता एवं हैण्डपम्पों की लागत मूल्य को ध्यान में रखकर हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य उ० प्र० जल निगम के साथ साथ यू०पी० एग्रो तथा अन्य सक्षम शासकीय संस्थाओं को भी दिये जाने का अधिकार प्रदत्त किया गया है ।

नगर विकास प्राधिकरण की भांति गांव विकास प्राधिकरण की योजना की जानकारी

177-प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास प्राधिकरण की भांति गांव विकास प्राधिकरण बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अंचलों में विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु पूर्व से ही जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्थापित है ।

जनपद संत रविदास नगर, ज्ञानपुर में राजीव फाउन्डेशन योजनान्तर्गत पूर्ण रूप से हैण्ड पम्पों के लगाये जाने की जानकारी

178-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-संत रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में राजीव फाउन्डेशन योजनान्तर्गत अभी तक पूर्ण रूप से हैण्डपम्प नहीं लगाये गये हैं और अभी भी बहुत से गांव उस परिधि में आते हैं ? यदि हां, तो इन्हें पूर्ण कराने की सरकार की क्या योजना है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

179-श्री लाखीराम जोशी-

[5वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

जनपद एटा के विकास क्षेत्र कासगंज में जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत बरेली मथुरा राजमार्ग से सलिमपुर वाया नगला शीशम तक मार्ग के निर्माण में की गई अनियमितता की जांच

180-श्री नेतराम सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली-मथुरा राजमार्ग से सलिमपुर वाया नगला शीशम विकास क्षेत्र कासगंज जिला एटा को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में पैक्सफेड दो लाख चालीस हजार रुपये के मिट्टी के काम का ठेका लिया गया है ? क्या उस पर मिट्टी का कोई कार्य न कर फर्जी पेमेन्ट की शिकायत 23 मई, 1998 को प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी एटा को दी थी ? क्या यह सत्य है कि मुख्य विकास अधिकारी एटा द्वारा जांचोपरान्त यह पाया गया था कि इस सड़क का भुगतान फर्जी हुआ है ? क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नकर्ता द्वारा 6 अगस्त, 1998 को जिलाधिकारी,

एटा की शिकायत पर धन वापसी की गयी थी ? क्या फर्जी भुगतान को वापिस किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वित्तीय वर्ष 1997-98 में जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत अभिकरण अंश से अधिशासी अभियन्ता पैक्सफेड एटा द्वारा तैयार किए प्राक्कलन के अनुरूप मदुरा-बरेली मार्ग से ग्राम सलेमपुर पिरोदा से नगला शीशम तक मिट्टी तथा दो पुलिया निर्माण हेतु रु० 2.349 लाख की धनराशि अधिशासी अभियन्ता पैक्सफेड एटा को अवमुक्त की गई थी । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, एटा की दिनांक 23-5-98 को शासी निकाय की बैठक में श्री बी०डी० राना (मा० विधायक के प्रतिनिधि) द्वारा उपर्युक्त सम्पर्क मार्ग पर कार्य पूर्ण न कराने की मौखिक शिकायत की गई है । परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एटा द्वारा की गई जांच में कार्यदायी संस्था द्वारा रु० 16,878.00 की धनराशि का दुरुपयोग होना पाया गया ।

जी नहीं ।

मुख्य विकास अधिकारी, एटा द्वारा अधिशासी अभियन्ता, पैक्सफेड को उपर्युक्त धनराशि वापस करने हेतु दिनांक 4-2-99 को आदेश जारी किया जा चुका है ।

लागू नहीं होता ।

सिंचाई विभाग में वाहन चालकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

181–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में 2206 वाहन चालकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने-कितने सामान्य, पिछड़े तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वाहन चालक कार्यरत हैं ? क्या रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विज्ञप्ति जारी न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिद्धार्थनगर ग्राम सभा चिउटहां के कतिपय ग्रामों में कोटे के लोगों की आवासीय समस्या का निदान कराने के सम्बन्ध में जानकारी

182–श्री अक्षयवर लाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष की भीषण बाढ़ में ग्राम सभा चिउटहां की ग्राम–मेहनुआ एवं चिउटहां जनपद सिद्धार्थनगर में बहुत अधिक मकान अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों के गिर गये हैं ? क्या सरकार भीषण आवासीय समस्या को देखते हुए 10-10 अनुसूचित जाति/इन्दिरा आवास बनवाने एवं इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम पंचायत चिउटहां में निम्न व्यक्तियों के आवास अतिवृष्टि के कारण गिर गये हैं :–

1–श्री शौकत अली पुत्र श्री शफात मुस्लिम

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर पेयजल से पूर्णरूपेण मानक के अनुसार संतृप्त किया जा चुका है ।

188–डा० सरजीत सिंह डंग–

[दि० 16-2-99 की अल्पसूचित तारांकित प्र० सं०–1 द्वारा उत्तरित ।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज की जो कार्यसूची है प्रश्नों को आप देखेंगे धर्मज्ञ मिश्र जी ने 16-11-98 को प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है । गोरखनाथ पाण्डेय जी ने 20-10-98 को सवाल पूछा था उसको 15वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न–1 के रूप में स्थानान्तरित किया गया है । क्या यह 15वां मंगलवार आएगा ? इसी तरह से श्री सीताराम निषाद के प्रश्न को भी स्थानान्तरित किया गया है । सरकार का यह रवैया है । प्रश्न पूछा जाए उसको आपके कार्यालय से सम्बन्धित विभाग को भेज दिया जाता है । इतने पहले से जो सवाल उठाए जाते हैं उनका उत्तर आता है कि सूचना एकत्र की जा रही है । दो-तीन महीनों के बाद भी तारांकित प्रश्नों की सूचना सदन में नहीं आ पाती है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आप कोई व्यवस्था दें । सदन में दो-दो, तीन-तीन, महीने पहले जो सवाल पूछे जाएं उनका उत्तर जब सदन शुरू हो तो सबसे पहले आएं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सम्बन्ध में पत्रावली देख लूंगा । 5वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या–1 को इंगित किया है मैं इसका परीक्षण करवा लेता हूं । उसके बाद इस पर अपनी व्यवस्था दे दूंगा ।

संसद की भांति विधान सभा में हेड फोन व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध

*श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कृपापूर्वक इस सदन में माइक और स्पीकर लगवा दिये हैं । लेकिन इस तरफ के माननीय सदस्यों को पीठ से कही गयी बात और सत्ता पक्ष की तरफ से कही गयी बात साफ सुनाई नहीं देती है । सम्भवतः इसी कठिनाई को दूर करने के लिए इन्सट्रूमेन्ट कुछ आये हैं जिसे लगाकर काफी स्पष्ट सुनाई देता है । अभी पटल कार्यालय में मैं गया था वहां पता चला कि अभी 45 इन्स्ट्रूमेन्ट आये हैं । पार्लियामेन्ट में इन्टरप्रेटनर दिये जाते हैं वह अनुवाद करते जाते हैं । मेरा अनुरोध है कि जिस तरह 48 इन्स्ट्रूमेन्ट आये हैं उसी तरह 200 भी आ सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

उपकरण क्रय करने का आदेश दे दिया गया है । इस समय 98 हैं, 102 अतिरिक्त क्रय के लिए आदेश दे दिये गये हैं जैसे ही आ जाएगा सदस्यों को वितरित हो जाएगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप 425 खरीदवा लें और हर माननीय सदस्य के आगे नाम सहित लगवा दें जिससे जब जो चाहे इस्तेमाल कर ले । इससे किसी किस्म की कठिनाई भी नहीं होगी ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 फरवरी, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत 25 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए नेम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं–पहली सूचना श्री के०सी० सिंह बाबा की है, दूसरी सूचना ी भीम प्रसाद सोनकर जी की है, तीसरी सूचना श्री राम सिंह सैनी की है, चौथी सूचना श्री अजय ुमार पोइया जी की है, पांचवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग जी की है, छठी सूचना श्री गजेन्द्र कुमार ना जी की है और सातवीं सूचना श्री भारत सिंह रावत जी की है । प्रतीक्षा सूची में श्री सुरेश कुमार ोवास्तव तथा श्री लाखी राम जोशी की सूचनाओं सहित श्री राम विशुन आजाद, श्री दद्दू प्रसाद, श्री यामदेव राय चौधरी, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री छोटे लाल, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री श्रीराम पाल, श्री ियाद हुसैन अंसारी, श्री बाबू लाल कुरील, श्री राम रतन यादव, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री बी० ार० शर्मा, श्री तेजभान सिंह, श्री अफजाल अहमद, डा० कौशल किशोर और श्री आर० के० चौधरी ी की सूचना को अस्वीकार किया जाता है ।

(स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गयीं ।)

जसपुरा, गदरपुर चीनी मिल के अस्थाई श्रमिकों को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री के० सी० सिंह बाबा–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जसपुर, गदरपुर चीनी मिल के अस्थायी श्रमिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में आकृष्ट किया जा रहा है । जिस समय ये दोनों चीनी मिलें निर्मित होने लगी उस समय भू-स्वामियों को जिनकी जमीनें अथवा खातेदार भूमि फैक्ट्री बनाने के लिए अधिग्रहीत की गयी थी उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जिन लोगों की जमीनें कारखाने हेतु निकली हैं, उनके परिवार के कम से कम एक आदमी को उसकी योग्यतानुसार काम दिया जायेगा और वह भी स्थायी तरीके से । मगर आज तक यद्यपि कारखानों को खुले काफी समय हो गया मगर अधिकांश लोगों को जिन्हें बहुत पहले स्थायी हो जाना चाहिए आज तक उन्हें स्थायी नहीं किया तथा अनेकों को काम पर भी नहीं लिया गया । आज तक दानवीरों (श्रमिक) का कोई पुरसाहाल नहीं है । कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रयास किये मगर असफल रहे आज कल भीषण महंगाई के वक्त इन दैनिक वेतनभोगियों के परिवारों की क्या हालत होगी, कहना कठिन है । दोनों कारखानों में कितने दानवीरों को नौकरी दी गयी, कितने अभी अवशेष हैं, जांच कराकर इसकी सूची मुझे दिलवाने के लिए शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा शीघ्र स्थायी नियुक्ति शेष लोगों की, की जाये ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उपरोक्त गांवों का विकास कार्य एवं विद्युत सुविधा तत्काल मुहैय्या कराये जाने की मांग करता हूं।।

पौड़ी गढ़वाल में प्रशिक्षित स्नातकों की एल०टी० ग्रेड में नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भारत सिंह रावत–

[मान्यवर, गढ़वाल मण्डल के मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में गत माह अक्टूबर से शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालय बन्द पड़े हैं, बन्द पड़ने का कारण मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थानीय प्रशिक्षित स्नातकों को एल०टी० वेंतनक्रम में नियुक्ति देने में विलम्ब करना एवं सक्षम शिक्षा अधिकारी को नियुक्ति देने से रोकना है। प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन गढ़वाल ने अपनी न्यायपूर्ण मांगें नियुक्तियों में शासनादेश के अनुसार समूह "ग" प्रशिक्षित एल०टी० ग्रेड अध्यापकों की नियुक्ति में शासन की पक्षपातपूर्ण एवं ढुलमुल नीति के कारण आन्दोलन व कार्यालयों में तालाबन्दी का क्रम चलाया हुआ है जिससे जिला एवं मण्डल शिक्षा व्यवस्था चरमरा गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शासन को प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन गढ़वाल की मांगों को स्वीकार करने हेतु निर्देशित कर दें।।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत कई सूचनायें प्राप्त हुई थी। जब मैं नियम 300 की सूचनाओं के बारे में सुन रहा था तो मैंने कहा था कि इसकी कुछ अनिवार्यतायें हैं, जिनका पूरा होना आवश्यक है। कुछ नियम–300 के अन्तर्गत सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनका परीक्षण करें और कड़ाई से परीक्षण करें तो वह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं लेकिन चूंकि कुछ माननीय विधायकों से संबंधित समस्यायें हैं, इस लिये मेरा एक सुझाव है और मुझे विश्वास है कि आप उसे स्वीकार कर लेंगे। माननीय विधायकों से संबंधित समस्यायें, विशेषकर हैण्ड पम्प का उल्लेख हुआ है, कुछ और भी बातें हैं, इसलिये मैं कल इस संबंध में सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुला रहा हूं और मैं उसमें अपेक्षा करूंगा कि माननीय विधायकों की समस्याओं के समाधान के लिये कोई एक ऐसा फोरम या नीति बनाई जाय, जिससे माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने की आवश्यकता सदन में न पड़े। 2–3 माननीय सदस्य नामित कर दिये जायं। जैसे एक समिति बने जो विधायकों की समस्याओं के संबंध में अनुश्रवण कर सके, ऐसा कुछ लोगों ने विचार प्रस्तुत किया है। नियम 300 के अन्तर्गत जो अपनी समस्यायें उठाई हैं, उनका हल निकालने का प्रयास करूंगा। अब जैसे श्री राम ललित चौधरी जी की सूचना है माननीय विधायकों को इस वर्ष 25 इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प का आवंटित नहीं किया जाना इस बात पर चर्चा भी हुई थी।

दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है, जो नियम–300 के अन्तर्गत कुछ आ सकती है।

नियम–301 के अन्तर्गत दी गई सूचना का समय से पूर्ण उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, नियम–51 के अन्तर्गत हमने एक सूचना इसी माननीय सदन में 24-7-98 को दी थी, उसमें यह विषय था कि उत्तर प्रदेश में जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, निगम हैं, उसमें से बहुत सारे निगम घाटे में चल रहे हैं और बहुत सारे उपक्रमों में प्रशासक और अध्यक्ष बना दिये गये हैं, जिससे तमाम

फिजूल खर्ची हो रही है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है और करप्शन भी बढ़ रहा है । एक ओर बहुत घाटा हो रहा है और सरकार के सामने बहुत ही बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हुआ है । मैंने यह सूचना मांगी थी । मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि नियम–51 के अन्तर्गत नहीं, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दी थी । अभी तक मान्यवर, इसमें कोई जवाब नहीं दिया गया । इसमें कई रिमाइन्डर दिये गये हैं । 3 दिसम्बर, 1998 को दिया गया उसके बाद मा० श्री जय नारायण तिवारी मंत्री सार्वजनिक विभाग ने 17 अक्टूबर 98 को दिया है कि सूचना मंगाई जा रही है । सदन के अन्दर जो माननीय सदस्य समस्याएं उठाते हैं या प्रश्न करते हैं तो नियमों के अन्तर्गत उनका उत्तर समय से मिल जाना चाहिए । मान्यवर, एक साल होने जा रहा है नियम 301 की सूचना का जवाब अन्तिम रूप से अभी तक नहीं आया । यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । सरकार के इस रवैये के बारे में अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है अभी व्यवस्था का सवाल श्री वर्मा जी उठा रहे थे और भी सदस्य उठाते रहे हैं । मान्यवर, यह स्थिति ठीक नहीं है आप सरकार को निर्देश दें कि आइन्दा इस तरह का रिपीटीशन न हो और समय सीमा के अन्दर सदस्यों को जवाब मिल जाय । मैं औचित्य के इस प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार माननीय सदस्य को दो बार पत्र लिखकर इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया क्योंकि इसमें जानकारी इतनी विस्तृत चाही गयी है । निगमों की संख्या अधिक है हर एक के बारे में सूचना देनी है । गलत उत्तर दे दें तो वह ठीक नहीं है दो बार संबंधित मंत्री ने पत्र लिखा और कठिनाई बता दी जैसे ही कठिनाई दूर होगी आपको अवगत करा दिया जायेगा । ऐसा नहीं है कि आपकी बात का संज्ञान नहीं लिया । आपकी बात का संज्ञान लेते हुए नियमानुसार आपको सूचित कर दिया । इतनी विस्तृत सूचना के लिये तो समय लगेगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के पैरा–4(1) में इस बात का उल्लेख है कि 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाई गई सूचनाओं का उत्तर माननीय मंत्रियों के हस्ताक्षर से एक माह के भीतर होना चाहिए । प्रश्नगत मामले में अभी तक केवल अंतरिम उत्तर भेजा गया है । मैं संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे सभी मंत्रियों को इस बारे में निदेश दें और उन्हें इस प्रविधान से अवगत करायें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें ।

मंत्रि परिषद् के सम्मानित मंत्री की नियुक्ति सचिव सहकारिता द्वारा प्रशासक के पद पर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना माननीय तिवारी जी की है । माननीय तिवारी जी आप यह बतायें कि यह 300 में आयेगी कैसे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपके रिजेक्ट करने के बाद मैंने नियम पढ़ लिया है । उसके अनुसार बताऊंगा ।

श्री अध्यक्ष–

अभी आपकी सूचना को निरस्त करने की घोषणा मैंने सदन में कहां की है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के लिए 14 दिन निर्धारित किए हैं जबकि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में 24 दिन की व्यवस्था है । मान्यवर, 188 (2) में है कि "उपनियम (1) के अधीन रहते हुए अनुदान की मांग ऐसे क्रम में उपस्थित की जायेगी जैसाकि सदन नेता विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करें ।"

कभी कोई विवाद नहीं होगा और कभी विवाद होगा, में आ जाता है । इसलिए कार्य-मंत्रणा समिति की बात को मानते हुए मैं कहना चाहता हूं कि विवाद नहीं होगा । यह विषय एक बार तय हो जाना चाहिए और कोई समय सीमा निर्धारित हो जानी चाहिए । इस प्रकार नियमायली के नियम 188 (1) और (2) के तहत मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

मान्यवर, आपने यह भी कहा था कि हम विशेष अधिवेशन बुलायेंगे और माननीय सदस्यों को प्रबोधन द्वारा ट्रेनिंग देंगे । इसमें भी मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, कठिनाई यह है कि माननीय सदस्य सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ भुलाने का प्रयास करते हैं । मान्यवर, परम्परा और नियमों में यह है कि बजट अनुदान संबंधी जो कार्यक्रम होगा वह सत्ता पक्ष और माननीय नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से तय होगा तो जब यह कार्यक्रम तय हो गया है तो यहां फिर व्यवस्था का प्रश्न उठायें । यह ठीक नहीं है । यह सीधा-सीधा नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों पर अतिक्रमण करने का प्रयास है । मान्यवर, अनुदानों के दिनों की बात रही तो वर्ष 1988 से 1998 तक इतिहास देख लें तो जानकारी मिल जायेगी कि एक-एक दिन में आपकी मौजूदगी में यहां तक कि एक दिन में सारे बजट पास हुए हैं जबकि पिछले दो वर्षों से और इस वर्ष प्रयास है कि अधिक से अधिक प्रत्येक विभाग की अनुदानों पर प्रत्येक माननीय सदस्य को चर्चा करने का अधिक से अधिक समय मिल सके । मान्यवर, दिनांक 22, 23 और आज तथा कल भी बजट में चर्चा होगी । इसलिए समय में कोई कटौती का मामला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

सदन का कार्यक्रम एवं विभिन्न अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान की तिथियां कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के सदन द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त तय किया गया है । जहां तक विवाद न होने संबंधी अनुदान की मांगों में परिवर्तन/अन्तर का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने इसे अपनी सूचना में स्पष्ट नहीं किया है । अतः उनके औचित्य के प्रश्न को मैं स्वीकार नहीं करता हूं । इसलिए यह सूचना अस्वीकार की जाती है ।

अगली सूचना श्री महाराज सिंह यादव और श्री गौरी शंकर जी की है ।

सत्रकाल में जिला स्तरीय बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री महराज सिंह यादव–

मान्यवर, आपके निर्देश हैं कि जब विधान सभा और विधान परिषद् चल रही हो तो जिलों में न तो कोई उद्घाटन होगा और न बैठक ही बुलायी जायेगी । लेकिन आज जनपद इटावा में अनुश्रवण समिति की बैठक बुलायी गयी है और जिसके मंत्री जी प्रभारी हैं । मेरा निवेदन है कि आज बैठक नही बुलायी जानी चाहिए थी इसलिए आप सरकार को इन दिनों बैठकें न बुलाने के संबंध में पुनः निर्देश देने का कष्ट करें । (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, आपके निदेश हैं कि जब सत्र चल रहा हो तो जिलो में किसी प्रकार की बैठकें न की जाय । किन्तु आश्चर्य जनक बात है कि जनपद इटावा में अनुश्रवण समिति की आज बैठक आहूत की गयी है । इसलिए आपके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है । निवेदन है कि आप निदेश दें कि यह बैठक निरस्त की जाय और भविष्य में इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत न किये जायं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मुख्य सचिव को स्पष्ट आदेश हैं और जनवरी 1999 में उन्हें आदेश भेज दिये गये हैं कि जिलों में जिन समितियों में माननीय सदस्य और सांसद सदस्य हैं या कोई उद्घाटन करना है तो सत्र चलने के दौरान ऐसे कार्य न आयोजित किये जायं और बैठकें न आहूत की जाय । माननीय सदस्य ने जो सूचना दिया है उसमें हम जानकारी कर लेंगे कि कौन सी बैठक इटावा जनपद में बुलायी गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना को मैं आधार मान लेता हूं ।

इसकी आवश्यकता नहीं है । आपने बात कह दी है ।

श्री हुकुम सिंह–

यह जो सूचना आयी है । अनुश्रवण समिति की बैठक है तो मैं इसका संज्ञान लेते हुए दस मिनट के अन्दर जिलाधिकारी को सूचित करूंगा कि इसका आयोजन न करें और यदि आयोजित कर लिया हो तो उसको अनायोजित माना जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक और माननीय सदस्य ने लिखकर सूचना दी थी, शायद वह आपके पास पहुंच गयी होगी कि 26 तारीख को बैठक बुलायी गयी है तो उसको सुनिश्चित करा लें ।

मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय सदस्य को सुनने के उपरान्त । मैं अब अगली सूचना ले रहा हूं जो गांवों के विद्युतीकरण के बारे में है ।

विधायकों को पांच गांव अपने क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु संस्तुति करने का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इसी सदन में ऊर्जा मंत्री जी ने पूरे सदन को आश्वासन दिया था कि हर माननीय विधायक को पांच गांव विद्युतीकरण के लिए मिलेंगे । मान्यवर, जब माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था तो यह समझा जायेगा कि सरकार ने दिया था । लेकिन आज इसके अन्दर हो यह रहा है कि कुछ शहरों के विधायक या सांसद और विधायकों के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं और अपने आप चयन करके आदेश कराकर भेज रहे हैं । हर विधायक को पांच गांव देने का अधिकार है । सांसद या दूसरे शहर के विधायक को इसमें नहीं आना चाहिए । शहर के विधायक को देना है तो वहां पर और पैसा देकर कराया जाय । यह प्रथा गलत है । मैं चाहूंगा कि इसे ग्राह्य किया जाय और यह आदेश दें कि अगर ऐसा चयन हो गया है तो उसको न माना जाय और हर विधायक को अपने क्षेत्र में पांच गांव देने की इजाजत दी जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)–

मान्यवर, आशय तो यह था कि माननीय विधायक देंगे । वैसे भी कमी रहती है । एक विधायक ने यह आपत्ति उठायी कि हमारे यहां पर ऐसा हुआ है तो हम लोग यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो । अगर उन्हें आपत्ति है तो हमारे क्षेत्र को ले लें । वैसे जो आप निर्देश देंगे वह माना जायेगा । अगर आप निर्देश देंगे कि विधान सभा क्षेत्र के ही देंगे तो वह माना जायेगा ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, हर विधायक को अपने-अपने क्षेत्र के पांच गांव चयन करके देने का अधिकार है । उसमें हस्तक्षेप न हो ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अगर यही आशय है तो ऐसे निर्देश जारी कर दीजिये । हर विधायक अपने क्षेत्र का देगा । बाहर का स्वीकार नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में तीन फीडर हैं लेकिन इस समय एक ही फीडर काम कर रहा है । तो उन दोनों फीडरों को ठीक कराया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यहां पर कौन सा विषय चल रहा है ? आप किस विषय पर यह बात कर रहे हैं । यह इस विषय से संबंधित नहीं है ।

*श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, यह हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है । इसको माननीय मंत्री जी देखें ।

श्री अध्यक्ष–

यह इस विषय से संबंधित नहीं है ।

(व्यवधान)

* श्री सुधाकर सिंह–

मान्यवर, इन्होंने सदन में घोषणा किया था कि 5 ग्राम सभाओं को लिया जाएगा और जब आदेश जारी हुआ तो इन्होंने उसमें शब्द 'ग्राम' कर दिया तो यह तो सदन की अवमानना है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आगे चलने दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री बाबू लाल–

मान्यवर, जिन विधायकों ने दूसरे विधान सभा क्षेत्र में दिए हैं उनको रद्द करने का कष्ट किया जाय। ऐसी कोई व्यवस्था न की जाय।

श्री समर पाल सिंह–

माननीय विधायकों से 5 ग्राम मांगे गये हैं। मान्यवर, जहां मात्र एक दो खम्भे ही लगे हुए हैं उसे विद्युतीकृत न माना जाय। दूसरे ये पैसा जिला योजना का है। इसका इस्तेमाल विधायकों की सहमति से ही होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करा लीजिए।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अगर घरेलू बिजली उपयोग के लिए खंभे लगे हुए हैं तो पांच कनेक्शन पर एक खंभा लगता है। ट्यूबवेल पर कनेक्शन हो गया तो उसको ऊर्जीकृत मानते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और माननीय ऊर्जा मंत्री को सुनने के बाद यह सूचना नियम–300 में नहीं आती। जो अपेक्षा है वह यही है कि विधायकगण अपने क्षेत्र के बारे में गांवों का चयन करेंगे। संभवतः यही स्थिति रहेगी वैसे अपवाद स्वरूप कहीं और कर सकते हैं।

सरकार द्वारा सदन में की गई घोषणाओं तथा बजट में किये गये प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री समर पाल सिंह आदि की है। मेरा निवेदन है कि कल की बैठक में मैं इसका समाधान ढूढने का प्रयास करूंगा।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, महत्वपूर्ण बात है। सदन के अन्दर की गयी घोषणाओं का अनुपालन सरकार ने नहीं किया है। मान्यवर, यह समस्या एक सदस्य की नहीं है। सदन की गरिमा का सवाल है। यह बात हर व्यक्ति मानकर चलता है कि सदन में यदि कोई महत्वपूर्ण घोषणा की जायेगी। बजट में प्राविधान किया जायेगा तो उसका सरकार द्वारा शत-प्रतिशत पालन किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार इस सदन के अन्दर की गयी घोषणाओं का पालन न करें और बजट के अन्दर जो प्राविधान किये गये हैं उनका पालन न करें और इस सम्मानित सदन का इस्तेमाल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए करें और गलत आश्वासन देकर उनको लागू न करें तो इस सदन को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। गत वर्ष घोषणा की गयी थी कि गांव की पेयजल की समस्या के अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु प्रत्येक गांव पंचायत के सबसे बड़े गांव में एक (व्यवधान) कुआं खुदवाया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, यह कहा गया था कि 50 लाख की विधायक निधि दी जायेगी लेकिन 25 लाख की विधायक निधि दी गयी ।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गयी मैं इसे निरस्त करता हूं ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, यह सरकार इस सम्मानित सदन का इस्तेमाल अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए न करें और जो आश्वासन दिये जाये उसको पूरा किया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए नियमावली में प्राविधान है । अगर आश्वासन है तो आश्वासन समिति में इसको संदर्भित करें । सदन में आपने बहुत सी बातें कहीं हैं उसको आय-व्ययक चर्चा में उठा सकते हैं । मैं इसको निरस्त करता हूं ।

प्रत्येक मा० सदस्य की संस्तुति पर 25 इंडिया मार्का–II हैण्ड पम्प लगाये जाने का आश्वासन दिये जाने के बावजूद हैण्ड पम्प न लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय दद्दू प्रसाद जी ने यह समस्या उठाई थी कि 25 हैण्ड पम्प जो इनको मिले थे उन्होंने उसका स्थल चयन करके दिया था लेकिन वहां नहीं लगाया गया । आपकी पीठ से इसके लिए स्पष्ट निर्देश हुआ था उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है ।

* श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, यह सदन नियमों से चलता है और आपकी पीठ से कही गयी बात सरकार के लिए आदेश होती है परन्तु यह सरकार आपकी पीठ से दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करती । पिछली 9 जुलाई, 98 को नियम 56 के अन्तर्गत इसे मैंने उठाया था ग्राम पूरब पताई ब्लाक मऊ, जिला चित्रकूट में 2 हैण्डपम्प लगाने का प्रस्ताव दिया गया था वहां पर जो मशीन आई उसे फेंक दिया गया । आपकी पीठ से निर्देश आ गया था कि विधायक की संस्तुति से ही हैण्डपम्प लगाये इसके बाद अब 8 महीना बीत गया अभी तक वह हैण्ड पम्प वहां नहीं लगा है यह हमारे संविधान में है कि पेयजल के लिए अनुसूचित जाति के लिए विशेष संरक्षण है ।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए जो संगत नियम हैं उसमें सूचना दीजिए कि आश्वासन इस प्रकार से सदन में दिया गया था उसके अनुसार कार्यवाही नहीं हुई । अध्यक्ष पीठ से यह कहा गया उस पर कार्यवाही नहीं हुई इसके लिए नियम बने हुए हैं उसमें सूचना दीजिए, यह नियम 300 में नहीं आयेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस सदन की महान कुर्सी पर आप बैठे हैं उससे कोई निर्देश होने के बाद अगर सरकार कार्यवाही नहीं करती है तो उससे दुखी होकर उस पीड़ा को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे प्रश्न और संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दे या निर्देश दे दें। आपके निर्देश के 8 माह बीत गये। संसदीय कार्य मंत्री जी यह स्वीकार कर लें कि इसको दिखवा लेंगे कि किस स्तर पर यह त्रुटि हुई है और उसका अनुपालन सुनिश्चित करवा दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं ध्यान आकर्षित कर देता हूं। संसदीय कार्य-मंत्री जी, आपके माध्यम से सदन को आश्वासन भी दिया गया था। यह आपका कहना है और अध्यक्ष पीठ से निर्देश भी हुआ था उसका अनुपालन नहीं हुआ। इसको दिखवा लें।

क्षेत्राधिकारी उरई द्वारा संविधान के अनुच्छेद–46 का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना माननीय श्री श्रीराम पाल की है। यह तो सूचना मा० पाल जी, नियम–300 में तो दूर-दूर तक नहीं आती है।

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मुझे ग्राह्यता पर सुन लें। आपने समय दिया। मान्यवर, मैं इसके लिये आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष–

किसी मुकदमें से किसी अपराधी का नाम निकाल दिया जाय तो यह नियम–300 में कैसे आयेगा ?

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

*425 सदस्य हैं सदन में अगर हर सदस्य हर बात की सूचना नियम–300 में दे दे तो कैसे अवसर दिया जा सकता है ? मैं इसमें थोड़े से विवेक का प्रयोग करूंगा। मैं शासन का ध्यान इस सूचना पर आकर्षित कर देता हूं।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, पहले मैंने इस सूचना को अन्य नियमों के अन्तर्गत डाला लेकिन मेरी सूचना नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष–

कुछ नियमों की सूचनायें शलाका के आधार पर आती हैं जैसे नियम–301 और नियम–56 की सूचनायें।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, आप सुन लें मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 फरवरी, 1999 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 फरवरी, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–4 में कुछ नहीं है । अब मद संख्या–5 ले रहा हूं ।

जनपद मथुरा के अपर कैनाल आगरा के कोसी रजबहा के मील नम्बर 23 पर रेगुलेटर का निर्माण कराये जाने विषयक चौ० हरपाल सिंह की याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

श्रीमन्, आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के अपर कैनाल आगरा के कोसी रजबाहा के मील नम्बर–23 पर रेगुलेटर का निर्माण कराये जाने के विषय में चौ० हरपाल सिंह, निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद मथुरा के गोवर्धन में दान घाटी स्थित मुखार-बिन्दु मन्दिर तथा मानसी गंगा मन्दिर आदि को जनहित में अधिग्रहीत किये जाने विषयक श्री राधा रमन शर्मा की याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

श्रीमन्, आपकी अनुमति से जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन में दान घाटी स्थित मुखार-बिन्दु मन्दिर तथा मानसी गंगा मन्दिर आदि को जनहित में अधिग्रहीत किये जाने के विषय में श्री राधा रमन शर्मा, निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद मथुरा के मथुरा गोवर्धन मार्ग पर स्थित मथुरा स्कैप पर जनहित में पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री पृथ्वी राजकुमार पोइया की याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

श्रीमन्, आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के मथुरा–गोवर्धन मार्ग पर स्थित मथुरा स्कैप पर जनहित में पुल निर्माण कराये जाने के विषय में श्री पृथ्वी राजकुमार पोइया, निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6, 7 व 8 में कुछ नहीं है । अब मद संख्या–9 ले रहा हूं ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 फरवरी, 1999 को नियम–311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी । प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है ।

---

†† छापी नहीं गयी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो सूचना हमने दी है वह अविलम्बनीय भी है और लोकमहत्व की भी है। इस सरकार ने आई०एम०एफ० और वर्ल्ड बैंक के दबाव में जिस तरह की नीति अपनायी है उससे बैंक के कर्मचारियों में बड़ा क्षोभ है और वह 25-26 फरवरी को वह हड़ताल पर चले गये तो प्रदेश में एक बड़ी विषम स्थिति पैदा हो जायेगी। 28 तारीख का यह महीना है और 28 तारीख के बाद होली प्रारम्भ हो जायेगी। 25-26 को हड़ताल होने के कारण केवल 27 तारीख बची है। उस दिन भी शनिवार है और बैंक आधे दिन के लिए बन्द रहेंगे। लाखों कर्मचारियों को अबकी बार होली पर वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा और ऐसी विषम स्थिति में अगर सरकार ने ट्रेजरी को निर्देशित नहीं किया और बैंक से पैसा पहले नहीं निकाला गया तो अबकी पहली बार होली पर वेतन का वितरण नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करूंगा कि इस पर तत्काल कार्यवाही करके जो अव्यवस्था पैदा होने वाली है। तमाम कर्मचारियों में रोष पैदा होने वाला है। उसे व्यवस्थित करने का काम करें।

* श्री अम्बरीष कुमार–

अध्यक्ष जी अभी इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर कुंवर रेवती रमण सिंह साहब ने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और यह मांग भी की कि कार्य स्थगित कर इस विषय पर चर्चा करायी जाए। यह असाधारण परिस्थिति है। बैंक एक ऐसा विभाग है जो रोज के काम रोज करते हैं कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है। बैंक की हड़ताल का मतलब यह है कि सारा व्यापार, सारा वाणिज्य प्रभावित होगा व इसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं। जिन परिस्थितियों में यह हड़ताल हुई है सरकार ने किन दबावों के अन्तर्गत निर्णय लिया है। बैंक एक मात्र ऐसा संगठन है जो अपना वेतन कटाता है तब हड़ताल करता है। अगर छुट्टी के दिन भी काम करता है तो वेतन में समायोजित नहीं करता है। यहां नियमपूर्वक हड़ताल होती है।

श्री अध्यक्ष–

राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश सरकार क्या करे ? उसकी हड़ताल का प्रभाव पड़ेगा, यह बात अलग है।

श्री अम्बरीष कुमार–

इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर कर्मचारियों के वेतन का प्रबन्ध आज नहीं किया गया और ट्रेजरी को निदेर्शित नहीं किया गया तो यह संकट आयेगा कि होली में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पायेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस परिस्थिति को देखते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें व विषय पर चर्चा करायी जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

प्रदेश सरकार की किसी नीति के कारण कोई बैंक कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा रहा है। जहां तक उसके प्रभाव का प्रश्न है तो उसका हर क्षेत्र में होगा अब एक दिन के अन्दर तो सारी व्यवस्था हो नहीं सकती है। इस सम्बन्ध में हम विस्तृत जानकारी कर रहे हैं जो भी हमारे लिए सम्भव होगा, हम प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद में नियम 56 की सूचना को निरस्त करता हूं।

दूसरी सूचना श्री अफजाल अहमद की।

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको ग्राह्यता पर बोलने की अनुमति दी परन्तु कहीं पर भी आपने इसकी अविलम्बनीयता तथा लोक महत्व की चर्चा नहीं की । यदि आप एक दो स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से पुछवा लूंगा ।

श्री अब्दुल कलाम–

मान्यवर, एक बार इसे प्रोसेसिंग का और चांस दिया जाय और 103 मजदूरों की रोजी-रोटी की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे ।

श्री हुकुम सिंह–

अगर यह प्रोसेसिंग चला होता और एकदम बन्द हो गया होता तब तो एक बात समझ में आती परन्तु कई वर्षों से यह प्रोसेसिंग नहीं चल रहा है जहां तक बुनकरों की समस्याओं का सवाल है, वह अपनी जगह पर सही है । इस की जानकारी आपको भी होगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक विस्तृत कार्य योजना के बारे में जब बुनकरों का सम्मेलन हो रहा था तो उसमें घोषणा की । बुनकरों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, उनको कोई कठिनाई नहीं होने दी जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य को तथा माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करते हुए निरस्त करता हूं ।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद गोण्डा तथा जनपद बलरामपुर के किसानों के साथ बभनान शुगर मिल, नवाबगंज शुगर मिल, मेजा शुगर मिल तथा बलरामपुर शुगर मिल घटतौली कर रही है । इस संबंध में कई बार जिला प्रशासन तथा जिला गन्ना अधिकारी को भी अवगत कराया जा चुका है परन्तु इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई । जब किसान क्रय केन्द्रों पर अपना गन्ना लेकर जाता है तो वहां पर घटतौली होती है । यहां तक कि जब तक गन्ना किसान अपने हाथ से नहीं पलटता है तब तक गन्ना नहीं तौला जाता है और काफी घटतौली की जाती है ।

इस सम्बन्ध में मैंने कई कांटों का निरीक्षण किया और देखा अनियमितता बरती जा रही है । किसी प्रकार किसानों के साथ सुनवाई नहीं हो रही है । आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार कहती है कि हम किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों के विकास की बात करते हैं । मान्यवर, एक तरफ तो किसान महंगाई से जूझ रहा है । इस सरकार ने खाद का दाम बढ़ा दिया, बीज का दाम बढ़ा दिया । बलिया, गोण्डा, बलरामपुर में किसान गन्ने की खेती करता है । जब वह अपना गन्ना केन्द्र में ले जाता है तो वहां पर उद्योगपति उसके साथ घटतौली कर रहे हैं । आज जिस तरह से बभनान शुगर मिल, नवाबगंज शुगर मिल, मेजा शुगर मिल, बलरामपुर शुगर मिल में घटतौली हो रही है । किसानों का लाखों रुपया उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है । किसानों के हित में कोई लाभ नहीं है । सरकार उद्योगपतियों को लाभ दे रही है । मैं आपके माध्यम से इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

जहां तक यह गन्ना केन्द्र हैं इनमें घटतौली न हो, किसानों का शोषण न हो । शासन स्तर से लगभग एक दर्जन अधिकारी और अशासकीय अधिकारियों को भी अधिकार है कि वे भी निरीक्षण कर सकते हैं कि कहीं अनियमितता तो नहीं हो रही है । माननीय सदस्य ने स्वयं वहां जाकर निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद में जो शिकायत की है उस पर अविलम्ब कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं । जहां-जहां के बारे में कहा है निरीक्षण के आधार पर कार्यवाही चल रही है ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस समय गन्ने का सीजन चल रहा है । आज इसी वक्त यहां से कोई टीम वहां भेज दी जाय तो मालूम हो जायेगा कि वहां पर घटतौली चल रही है कि नहीं । गन्ना जमीन पर डाला नहीं चलाया जाता है । किसान अपने हाथ से गन्ना ट्रकों पर लादता है । जब तक वह अपने हाथ से बैलगाड़ी खाली नहीं करते हैं । तौलबन्द कर-दी जाती है । उनको वहां पर आठ-आठ बजे तक रुकना पड़ता है । यदि आज टीम भेज दी जाय तो स्थित स्पष्ट हो जायेगी वहां पर गन्ना कम तौला जा रहा है मंत्री जी ने जिस तरह स यहां पर बात कही है सदन को गुमराह किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय आजाद जी आपने ग्राह्यता पर अपने विचार रखे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि जिन स्थानों के बारे में आपने सूचित किया है उसके बारे में उन्होंने समुचित निर्देश दे दिये हैं ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, अभी कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है यह किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं । मैं कहता हूं कि इसी वक्त कोई टीम बनाकर गन्ना केन्द्रों पर भेज दी जाय, स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जायेगी ।

श्री हुकुम सिंह–

टीम की बात कह रहे हैं । इनसे बड़ी टीम कौन होगी ? जो इनको खुद भी जाकर निरीक्षण करने का अधिकार था इन्होंने किया और कह रहे हैं कि टीम भेज दें । अगर कोई टीम भेज दी जाय और वह कहे कि घटतौली नहीं हो रही है, कोई अनियमितता नहीं है, तो आपकी हालत क्या होगी ? आपको अधिकार है आपने निरीक्षण किया । मैं सारी चीजों का उल्लेख नहीं करना चाहता । किस का क्या आचरण है, इसका उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं है ?

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है, उनके प्रति संवेदनशील नहीं है । इसके विरोध में मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राम विशुन आजाद सदन का त्याग कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम विशुन आजाद और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इसे अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं । अगली सूचना श्री नरेन्द्र सिंह भाटी की है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में मेसर्स प्रीमियर विनायल लि० कम्पनी है जो अब राशीबा इन्टरनेशनल लि० के नाम से चल रही है। मार्च, 1998 में लाक आउट कर दिया मालिक दिल्ली में थे। मान्यवर, 500 कर्मचारी कम्पनी में कार्यरत थे, 1-11-97 से मार्च, 1998 तक पांच सौ श्रमिकों का वेतन बकाया था वेतन का रुपया 65 लाख था। श्रमिकों से मालिक को कोई शिकायत नहीं है श्रमिकों ने कोई आन्दोलन नहीं किया फण्ड आदि का पैसा छोड़ दें तो 65 लाख रुपया श्रमिकों के वेतन का बकाया है। मान्यवर, 15 अक्टूबर, 1998 को दुबारा मालिकों ने कम्पनी को चालू किया और जो कर्मचारी दूसरी जगहों पर काम में लग गये थे उनको लेटर भेज कर वापस बुला लिया उनसे कहा गया कम्पनी चल रही है वापस आ जायें। 15-10-98 से फिर श्रमिकों ने सूचारु रूप से काम शुरू कर दिया। 15 दिन का वेतन श्रमिकों को मिला 1-11-98 से आज तक की डेट तक वेतन नहीं दिया गया। 40 लाख रुपये के करीब वेतन का बकाया है कम्पनी में श्रमिक जो काम कर रहे थे वह बिहार आदि जगहों से लोग आकर कर रहे हैं वह भुखमरी के कगार पर हैं श्रमिकों के बच्चों ने स्कूल जाना बन्द कर दिया है उनके बच्चों को राशन, दूध आदि नहीं मिल पा रहा है। पांच सौ श्रमिक परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। मालिकों ने श्रमिकों का 1 करोड़ 7 लाख रुपया रोक रखा है फण्ड तो अलग है।

मान्यवर, मालिकों ने इस बीच जिला प्रशासन और पुलिस से मिलकर फैक्ट्री का काफी सामान गायब करा दिया है प्रोडक्शन आज भी फैक्ट्री में चल रहा है। मान्यवर, चार दिन पहले मैं वहां गया था और मालिक और श्रमिकों दोनों से मिला था किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है वेतन न मिल पाने के कारण श्रमिकों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि श्रमिक भूखों मरने की कगार पर हैं अगर वेतन नहीं दिया गया तो वह आत्मदाह करेंगे उन्होंने मजबूरी में जिला प्रशासन को चतावनी दी है। 1 करोड़ 7 लाख का भुगतान मालिकों को करना है। यह श्रमिकों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। पांच सौ श्रमिकों में बिहार, बनारस, इलाहाबाद तक के श्रमिक हैं, जो दस-पन्द्रह सालों से काम कर रहे थे, उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है सालों से इधर आकर रह रहे हैं। कोई उनको उधार राशन देने को तैयार नहीं है जिन्होंने उनको पहले उधार दिया है उन्होंने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। वह भुखमरी के कगार पर हैं। यह बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है इसमें मैं सारे नियमों को शिथिल करके, चर्चा की मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि वह लीपा-पोती नहीं करें और स्पष्ट जिला प्रशासन और श्रम विभाग को निर्देश देंगे कि पी०एफ० मिले न मिले लेकिन उनको वेतन तो मिल जाए। मालिकों की जो प्रापर्टी है उसको नीलाम करके श्रमिकों को वेतन दिलायें, श्रमिकों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। मैं चाहूंगा कि इस मामले में नियमों को शिथिल करके चर्चा करायें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जैसे ही हमको सूचना मिली है, मैंने श्रम आयुक्त, कानपुर को आदेशित किया है कि वह सारी स्थिति का जायजा लेकर कार्यवाही करें। मान्यवर, माननीय सदस्य के सम्बन्ध में उद्योगपतियों से है और उन्हें न तो श्रमिकों से शिकायत है और न उद्यागपतियों से शिकायत है, तो फिर क्या मुझसे उनकी शिकायत है ? मान्यवर, यह निजी क्षेत्र की इकाई है इसलिए उनकी अपनी समस्यायें हैं। लेकिन शासन चाहता है कि श्रमिकों का उत्पीड़न न हो इसलिए इसमें हमने कार्यवाही किया है।

मान्यवर, सदन को मैं दो सूचनायें देना चाहता हूं जिनके सम्बन्ध में आज ही यहां बातें उठायी गयी थीं। नियम 56 के अन्तर्गत कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने प्रश्न उठाया था, तो मैं जानकारी देना

आज वह अपनी फसल औने-पौने दाम में बेचने पर मजबूर है । यह सरकार उसकी इस बरबादी को देखते हुये भी मूक दर्शक बनी हुई है । वह उसे लूटते हुए देख रही है । मान्यवर, आज आलू डेढ़-दो रुपये में बिक रहा है कहीं ऐसा न हो कि लोग अगली बार आलू की फसल न बोयें और आलू की कीमत 50/- रुपया किलो हो जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा । जिस समय आलू की फसल बोई जा रही थी, उन्हें प्रोत्साहित किया गया था उस समय भी आशंका इस बात की थी कि जब किसान की आलू की फसल तैयार हो जायेगी भाव कम हो जायेंगे । लेकिन इस आशंका को दूर करने के लिये मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि आलू के किसानों के हितों को ध्यान में रखा जायेगा, उनके फसल का वाजिब मूल्य दिलाया जायेगा उनको समर्थन मूल्य दिया जायेगा इस बात की घोषणा की गयी थी और आलू की सरकारी खरीद की जायेगी इसकी भी घोषणा मा० मुख्य मंत्री द्वारा की गयी थी किन्तु न तो आज तक समर्थन मूल्य घोषित किया गया है और न आलू की सरकारी खरीद की गयी है । मान्यवर, मैं यह मांग करता हूं कि 600/- रुपये कुन्तल आलू का समर्थन मूल्य घोषित किया जाय । यह सरकार किसानों को लूटते हुए देख रही है, उसे बरबाद होते हुए देख रही है । यह सरकार किसान विरोधी सरकार है । मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि आज सरकारी खरीद आलू की न होने से प्रदेश के आलू किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच जायेगा । मान्यवर, वह किसान तो भूखे मरेंगे ही प्रदेश वासियों को भी खाद्यान्न की दिक्कत होगी । यह करोड़ों किसानों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, फसल तैयार है, इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

* श्री कौकब हमीद -

मान्यवर, आलू किसानों की इस समस्या पर, इस सदन में इससे पहले भी जब यह एक सरकार में सहयोगी थे, मैं सवाल उठा था और तब आलू के प्रश्न पर बड़ा उधम हुआ था किसान आत्महत्या करने की कगार पर आ गया था । मान्यवर, आज आलू किसान परेशानी में हैं छोटे किसान हैं वह यह नहीं कर सकते कि उसे कोल्ड स्टोरेज में रख दें । उन्हें तो तुरन्त पैसा चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सरकारी क्रय केन्द्र लगाये जायेंगे समर्थन मूल्य देंगे और किसानों को दिक्कत नहीं होगी । लेकिन यह सरकार किसान विरोधी है । फिर खुदकशी करने के किसान मजबूर न हो जाय इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है । मान्यवर, छोटे किसान हैं उन्हें शादी-ब्याह करनी है अगर डेढ़ रुपये किलो वह आलू बेचेगा, तो जो उसने ब्लैक में खाद खरीदकर लगाई है, उसकी लागत का प्रतिशत भी उसे नहीं मिलेगा । आप सरकार से कहें 600 रु० समर्थन मूल्य होना चाहिये । इससे कम में नहीं पड़ता है । 600 रु० में यह होगा कि उसे लागत का कुछ हिस्सा मिल जायेगा । मेरी मांग है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कराई जाय ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री विजय पाल सिंह, श्री बाबू लाल, श्री बनारसी दास चांदना, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री विजेन्द्र आर्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

ऐसा लगता है कि नोटिस देने के बाद अधिकांश सदस्य सदन से गायब हैं, गम्भीरता से नोटिस को नहीं लेते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, आलू किसान के सामने आज जो समस्या है उसका कोई हल बताने की जरूरत नहीं रह गई है क्योंकि सारी बात आ गई है। डेढ़ रुपए किलो में आलू बिक रहा है उसकी लागत कहां से आए यह सोचने की बात है। सरकार ने आलू बीज 12 रुपए किलो से मुहैया कराया, ऐसे में 600 रु० समर्थन मूल्य का भाव अगर हो तभी किसान को मूल्य मिल पाएगा। वैसे तो कृषि नीति की बात हर सरकार ने की है लेकिन आज तक किसान की कृषि नीति की घोषणा नहीं हो पायी जिसकी वजह से किसान को उसकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल पाया।

मान्यवर, हिन्दुस्तान में सबसे कमजोर अगर वर्ग कोई है तो वह किसान है जिसकी बात न सरकार करती है न कोई करता है। यह किसान प्रधान प्रदेश है और इसमें आलू की खेती भी सबसे ज्यादा होती है आलू किसान के सामने जो समस्यायें हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या भाव की है। कहीं आन्ध्र प्रदेश जैसी स्थिति इस प्रदेश में न हो कि जैसे वहां किसानों ने वाजिब दाम न मिल पाने के कारण आत्महत्या की थी वही हाल यहां न हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आलू का समर्थन मूल्य सरकार घोषित करे और किसान का आलू खरीदने का कार्य करे।

* उद्यान मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि कहीं आलू की फसल खराब हो, आलू सड़ गया, आलू का उचित दाम नहीं मिलें, आलू को समय पर अच्छा बीज, अच्छी खाद, बिजली, पानी नहीं मिला, की चर्चा की। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि आलू का अच्छा बीज उपलब्ध कराने के कारण, खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के कारण, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के कारण, आज तक आलू कभी प्रदेश में इतना नहीं पैदा हुआ जितना रिकार्ड उत्पादन इस वर्ष प्रदेश में हो रहा है।

दूसरी बात माननीय सदस्यों ने कही, कि लगभग 95 लाख मीट्रिक टन आलू पैदा होने की सम्भावना है। अब तक लगभग 27 लाख मीट्रिक टन आलू की खुदाई हो चुकी है जो प्रदेश में खपत हुआ है या प्रदेश से बाहर चल गया है। 68 लाख मीट्रिक टन आलू है इसमें 49 लाख मीट्रिक टन आलू के भण्डारण के लिए मैंने कोल्ड-स्टोरेज में प्रबन्ध किया है, 16-17 लाख मी० टन आलू बचता है इसमें 10-12 लाख मीट्रिक टन की जून तक खपत हो जायेगी। 8 लाख मीट्रिक टन आलू प्रदेश से बाहर जायेगा ऐसा हमारा अनुमान है। जैसे माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है आलू के मूल्य के बारे में तो हमने प्रबन्ध किया है प्रत्येक मण्डल स्तर पर डिप्टी डायरेक्टर, मण्डी परिषद् डिप्टी डायरेक्टर हार्टीकल्चर और ए० डी० एम० सिविल सप्लाई इन तीन अधिकारियों की एक समिति बना दी गयी है जो प्रतिदिन आवत आलू की और खपत और निर्यात के संबंध में कि आलू के भाव किसी कीमत पर इतने कम न होने पायें। उसकी रिपोर्ट प्रतिदिन यहां प्रदेश में दी जाती है आम तौर पर आलू का जो रेट चल रहा है औसतन हमारे प्रदेश में 5-6 रुपये किलो पूरे साल में आलू का भाव रहता है। कभी-कभी मांग ज्यादा बढ़ जाती है तो मूल्य बढ़ जाते हैं वैसे औसतन साल भर में मूल्य 5 से 6 रुपये किलो औसत पर आता है। आज मंडी में 180 रुपये से लेकर 250 रुपये तक प्रति क्विंटल आलू के दाम हैं। सरकार वचनबद्ध है और पूरी तरह से सजग है। माननीय समर पाल जी और माननीय कौकब हमीद विशेष रूप से किसानों की समस्याओं के प्रति सचेत रहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आलू के सपोर्ट प्राइस देने के लिये न तो सदन में घोषणा की गयी है, और न बाहर की गयी है। यह सवाल उठा है, मैं माननीय सदस्यों की चिंता को देखते हुये उन्हें बताना चाहूंगा कि आलू के निर्यात पर जो प्रतिबंध था

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको खोला गया है किसी भी कीमत पर किसान की कोई लुटाई नहीं होगी और निश्चित रूप से उसको उचित मूल्य दिलाया जायेगा ।

श्री कौकब हमीद–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसान को खाद उपलब्ध करायी गयी, बीज उपलब्ध कराये गये पानी उपलब्ध कराया गया इसलिये बम्पर क्राप हुई है । पिछले साल आप मंत्री थे, आपने क्या किया ? क्या आपने पिछले साल खाद, बीज, पानी नहीं उपलब्ध कराया था ?

श्री समर पाल सिंह–

वैसे तो मंत्री जी हमारी बातों से शत प्रतिशत सहमत हैं लेकिन उनकी बाध्यता है । मैं जानना चाहता हूं, जैसा आपने कहा कि 3 अधिकारियों की एक समिति बनायी गयी है जिसमें डिप्टी डायरेक्टर मंडी परिषद, ए० डी० एम० सिविल सप्लाई आदि हैं । आपने बताया कि आलू की कीमत 500–600 रुपये होनी चाहिये तो आपकी यह जो समिति बनी है, यह 180 रुपये कुंतल क्यों बिकने दे रही है ?

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी अभी वक्तव्य दे रहे थे तो कह रहे थे कि खाद दी गयी, पानी दिया गया और बीज दिया गया लेकिन न खाद मिली न बीज मिला न पानी मिला । क्या मंत्री जी सदन को गलतबयानी करके गुमराह कर सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

अभी माननीय सदस्य श्री समरपाल सिंह जी ने कहा था कि "जब मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि पांच सौ, छः सौ रुपये प्रति क्विंटल मूल्य होना चाहिए और आज 180 से 230 रुपये प्रति क्विंटल आलू बिक रहा है इसमें वह समिति कार्य क्यों नहीं कर रही है ?" मैंने यह नहीं कहा है । मेरा कहना था कि साल भर का औसत मूल्य 500–600 रुपये होता है । जब फसल आया करती है, तो मूल्य सस्ता होता है ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक कमेटी बनायी है जो यह देख रही है कि कम कीमत पर आलू न बिकने पाये । तो आज 180 रुपये में आलू क्यों बिक रहा है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, वह कमेटी इसलिए बनायी गयी है जिससे आलू की जो आमद मण्डी में हो उसको व्यापारी प्रदेश के बाहर निर्यात कर सके । उसकी कितनी आमद और खपत हो रही है इसके बारे में है । माननीय समरपाल सिंह जी ने चिन्ता व्यक्त की कि इस समय अधिक सस्ता आलू रहेगा तो गरीब किसान से व्यापारी आलू खरीद करके कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे । हमने यह व्यवस्था की है कि प्रत्येक शीतगृह में 85 प्रतिशत किसान का, 10 फीसदी व्यापारी का और 5 प्रतिशत कोल्ड स्टोरेज के मालिक का आलू रखा जायेगा । इसकी देख-रेख के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिये गये हैं ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न उठाया था उसका आशय यह था कि आलू उत्पादकों को सरकार की ओर से समर्थन मूल्य मिले । माननीय मंत्री जी घुमा-फिराकर अपनी बात रख रहे हैं । इस बात पर नहीं आ

रहे हैं कि समर्थन मूल्य हो या नहीं । आज जब हर चीज का समर्थन मूल्य होता जा रहा है तो आखिरकार किसानों के साथ यह अन्याय क्यों ? मान्यवर, कितना मूल्य देंगे यह बता दें ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी कुछ बताना चाहेंगे ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में या खरीद के सम्बन्ध में, सरकार के पास कोई मामला विचारार्थ नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना व तत्पश्चात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने उपरान्त, इस सूचना को अग्राह्य पाते हुये, निरस्त करता हूं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह सरकार न किसानों के आलू की सरकारी खरीद कर रही है, न समर्थन मूल्य घोषित कर रही है । किसानों को उनके उत्पाद का वाजिब दाम भी नहीं मिल रहा है, यह सरकार किसान विरोधी है । यह करोड़ों किसानों का शोषण कर रही है । इसलिए मैं और मेरे साथी इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री समरपाल सिंह व श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, सरकार किसानों की अपेक्षा कर रही है । आज किसान का आलू 150-180 रुपये बिक रहा है । सरकार आलू का समर्थन मूल्य नहीं घोषित कर रही है । पूरी तरीके से किसान विरोधी सरकार है । मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना माननीय दद्दू प्रसाद जी की है । कृपया अपने विचार रखें ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, आपने इतनी महत्वपूर्ण सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । बांदा जिला, चित्रकूट, इलाहाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर, झांसी, ललितपुर में आदिवासी समूह हैं । वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । उनके जीवन यापन का कोई माकूल व्यवस्था नहीं है । आदिवासी हमेशा से वनों के मालिक होते रहे हैं । वन पर उनका अधिकार रहा है जो वन की उपज है उसको बीनने, उसको संग्रह करने का उनको हमेशा से अधिकार रहा है । परन्तु 1858 से ब्रिटिश शासन में वनों का अधिग्रहण कर लिया गया और आदिवासियों को उनके अधिकारों से बेदखल कर दिया गया । तब से लगातार किसी भी सरकार ने आदिवासियों को आज तक कुछ नहीं दिया । लम्बे अरसे से आदिवासियों के बीच से यह मांग उठती रही है और जायज भी है कि लघु वन उपज का उनको अधिकार मिले । इसको मैंने आज कार्य-स्थगन के माध्यम से उठाया है । आदिवासियों के पास जीवन यापन को कोई दूसरा साधन नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता तक अपने को सीमित रखें ।

श्री दद्दू प्रसाद–

यह आदिवासियों की करीब 10 लाख की आबादी से जूड़ा हुआ सवाल है । इसलिये यह लोकमहत्व का प्रश्न है । आज आदिवासी भुखमरी के कगार पर हैं । पांच पाव जी पर मजदूरी करते हैं, यह बंधुआ मजदूर हैं जो जमीन उनके पास खतौनी में इन्दराज है उसको माफिया लोग उनको मरा हुआ दिखाकर कब्जा किये हुए हैं और उनको खदेड़ दिये हैं । इसलिये लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाए ।

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

माननीय सदस्य ने एक बात सही कही है कि पूर्व सरकारों ने आदिवासियों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया । गांव के चारों ओर जो वन हैं वहां के निवासियों को यह अधिकार नहीं दिया गया कि लघु वन उपज जैसे चिरौंजी, महुआ, शहद आदि का संग्रह करने की उनको सुविधा दी जाए । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने इस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वन नीति की घोषणा की । वनों की उपजों को वनों में रहने वाले आदिवासियों को, बिना हानि पहुंचाए महुआ, चिरौंजी एवं गिरे पड़े ईंधन के निःशुल्क संग्रहण की, सुविधा दी जाएगी । आंवला और गोंद को निःशुल्क एकत्र करने की अनुमति दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है । आप बहन जी के नाम पर रोज हल्ला मचाते हैं लेकिन जब आप सत्ता में थे तब आपने कभी आदिवासियों की चिन्ता की ? लेकिन श्री कल्याण सिंह जी ने इस बात की चिन्ता की । इस सरकार ने आदिवासियों की सुख-सुविधा के लिये इन चीजों के संग्रहण की निःशुल्क व्यवस्था की है ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ी गलत बयानी की है । महुआ, चिरौंजी और शहद ये तो पहले से ही निःशुल्क रहे हैं । सवाल है लघु उपज का, आंवले का । मुझे विश्वास है कि मंत्री जी मुझे निराश नहीं करेंगे । क्या आंवले को भी नालामी से मुक्त करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

श्री दद्दू प्रसाद जी या कोई माननीय सदस्य, जब कोई शंका उठाते हैं तो मंत्रीगण का जब उत्तर आता है तो उसे वह ध्यान से नहीं सुनते हैं, न सुनने के कारण वह इस प्रकार की शंकायें उठाते हैं । माननीय मंत्री जी ने आंवले के बारे में स्पष्ट किया है । श्री दद्दू प्रसाद जी को तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस प्रश्न को अग्राह्य करते हुये निरस्त करता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आज बहुत ही दुखी मन से, इस लोमहर्षक घटना की तरफ, सदन का ध्यान दिला रहा हूं । मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है, 6 वर्ष की बालिका के साथ जो बलात्कार हुआ है, उसे मैंन स्वयं जाकर देखा है और उसके परिवार के लोगों से मैं मिला हूं । उस बालिका की हालत देखकर, जितना मुझे दुख हुआ है, पीड़ा हुई है, उसकी अभिव्यक्ति के लिये मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं । जनपद जौनपुर के ग्राम सदुल्लाह, थाना–नेवढ़िया के एक गरीब श्री राधेश्याम राजभर की एक 6 वर्षीय बेटी है, उसकी मां खेत में काम कर रही थी । उसको दोपहर का खाना देने के लिये वह घर से गई तो रास्ते मे एक ऐसा राक्षस उस बालिका को खींचकर अरहर की खेत में ले गया और फिर उसके साथ जो दुष्कृत्य किया, जिससे इतना ज्यादा रक्तस्राव हुआ कि वह वहीं बेहोश हो गई । जब उसकी मां वापस आ रही थी और उसे अचेतावस्था में पाया तो वह चिल्लाई और उसको उठा करके जिला अस्पताल में लाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है । ऐसा घिनौना कृत्य करने वाला जो व्यक्ति है, उसी की बिरादरी का वहां पर थानाध्यक्ष है, इस घटना तक की रिपोर्ट नहीं लिखी गई । जब काफी राजनैतिक और सामाजिक व्यक्तियों का थानाध्यक्ष के ऊपर दबाव पड़ा तब जाकर कहीं इसका रपट दर्ज की गई परन्तु उस व्यक्ति

की गिरफ्तारी नहीं की गयी । हो सकता है यह मामला विधान परिषद् में भी उठा था और मैं भी कई दिनों से इस सूचना को ला रहा था परन्तु जो व्यवस्थायें हैं, शलाका के अन्दर वह नहीं आयी परन्तु आज आपने कृपापूर्वक मुझे इस सूचना की ग्राह्यता पर सुनने का अवसर दिया । आज भी उस बालिका की दशा आंखों से नहीं देखी जा सकती ।

आज जिस हालत में वह बालिका है, जो भी उसकी हालत को देखेगा, उसके आंख से आंसू आ जायेंगे । 6 साल की बालिका के साथ ऐसा घिनोना कृत्य करने वाले व्यक्ति को जो भी संरक्षण दे रहा है और जिस भी स्तर पर पुलिस द्वारा तत्परता नहीं बरती गई, मैं चाहूंगा कि तत्काल इसकी जांच करा करके तत्काल एफ० आई० आर० क्यों नहीं लिखी गयी और लिखने के बाद उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पायी और अगर इसमें विलम्ब हुआ तो उस राक्षस के खिलाफ जो भी कार्यवाही हो सकती थी, क्यों नहीं की गई ? इसके लिये जो भी अधिकारी, जो भी थानाध्यक्ष या और जो भी अधिकारी, दोषी हैं मैं चाहूंगा कि उनको दंडित करने का काम किया जाय क्योंकि जौनपुर जनपद में अपराधों की बाढ़ सी आई हुई है । अच्छा अवसर है माननीय नेता सदन यहां उपस्थित हैं । मैं किसी दुराग्रह के कारण नहीं, किसी विरोध के कारण नहीं कह रहा हूं । मै चाहूंगा कि 15/20 दिन के अन्दर जितनी घटनायें जौनपुर जनपद में हुई हैं उनको मंगाकर समीक्षा कर लेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है ? इसका कारण यह है कि वहां के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी अपनी बाराबंकी में जिलाधिकारी हैं । उनको कम समय मिल पाता है जौनपुर जनपद में रहकर अपने पुलिस पर अंकुश लगाने का । उनका ज्यादा समय बाराबंकी और लखनऊ के चक्कर में लग जाता है इसलिये मैं किसी आरोप प्रत्यारोप के लिये नहीं कह रहा हूं, आपको सरकार को कलंकित करने के लिये नही कह रहा हूं । जो मेरी जानकारी है उसके आधार पर कह रहा हूं । मैं चाहूंगा कि आप समीक्षा करें और जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें । इससे ज्यादा लोमहर्षक घटना नहीं हो सकती है । जिन्होंने इसमें कार्यवाही करने में विलम्ब किया है, गिरफ्तारी करने में, एफ० आई० आर० लिखने में, उनके खिलाफ कार्यवाही करें । मैं इन्हीं शब्दों के साथ ग्राह्यता पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । एक अनुरोध करूंगा कि इस पर राम अचल राजभर और लाल जी वर्मा के भी हस्ताक्षर हैं । केवल राम अचल राजभर अपनी बात कहना चाहेंगे उनकी बात भी सुन लें ।

श्री राम अचल राजभर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो इस लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया है मैं उसके लिये आपका आभार प्रकट कर रहा हूं । मान्यवर, यह बड़ी शर्मनाक घटना है जो एक 6 वर्षीय बालिका के साथ 19 वर्ष के करिया पटेल नामक व्यक्ति ने दुराचार किया है । इसकी जितनी निन्दा की जाय, कम है । मान्यवर, लड़की के साथ बलात्कार हुआ वह अचेत अवस्था में गन्ने के खेत में पड़ी थी । काम करके लौट रही उसकी मां ने देखा गांव के लोगों की मदद लेकर उस अबोध अचेत बालिका जो उपचार के लिये अस्पताल ले जाया गया । डाक्टरी मुआयने में साफ आता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है इसके बाद भी एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की जाती है । वहां पर जनता आक्रोशित है, आन्दोलित हुई तब जाकर जिलाधिकारी के आदेश पर एफ० आई० आर० दर्ज होती है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मान्यवर, माननीय नेता सदन यहां पर बैठे हैं मैं बताना चाहता हूं कि जब तक जनता आन्दोलित नहीं हुई तब तक वहां के एस० ओ० ने एफ० आई० आर० दर्ज नहीं किया । मेरा निवेदन है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय और जो भी व्यक्ति है, जिसने यह कृत्य किया है, उसके खिलाफ मान्यवर, गुण्डा एक्ट या अन्य जो भी बड़ी धारायें हैं, एन० एस० ए० है लगाया जाय क्योंकि मान्यवर, अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है । मैं बदले की भावना से नहीं कह रहा हूं । सरकार में बैठे मंत्री संरक्षण दे रहे हैं इसलिये एस० ओ० हस्तक्षेप नहीं कर

रहा है मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सारी कार्यवाही को रोक कर चर्चा की मांग करता हूं। मान्यवर, ऐसे मुलजिम के साथ-साथ एस० ओ० को दण्डित किया जाय।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस घृणित और दुखद घटना का जो उल्लेख किया गया 19 तारीख को, घटना घटित हुई और 19 तारीख को ही केस दर्ज हो गया। 22 तारीख को, उस राक्षस को, जिस पर दोष लगाया गया है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यही कार्यवाही संभव थी। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि किसी मंत्री का संरक्षण प्राप्त नहीं है। एफ० आई० आर० दर्ज हुई है, कार्यवाही हुई है। मैं बी० आर० वर्मा जी तथा राजभर जी से आग्रह करना चाहता हूं जिस घटना के बारे में जो पीड़ा हो उस पीड़ा तक ही सीमित रहें राजनीति करने का प्रयास न करें। उस राक्षस के संरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता है कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री को बताना चाहूंगा कि जो अभियुक्त है वह कुर्मी विरादरी का है एस० ओ० जो है वह भी कुर्मी है हमारे जो रामललित चौधरी हैं इनका रिश्तेदार है और मैं भी कुर्मी हूं तो इसमें कोई राजनीति नहीं की जा रही है, पीड़ा व्यक्त की गई है।

श्री अधिष्ठाता–

मा० बी० आर० वर्मा जी, मा० राम अचल राजभर जी और संसदीय कार्य-मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करते हुए अस्वीकार करता हूं।

(श्री राम औतार शाक्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके उपस्थित न होने पर श्री प्रमोद कुमार का नाम पुकारा गया।)

श्री प्रमोद कुमार–

पहले माननीय सुबाष जी बोल लें।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर 12 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं इसलिये मेरा निवेदन है एक-एक दल से एक-एक माननीय सदस्य बोल लें क्योंकि बजट पर चर्चा होनी है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर बोलने की अनुज्ञा दी। श्रीमन् आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वह बद से बदतर हो रही है प्रदेश की सरकार चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था का दावा करती है। मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं, मैं यह दोहराना उचित नहीं समझता हूं, कि विगत वर्षों की तुलना में अपराधों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है ? कल की एक घटना मान्यवर बताना चाहता हूं लखनऊ के अन्दर पुलिस महानिदेशक कार्यालय के निकट पौने दस बजे सुबह मोटर साइकिल पर सवार लोगों ने आरक्षी दर्शनलाल यादव की हत्या कर दी और उसकी स्टेनगन लेकर गायब हो गये। इसी महानगर में मान्यवर, आरक्षी जगन्नाथ पटेल की हत्या हुई, उसकी हत्या का पर्दाफाश नहीं हुआ और चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था की बात करने वालों का दावा कल की घटना ने खोखला कर दिया है। मान्यवर, हत्या के बाद आरक्षी दर्शन लाल यादव पड़ा हुआ था पी० ए० सी० के लोग आए और मेडिकल कालेज ले गये। पुलिस बाद में पहुंचती है मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कहना चाहता हूं कि यह अति लोक महत्व का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी अपराधों पर काबू पाने का दावा करते हैं लेकिन 22 फीसदी अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है। बलात्कार में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, डकैती में 30 प्रतिशत, चोरी में 45 प्रतिशत, सेंधमारी में 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

मान्यवर, मोटे आंकड़े के हिसाब से देखें तो प्रति दो घंटे में एक हत्या का औसत है । मान्यवर, 1 अगस्त, 1998 से 21 जनवरी, 1999 तक 61 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए । यह दुखद बात है । मान्यवर, इन 68 महिलाओं में 36 महिलायें दलित वर्ग की हैं । इसलिये उत्तर प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर सबसे ज्यादा जोर डालते हैं कि जैसे वह आये हैं तब से अपराधों पर अंकुश लगा है । उनका कहना है कि आज अपराधी भयग्रस्त हुए हैं और समाज भयमुक्त हुआ है, तो मान्यवर, इनके इस कथन में कोई सत्यता नहीं है । मान्यवर, आज जो परिस्थिति है उसमें जो हत्यायें हो रही हैं वह हुकूमत को चुनौती देने का काम हो रहा है और सरेआम इस महानगर में अपराधी लोग हत्यायें कर रहे हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन के सारे कार्यों को स्थगित करते हुए आप इस पर चर्चा करायें ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, विगत एक साल से जबसे वर्तमान सरकार आयी है यदि आप आंकड़े देखें तो 20 प्रतिशत से लेकर 49 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हर अपराधों में हुई है । आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं । मुख्य मंत्री जी का कहना है कि वह समाज को भय मुक्त करेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि आज वह सबसे ज्यादा भयग्रस्त हैं इसलिये वह हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं । मान्यवर, लखनऊ राजधानी में कुछ दिन पहले एक हेड कान्सटेबिल को अपराधी लोग मार देते हैं । जेल अधीक्षक को राजभवन के सामने मार दिया जाता है, यह घटना सरकार के मुंह पर तमाचा है । कल डी० जी० पी० कार्यालय के सामने वर्दी धारी पुलिस की हत्या कर दी जाती है और हत्यारे उसकी स्वचालित रायफल छीन ले जाते हैं, यह घटना कल सुबह 9.45 बजे हुई थी । मैं पूछना चाहता हूं कि राम राज कहां है ? भयमुक्त समाज कहां है । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी की हनक और धमक समाप्त हो गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि कल कान्सटेबिल पर जो गोली चलायी गयी है उस पर गोली नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था पर गोली चलायी गयी है । सरकार में यदि जरा भी नैतिक जिम्मेदारी होती तो इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये ।

मान्यवर, कान्सटेबिल को जो गोली लगी है वह शेर को मारने के काम आती है, मुख्य आरक्षी को माफिया के लोगों ने मारा है । महानगर में यह घटना हो रही है । इसी तरह श्री सी० आर० वर्मा जी ने भी बताया है कि जौनपुर में हत्यायें हो रही हैं लेकिन यह सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । मैं केवल इतना चाहूंगा कि अपराधियों को जो संरक्षण मिल रहा है उससे अपराधियों के हौसले बुलन्द हो गये हैं । 20 प्रतिशत से लेकर 49 प्रतिशत तक अपराध बढ़े हैं । आप अभी यह कह देंगे कि लिखे जा रहे हैं इसलिये बढ़ रहे हैं । मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आज सरकार के जलाल की आवश्यकता है, हिम्मत की आवश्यकता है । अगर जलाल होता है तो हिम्मत होती है । आज लखनऊ में नाक के नीचे हत्यायें हो रही हैं, चुनौती दी जा रही है क्योंकि अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है । अगर नहीं प्राप्त होता तो आज श्री प्रकाश शुक्ला वाले मामले में [x x x] न होती । मान्यवर, एस० एस० पी० कानपुर ने लिखा है कि उसमें उन्होंने एक मंत्री को अपराधी के रूप में दर्शाया है लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि आप उसमें कार्यवाही करें । जब तक आपमें हिम्मत नहीं होगी तब तक आप उत्तर प्रदेश की जनता को भयमुक्त नहीं कर पायेंगे । मान्यवर, अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय हो सकता है कि इसमें आपकी सरकार हिल डुल जाये लेकिन कार्यवाही की जाय ।

मान्यवर, इससे ज्यादा लोक महत्व का क्या हो सकता है कि एक वर्दीधारी व्यक्ति की हत्या, दिन दहाड़े हत्या, पौने दस बजे का समय । मान्यवर, वह तड़पता रहा लेकिन आम आदमी की हिम्मत नहीं हुई । पी० ए० सी० की टीम आती है और फिर उसको ले जाती है । मान्यवर, आज अगर अंगरक्षक को मारा जायेगा तो फिर आम आदमी कहां सुरक्षित रह पायेगा ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस गम्भीर चुनौती को व्यक्ति के रूप में न लें । मैं जानता हूं कि जवाब आ जायेगा और आंकड़े पढ़ दिये जायेंगे । मान्यवर, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर आप भयमुक्त

कराना चाहते हैं तो अपने गिरेबान में झांके और जो आपके [xxx] अन्यथा इस सरकार का भयमुक्त का नारा खोखला हो जायेगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मेरे पूर्व के दो साथियों ने सूचना के तहत अपनी बात रखी है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं दो एक बात कहना चाहूंगा क्योंकि एक हेड कांस्टेबिल की हत्या राजधानी में नाक के नीचे कर दी जाती है, अभी जेल अधीक्षक 'तेवारी' की निर्मम हत्या को हम भुला भी नहीं पाये थे उनकी मौत के गम भुला भी नहीं पाये थे कि इस हेड कांस्टेबिल की हत्या की गयी वह भी कहां डी० जी० आफिस के पास हुई और जहां पर पूरी रोड भरकर चलती है । पौने दस बजे के समय में हत्या की जाती है तो सरकार को निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए जो भय-मुक्त समाज का नारा लगाते हैं यह कितना खोखला और थोथा है । अगर यह आत्म विश्लेषण नहीं करेंगे तो यह चिन्ता की बात होगी । मान्यवर, यहां पर पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है । हमारी ओर से यह काम रोको प्रस्ताव आया है तो यह नहीं होना चाहिए कि इस पर विपरीत बात कही जाय । आज उत्तर प्रदेश की जो भयावह स्थिति हुई है जिस तरह से कानून को चुनौती दी जा रही है और शांति व्यवस्था को भंग किया जा रहा है । अपराधी भयमुक्त होकर घूम रहे हैं तो उन पर कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है । मिलजुलकर प्रयास करने की आज आवश्यकता है ।

विपक्ष ने अपना काम रोको प्रस्ताव रखा है । इसलिए घिसा पिटा जवाब देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया जायेगा तो यह उचित नहीं होगा । मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । इस पर सदन की पूरी कार्यवाही रोककर चर्चा होनी चाहिए ताकि माननीय सदस्य इस बात का सुझाव दे सकें कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को भयमुक्त बनाया जा सकता है । कैसे माफियाओं और अपराधियों से दंगा फैलाने वाले से मुक्ति दिलायी जा सकती है । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की सरकार में ऐसे तत्व बैठे हैं । यदि इनकी जांच नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा । इनकी जांच के उपरान्त यदि यह दोषी पाये जाते हैं तो इनको बाहर किया जाय चाहे इसमें आपकी सरकार ही क्यों न हिल जाय ?

मान्यवर, यदि सरकार में जो इस प्रवृत्ति के हैं उन मंत्रियों को, जो कहीं न कहीं से परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, कार्यवाही करने का प्रयास किया जाता तो निश्चित रूप से उससे सरकार की छवि ही सुधरेगी और आपकी जनता में प्रशंसा होगी । मान्यवर, सभी विधायकों की बातें आ जायं । अतः अनुरोध है कि इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता–

10 सदस्यों की आगे सूचना है । मैं माननीय मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि कृपया दो सदस्यों को अधिकृत कर दें अपने दल के ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अलग-अलग सूचना है हरेक सूचना पर एक-एक सदस्य को सुन लें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, तीन सदस्य बोल लेंगे ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, हमारे सीतापुर का पुलिस प्रशासन बिल्कुल अपंग हो चुका है । मान्यवर, सीतापुर में नेता सदन जाकर निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि थाना अध्यक्ष सच्चाई की रिपोर्ट नहीं लिखते हैं । आज

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

क्राइम में बढ़ोत्तरी हो रही है । यह बात बिल्कुल सही नहीं है क्राइम लिखे जा रहे हैं । इसलिए बढ़ोत्तरी हो रही है । हरगांव थाने में नेता सदन ने देखा था और थाना इंचार्ज को निलम्बित किया था । वे घटनाएं आज भी बन्द नहीं है । मान्यवर, आज वहां रोड होल्डअप की भी घटनाएं हो रही हैं । डकैतियां हो रही हैं । त्योला गांव में डकैती हुई है । ऐसा जघन्य अपराध हुआ है कि उस इलाके के आस-पड़ोस के गांव वाले भी भयभीत हो गये हैं लेकिन उसकी एफ० आई० आर० नहीं लिखी गई । मान्यवर, 10/11 फरवरी की रात्रि में गांव कहमारा में शादी होकर बारात आई थी दहेज भरा हुआ था । तमाम मेहमान घर में मौजूद थे । 20-25 डकैत मय असलहे आदि के साथ आए थे तमाम औरतों के साथ बलात्कार किया । दो दिन पहले आई दुल्हन के साथ दुर्व्यवहार किया उस दुल्हन को नंगा करके गांव में भेज दिया गया । बेचारी पेटीकोट पहनकर मारी-मारी फिर रही थी । चार घरों में उन्होंने लूट मार की । लोग सुबह थाना इंचार्ज के पास घायल अवस्था में गये । थाना अध्यक्ष ने कहा कि.....

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

अगर बलात्कार की बात करोगे तो अपमानित हो जाओगे और शर्मिन्दा किये जाओगे समाज के अन्दर इसलिए कहा गया कि दुल्हन के साथ यह जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको न कहें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, कसरैला लहरपुर मार्ग पर राहजनी की घटना हुई और एक व्यक्ति की हत्या हो गई । ट्रैक्टर वाले की मृत्यु हुई ।

श्री अधिष्ठाता–

मुझे बाध्य न करें कि इसको अंकित न करने का निर्देश दूं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अब अंकित नहीं किया जायेगा

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[x x x]

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस प्रदेश के सामने एक गंभीर चुनौती है । बार-बार हमारी सरकार यह कहती है कि यह सरकार चमक-धमक और हनक से चल रही है । यह चमक धमक और हनक आज डकैतों लुटेरों और हत्यारों की है इस पर इस सदन में पूरी चर्चा होनी चाहिए तभी यह प्रकाश में आयेगा । मान्यवर, अनेकों घटनाएं हो रही हैं । लखनऊ में एक जेल अधीक्षक को मारा गया । अम्बेडकर नगर में 22/23 की रात को विद्युत विभाग की तिजोरी लूट ली । अलगूराम चौधरी की हत्या हो गयी । जौनपुर में अबोध बालिका के साथ बलात्कार होता है । इस तरह से अनेकों अपराध हो रहे हैं इसके जिम्मेदार सरकार में

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

बैठे हुए ऐसे लोग हैं जिनके कारण ऐसा वातावरण बना है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस गंभीर प्रश्न पर, प्रदेश की आम जनता से जुड़े हुए सवाल पर जो नियम 56 का पालन करता है । मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ताकि अच्छे सुझाव आ सकें और इस प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हो सके इसलिए नियम–56 के अन्तर्गत ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, आज प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ गयी है जितनी इसके पहले कभी नहीं थी । हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्य आरक्षी जगतपाल की हत्या हुई । राजभवन के सामने जेल अधीक्षक की हत्या हुई और कल मुख्य आरक्षी दर्शन लाल की हत्या की गयी । यह हत्या इस बात की गवाह है कि सरकार की कानून व्यवस्था की स्थिति एक दम ध्वस्त हो गयी है । आज आम जनता की बात कौन कहे ,जिनके कंधों पर प्रदेश की सुरक्षा का दायित्व है आज वे भी सुरक्षित नहीं हैं । उनकी हत्यायें की जा रही हैं । सरकार की यही स्थिति रही तो आगे आने वाले दिनों में गनर को भी अपनी सुरक्षा के लिये गनर की जरूरत पड़ेगी । राजधानी में रोज हत्यायें हो रही हैं । इस भयमुक्त समाज का झूठा नारा देने वाली सरकार की चादर अब खींची जा रही है ताकि यह झूठे दावे करने वाली सरकार झूठे दावों की आड़ न ले सके । चाहे 6 वर्ष की बालिका हो या 84 वर्ष की वृद्धा हो किसी की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है ।

पुलिस महानिदेशक के वर्ष 1997-98 के आंकड़ों को देखा जाय तो पता चलेगा कि अपराध किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं ? डकैतियां 1997 में 636 हुयीं और 1998 में 803 हो गयीं । वर्ष 1997 में लूट 3053 हुयीं और वर्ष 1998 में 3888 लूट की घटनायें हुयीं । हत्यायें वर्ष 1997 में 6834 हुयीं और वर्ष 1998 में 7393 हुयीं । मान्यवर, बलवा की घटनायें 1997 में 4309 हुयीं और वर्ष 1998 में 6407 हुयीं । इसी तरह से दहेज हत्यायें वर्ष 1997 में 1516 हुयीं और 1998 में 1916 हुयीं । बलात्कार वर्ष 1997 में 1104 हुये और वर्ष 1998 में 1296 हुयी । महिला उत्पीड़न की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुयी और वर्ष 1998 में 2761 हो गयीं । इन 6 महीनों में 70 महिला उत्पीड़न की घटनाओं में 40 दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनायें हुयीं । यह उत्तर प्रदेश सरकार जो बेईमानी, भ्रष्टाचार और दल बदल के बल पर चल रही है उसको भंग किया जाना चाहिए । आज चुनाव करा लिये जायं तो इन लोगों का बस्ता गोल हो जायेगा । इसलिये मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, कल एक दर्दनाक घटना इस नगर में हुयी और उस घटना को लेकर कार्य-स्थगन के रूप में लोगों ने अपने विचार रखे । जहां तक घटना का प्रश्न है इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक पुलिस हेड कांस्टेबिल की सरेआम पब्लिक प्लेस पर हत्या कर दी गयी और उसकी स्टेनगन लूट ली गयी । यह वास्तव में दर्दनाक घटना है । जहां तक सरकार का प्रश्न है जो कार्यवाही होती है । एफ०आई०आर० लाज होगी और जांच होगी लेकिन यह जो जेल अधीक्षक की हत्या की घटना हुयी है और यह जो घटना हुयी है इसको सरकार ने एक चुनौती माना है और एक विशेष दल का गठन किया गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

सरकार को जगा दिया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इनका यह हाल है कि जिस घटना का जिक्र हो रहा हो तो कम से कम उस पर गंभीर होना चाहिए लेकिन कितने [x x x] उस पक्ष के लोग हैं कि ऐसी गंभीर घटना जिससे रोंगटे खड़े हो जायं, उस पर .....

श्री प्रमोद कुमार–

मुख्य मंत्री सो रहे थे । उनको जगा रहे हैं । मैंने कहा कि सरकार को जगा दूं । मान्यवर, यह भी सो जायं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपके रहते सरकार कैसे सो सकती है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, टोकाटोकी चलती रहती है । पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में लेकिन कम से कम ऐसी घटना पर हम अपनी गंभीरता को बनाये रहें । सदैव आपने यही [x x x] की है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसकी आवश्यकता नहीं है । कृपया मंत्री जी अपनी बात कहें ।

श्री हुकुम सिंह–

जवाब हम भी देना जानते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [x x x] शब्द को यह वापस ले लें । यह मुख्य मंत्री की [x x x] कर रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

हर बात की सीमा होती है । [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी और माननीय मंत्री जी, चाहे आप इधर बैठे हों या उधर बैठे हों । दोनों ही पुराने और अच्छे मित्रों में हैं । दोनों ही बड़े अनुभवी एवं संसदीय ज्ञान रखते हैं । नोक-झोंक इस स्तर पर पहुंच जाये यह उचित नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं सम्मानित सदन को, यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो । इसके लिए कृत-संकल्प हैं । हम स्वयं इस बात से आहत हैं कि ऐसी घटना हो चुकी है । हम उन बातों का उल्लेख पुनः नहीं करना चाहते कि क्या अब तक हुआ ? किसको पकड़ा ? कौन कुख्यात अपराधी था ? बार-बार कहने से उसका अर्थ नहीं रह जाता है । माननीय सदस्यगण चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों । पुनः इसी बात पर बल देते हुये दूसरे टास्क फोर्स का गठन किया है । वह केवल इस घटना के बारे में वह जानकारी करेगी और जिन्होंने यह कृत्य किया है उनको गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी । कुछ माननीय सदस्यों ने अलग-अलग घटनाओं का उल्लेख किया । बुनियाद हुसैन अंसारी ने सीतापुर की घटना का उल्लेख किया । उसमें 6 अपराधी नामजद हुये थे दो को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है । एक बलात्कार की घटना का उल्लेख किया उसमें अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया । लालजी वर्मा ने जो जिक्र किया उसमें अपराध संख्या–15/99 के दो

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है । जहां-जहां की जानकारी प्राप्त की है । घटनाओं के बारे में अपराध पंजीकृत हुये हैं । जो शेष बचे हैं उनमें प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । त्योला ग्राम थाना तालगांव में तथा कैहमारा में डकैती पड़ी । अभी आपने बताया कि दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है । वह कहां के बारे में हैं ? ग्राम त्योला और ग्राम कैहमारा के मुल्जिम हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अपराध संख्या–32/99 धारा 459 के अन्तर्गत 11-2-99 को मुकदमा कायम हुआ था उनमें 6 आदमी नामजद किये गये थे उसमें से दो आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, राजधानी के अन्दर सरकार के नाक के नीचे कल एक दर्दनाक घटना घटित हो गयी । आये दिन इस तरह की घटनायें हो रही हैं । कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है । इसके विरोध में मैं और मेरे साथीगण सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, हम वहां की पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि डकैती की रिपोर्ट ही नहीं लिखी गयी और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि दो आदमी गिरफ्तार किये गये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने जिस घटना का उल्लेख किया है और कहा है कि एफ० आई० आर० नहीं लिखी गयी । मैं उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसके बारे में जानकारी कर लूंगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, एक ही थाने के दो ग्राम त्योला एवं कैहमारा में डकैती पड़ी और रोड होल्ड अप हुआ क्या यह तीनों मुकदमें कायम हुये हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी अगर सूचना स्पष्ट न हो तो माननीय सदस्य से आग्रह कर लेता हूं । जिस मामले में एफ० आई० आर० नहीं हुई है उसे दिखवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात मैंने कह दी है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

आपको सुनना चाहिए था । मैंने मंत्री जी से यह अनुरोध किया है कि अगर यहां पर सूचना इस समय एकत्र न हो तो आप मिलकर बता दें । जिस मामले में एफ० आई० आर० दर्ज न हो उसको दिखवा लें । उन्होंने स्वीकार कर लिया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अधिष्ठाता महोदय, पूरे प्रदेश में जिस तरह से नित्य प्रति घटनाएं हो रही हैं और सरकार का रवैया हमेशा टालने वाला रहता है । यह बहुत ही दयनीय स्थिति है । मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन पूरे प्रदेश में जिस तरह से उत्पीड़न हो रहे हैं । अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार आंख मूदकर बैठकर देख रही है, सुन रही है, लेकिन उसके बावजूद कान पर जूं नहीं रेंग रहा है । यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है । परसों की बात है यहीं पर एक डिग्री कालेज में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था तो मा० संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि कोई घटना संज्ञान में नहीं है मैंने इस संबंध में विधान सभा अध्यक्ष के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया जिस पर हजरतगंज थाने की रिसीव थाने के हेड मुहर्रिर की मुहर सहित संलग्न किया उसकी रिसीव मैंने अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत की । इस तरह से सरकार हमेशा यह कहती है कि हम देख लेंगे । हम कार्यवाही करेंगे । हम टास्क फोर्स का गठन करेंगे लेकिन उसका कार्यान्वयन कभी नहीं किया जाता है । फर्जी भाषण से सरकार की कानून व्यवस्था सुधर नहीं सकती है । इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए व शर्म करनी चाहिए । लेकिन नित्य प्रति इस तरह की घटनाएं हो रही हैं । आज कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में इतनी गिर चुकी है कि अगर श्री कल्याण सिंह सरकार में नैतिकता है तो एक मिनट भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए । इस्तीफा दे देना चाहिए । यह कहते हैं कि धमक से सरकार चलेगी लेकिन गुण्डा और माफिया लोग सरकार में शामिल हैं यह अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं इनके मंत्रियों की ही हनक है लेकिन पूरे प्रदेश में जनता त्राहि-त्राहि कर रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं तो आपकी सदस्यता का प्रशंसक था । आपका नाम सूचना पर था मैंने आपसे अनुरोध किया था कि 3 माननीय सदस्य आपके दल के बोल लें आपने स्वीकार कर लिया । फिर आप इसके बाद लम्बा वक्तव्य दे रहे हैं । यह उचित नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अब आप जो बोल रहे हैं वह अंकित नहीं किया जायेगा ।

(श्री राम ललित चौधरी तथा उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया ।

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रकार के नारे लगाना संसदीय परम्परा के अनुकूल नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं समझ रहा था कि इस संवेदनशील सरकार में अगर जरा भी संवेदनशीलता होती तो इस तरह की कुछ घोषणा करती । परन्तु माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह भी नहीं बताया कि कोई विशेष कार्य दल का गठन होगा कि नहीं होगा । मान्यवर, जो मृतक है वह यूनीफार्म में था और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था । कम से कम मृतक के परिवारजन को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये थी । उसका भी जिक्र माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नहीं किया । समयबद्ध ढंग से यह बता देते कि एक सप्ताह या 10 दिन के अन्दर अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, जहां तक कानपुर में विद्युत व्यवस्था की बात है वह ध्वस्त हो गयी है। पेयजल समस्या बड़े पैमाने पर वहां मुंह बाये सामने खड़ी है लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कानपुर के लिए बजट में कोई स्पेशल प्राविधान नहीं किया है जो कि उन्हें करना चाहिए था। मान्यवर, इस सरकार के समय में बड़े पैमाने पर दलितों, पिछड़ों और मुसलमान भाइयों के साथ अन्याय और भ्रष्टाचार तथा उत्पीड़न हुआ है जोकि किसी शासनकाल में नहीं हुआ। मान्यवर, इसी सदन में पिछले बजट के समय मैंने चौबेपुर में महिपालपुर गांव के संबंध में कहा था कि वहां दलित मलिन बस्ती को, सत्ता में बैठे एक मंत्री की देख-रेख में ध्वस्त किया गया था। एक साल हो गया है वे लोग खुले आसमान में रह रहे हैं और बरसात में वे भीगने के लिए मजबूर हैं। जिनके लिए इस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया है चूंकि वे दलित समाज के लोग थे। उनको उजाड़ने का काम तो किया गया है लेकिन उनको बसाने का काम और आवास देने का काम नहीं किया गया है।

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो हत्याएं ग्राम हस्कर में हुई हैं जिनमें एक भी मुल्जिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है जबकि 4 महीने बीत गये हैं। इसी तरह गांव पतारी में एक दलित की हत्या कर दी गयी थी, जिसमें 5 लोग नामजद किये गये थे किन्तु उन्हें भी आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी तरह हमारे विधान सभा क्षेत्र में बैरियर चौकी के पास लूट की घटनाएं और हत्याएं होती हैं। लोगों की रायफल छीन ली जाती हैं लेकिन इन घटनाओं में किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

मान्यवर, जब राजधानी में कानून व्यवस्था के पहरेदारों की हत्याएं हो रही हैं तो आम आदमी की हत्या के बारे में मुख्य मंत्री जी कहां संवेदनशील होंगे ? मान्यवर, मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि जहां-जहां दलित, मुसलमान और अल्पसंख्यकों तथा गरीबों के साथ अन्याय हो और उनको मारा जाय, वहां वह संवेदनशीलता बरते और अपराधियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करायें। मान्यवर, लेकिन मुख्य मंत्री जी की ऐसी मंशा नहीं है इसीलिए हमारे क्षेत्र के अपराधियों को जो हत्याओं में शामिल हैं उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज समय सीमा निर्धारित नहीं हो पा रही है जैसे लखनऊ में मुख्य आरक्षी को मारा जाता है लेकिन अपराधियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि चूंकि सरकार दलित, पिछड़े, अल्पसख्यकों और किसानों की विरोधी है। इसलिए इसमें समय सीमा निर्धारित करने की कोई बात सरकार नहीं कर रही है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार का महापुरुषों के प्रति कोई अच्छा रवैया नहीं रहा है। महापुरुष तो यह मानते हैं लेकिन उनका सम्मान नहीं करना चाहते हैं। अगर पिछली सरकार ने कोई काम किये हैं तो उस पर मिट्टी डालने का काम यह कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर उद्यान में विकास करना तो दूर, बिजली कटवाने का काम किया है। जो महापुरुषों के नाम पर जिले बनाये गये थे उनको भी कटवाने का काम यह कर रहे हैं। यह एक संवेदनशील विषय है। इसलिए जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है। मैं उसका विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस बजट में भाग लेकर अपने विचार रखने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कोई नयी दिशा दे सकेगा ऐसा मेरा मानना नहीं है। यह एक दिशाहीन बजट है और इसके साथ-साथ इसमें इस बात का संकल्प कम है कि हम इस प्रदेश की जर्जर आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। पिछले वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने

अपने बजट भाषण में कहा था और इस वर्ष भी उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि हम विकास को दलगत राजनीति से अलग रखना चाहते हैं । विकास राजनीति का विषय नहीं है ।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आग और पानी एक दूसरे के विरोधी हैं । अगर आग में पानी डाल दें तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है । लेकिन जब वे एक दूसरे के पूरक हो जायें तो आप जानते हैं कि जो पानी से ऊष्मा बनती है उससे सैकड़ों वर्ष तक देश में ही नहीं वरन् पूरी दुनिया ने रेल चलाने का काम किया है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम उत्तर प्रदेश में शुरू करें और यह बात केवल बजट में न रहे । आप इसे धरातल पर उतारने का काम करें तो निश्चित रूप से हमारा कहना है कि इससे लाभ होगा । मान्यवर, दीर्घ कालिक नीतियां बने । आपके बजट भाषण में उल्लेख है कि जब सरकारें आती हैं तो नीतियां बदल जाती हैं लेकिन वह पहल करेंगे कि दीर्घकालीन नीतियां बनें । वे उत्तर प्रदेश में ऐसी नीतियां बनाने का काम करेंगे जो पक्ष और विपक्ष की आम राय से बने, तो यह अभूतपूर्व काम होगा । एक अभूतपूर्व कदम होगा और इसके लिए प्रदेश की 16 करोड़ जनता आपको साधुवाद देगी । लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह भावनाएं बजट भाषण तक ही रही हैं और उसे साकार रूप देने का प्रयास नहीं हुआ है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने यह कहा है कि सरकार आयी और बदलती रही । प्रदेश का विकास पीछे छूटता रहा मैं इस बात से सहमत हूं । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो सरकार जल्दी आती है चली जाती है उसकी अपेक्षा एक कमजोर सरकार जो राजनीतिक निर्णय लेने में अक्षम हो, जो दबाव में काम करती हो और राजनीतिक विवादों के कारण वह जो निर्णय लेना चाहती हैं वह नहीं ले पा रहे हैं और इसी कारण आज प्रदेश की यह आर्थिक स्थिति है । मान्यवर, प्रदेश की जो पिछली सरकारें थीं उनके जमाने में राजस्व में भारी कमी हुई । यह कहा गया कि हमें टूटी-फूटी आर्थिक व्यवस्था मिली है इसी के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संभालने में कठिनाई हो रही है । पिछले पांच वर्षों में जब-जब राजनीति के लोग सत्ता में रहे । 97-98 का वर्ष ऐसा आया जब राजस्व में 8.3 प्रतिशत की आय में कमी हुई और खर्चों में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है । अब ऐसी स्थिति को माननीय मुख्य मंत्री जी घुमाकर बताने का काम कर रहे हैं । हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने कहा था–

"मैजारिटी इन पार्लियामेन्ट एण्ड स्टेट लेजिस्लेटिव वेयर नो गारन्टी आफ स्टेबिलिटी आफ गर्वनमेन्ट्स एण्ड इफ प्राब्लम्ब्स आफ पावरटी हंगर एण्ड अनइम्प्लायमेन्ट वेयर नाट साल्व्ड विथ ए रिसोल्यूट विल वी कैन नाट इस्कैप दी क्लास स्ट्रगल एण्ड देन व्हाट वील सरवाइव इज डिफिकल्ट टू प्रीडिक्ट ।" यदि हम भूख से नहीं लड़ेंगे, गरीबी से नहीं लड़ेंगे, बेराजगारी से नहीं लड़ेंगे तो सरकार का भले ही बहुमत सदन में हो या न हो, वर्ग संघर्ष देश प्रदेश में होगा उसको रोक नहीं सकते ।

मान्यवर, दो मिनट और लूंगा । मान्यवर, फिर क्या शेष रहेगा और क्या शेष नहीं रहेगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में मार्ग नीति और अन्य बातें बताई कि हमने यह नीति बनाई है । मान्यवर, प्रदेश की 16 करोड़ जनता जिसकी लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है । बेहद अफसोस की बात है कि कृषि नीति अभी तक नहीं बनी जिसको सबसे पहले बनना चाहिए था । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने एक साल 5 माह के कार्यकाल में उस नीति को बनाने का काम नहीं किया । इससे समझ में आ जाता है कि यह सरकार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी गंभीर है । कृषि पर जो हमारी 80 प्रतिशत जनता आधारित है । उसको कम न करने का काम करके ऐसे उद्योगों का संरक्षण करते जो कृषि पर आधारित हों जिनका कच्चा माल हमारे गांव में ज्यादा होता है जबकि ऐसा नहीं है । अतः हम कह सकते हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम नहीं करना चाहती । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यहां सदन में घोषणाएं की हैं कि मंत्रि-परिषद् ने कटौतियां और मितव्ययिता बरतने का पूरा

काम किया गया है । माननीय सदस्य इन बातों को जानते हैं परन्तु जनता में इसलिए संदेश गया क्योंकि सरकार की विश्वसनीयता आज सबसे निचले पायदान पर है । मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि 50 लाख रुपए विधायक निधि में देंगे लेकिन 25 लाख रु० मिलते हैं टिहरी परियोजना के लिए 100 करोड़ रु० देने की बात 97-98 में की गयी । इनके सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि केवल 70 करोड़ रु० देंगे । फिर कहा गया कि हमने 20 करोड़ रुपए दे दिये हैं । अनुपूरक बजट में 40 करोड़ रुपए लिए गये हैं । इसी तरह से कहा गया कि दो हजार सन् तक हर एक हजार आबादी वाले गांव को सड़क से जोड़ने का काम करेंगे । 10 महीने बाद जब दूसरा बजट पेश होता है तो यह सीमा बढ़ाकर 2 हजार 5 सन् कर दी गई । इस सरकार की विश्वसनीयता इस सदन के 425 सदस्यों में नहीं है जो 16 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । बाहर सोलह करोड़ जनता में तो विश्वसनीयता बने रहने का सवाल पैदा नहीं होता है । सरकार ने जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना की बात कही, समूह 'ग' में भर्ती की है । मान्यवर, इन भर्तियों के साथ-साथ ये दूसरी ओर सीमेन्ट कारपोरेशन के मजदूरों को निकाल रहे हैं और कताई मिलों को बन्द करने का काम कर रहे हैं । अपट्रान को बन्द करने का काम कर रहे हैं इस तरीके से भारी तादाद में लोगों को निकालकर चन्द लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं । यह सरकार सारी चीजों को निजी क्षेत्र में देने का काम कर रही है । यह आपकी नीतियों का विरोधाभास है ।

मान्यवर, जब हम चीजों को निजी क्षेत्र में चलाते थे तो कहते थे कि उनका राष्ट्रीयकरण हो ।

आज समय ने फिर पूरा चक्र किया है और हमारी आज सरकार वर्ल्ड बैंक के दबाव में बिजली को निजी सेक्टर में देने का कार्य कर रही है । मैं कहना चाहता हूं कि उसके बाद कोई नई योजना बिजली उत्पादन की इस प्रदेश में नहीं लगाई गयी । डेढ़ वर्षों से यह कहा जा रहा है कि समझौता कर रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार से कितने समझौते हुए कितनी पूंजी आई ? कितने बिजली घरों को लगाने का काम हुआ जिससे बिजली उत्पादन बढ़ जायेगा ? मान्यवर, इनके पास कोई जवाब नहीं है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज हेल्थ का बजट 70 करोड़ रुपया का पूरा परिव्यय है साढ़े चार रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से बजट है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, दो मिनट लूंगा । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब सदन शुरू होने वाला था उसके पहले बिजली के रेट बढ़ा दिये गये । यह सरकार सदन में इसके दाम बढ़ा सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया । मैं यह जानता हूं कि सरकार पर प्रतिबद्धता नहीं है लेकिन निश्चित रूप से यह प्रजातांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार है । सरकार ने यह तिरस्कार का कार्य किया है । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था इसको हम आईसोलेशन में नहीं देख सकते हैं । पृथक करके नहीं देख सकते हैं ।

मान्यवर, आज पेटेन्ट बिल जिसके बारे में बाजपेयी जी ने चर्चा की बासमती चावल, नीम, हल्दी, आंवला को पेटेन्ट कराने की बात करी जा रही है । बीमा के निजी क्षेत्र का बिल लाया जा रहा है । हमारा यह देश-प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी पैदा करता है उसको ठप्प करने का काम यह सरकार कर रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जी को यह अवसर मिलता है कि जब राष्ट्रीय डेवलपमेन्ट कौंसिल की मीटिंग होती है तो उ० प्र० की 16 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप मुख्य मंत्री जी का बयान आना चाहिए । इन्होंने बताया है कि यह जो बीमा राष्ट्रीय सेक्टर में है यह हमारी झोपड़ियों को बीमा करने की जरूरत है तो करेगी । माननीय मुख्य मंत्री जी यह आपकी चिट्ठी हमारे पास है मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि अगर यह बीमा कम्पनी प्राइवेट होगी तो गरीब को सहूलियत कैसे मिलेगी । बासमती पेटेन्ट होगा तो किसानों का क्या होगा ? चीनी आयात होगी तो हमारे उद्योग का क्या होगा ? तो इन सवालों को 16 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप माननीय मंत्री जी राष्ट्रीय विकास परिषद् में रखेंगे तो उनको साधुवाद दूंगा । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी क्या कारण हैं कि कोई वर्ग के लोग हों, कोई हो जो आपसे संतुष्ट हो सरकारी कर्मचारी, किसान, व्यापारी, नौजवान, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के लोग हैं । कोई संतुष्ट नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि एक हुंकार हो रही है । मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर की 6 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं ।

"हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती,
सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है,
जनता की रोके राह, समय में ताव कहां ?
वह जिधर चाहती, काल उधर ही मुड़ता है ।
दो राह, समय के रथ का घर्घर-नाद सुनो,
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ।"

* श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं बजट के पक्ष में अपनी बात रखना चाहता हूं । हमारी जो पिछली सरकारें थीं और उनका जो कुप्रबंधन था और जो अनियोजन था और उनमें जो दीर्घकालीन दृष्टि का अभाव था उसके चलते उत्तर प्रदेश आर्थिक क्षेत्र में काफी पीछे चला गया और आर्थिक स्थिति काफी जर्जर है । लेकिन जब मैंने इस बजट को पढ़ा तो सरकार की एक संकल्प शक्ति इसमें दिखायी पड़ी और एक नीति दिखायी दी इससे प्रदेश का विकास होगा और यह प्रदेश जो आर्थिक पटरी से नीचे उतर गया था उसको सही दिशा मिलेगी । मान्यवर, 1988-89 में राजस्व घाटा 605 करोड़ रुपये था और वह बढ़ते-बढ़ते 98–99 में 866587 करोड़ रुपये हो गया है । राजस्व घाटे की पूर्ति के लिये सरकार कर्जा लेती है । 31 मार्च, 98 में इस घाटे की पूर्ति के लिये करीब 5040 करोड़ रुपये का ब्याज अदा करना पड़ा । सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये कदम उठाये हैं । कर राजस्व में 15 प्रतिशत की वृद्धि करके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया गया है ।

मान्यवर, यह देखा जाता था कि पी०एल०ए० में काफी धनराशि जो पड़ी रहती थी उसका उपयोग नहीं हो पाता था । अब पी०एल०ए० में धनराशि जमा करने की पूर्ववृत्ति में रोक लगायी गयी है । सबसे बड़ा काम शासन ने यह किया है कि जो स्वीकृतियां थीं उनको अप्रैल, 1999 तक निर्गत करने का निर्णय लिया गया है । जैसा मैंने निवेदन किया सरकार ने अनेक नीतियां बनायी हैं, वन नीति, पर्यटन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार ने बजट के माध्यम से जो इच्छाशक्ति और संकल्पशक्ति प्रकट किया है और दूरगामी नीतियां बनायी हैं हम लोग मिलजुल कर इस बजट को पास करें और प्रदेश के विकास में सहभागी बनें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सौलत अली एडवोकेट--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट के चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें बार-बार भयमुक्त समाज भय ग्रस्त अपराधी, गड्ढा मुक्त सड़कें, निष्पक्ष विकास, क्षेत्रीय सन्तुलन के नारे गूंजे हैं। अगर इनके क्रियान्वयन को देखा जाये और सरकार की निष्क्रियता पर गौर किया जाये तो यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है, कि यह बजट भ्रामक है, दिशाहीन है और जनविरोधी है। आपकी वित्तीय स्थिति यह है कि 48,365 करोड़ रुपये के आप कर्जदार हैं। बजट में कहीं भी कोई योजना इसको कम करके इसको अदा करने के लिए नहीं दी है। उपलब्धियां आपने गिनाई हैं लेकिन गन्ना मूल्य किसानों का दो-दो साल का बकाया है। रामपुर चीनी मिल पर काश्तकारों ने परेशानी के कारण गन्ना बोना छोड़ दिया हमारे यहां मेरे विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में 75 प्रतिशत गन्ना किसानों ने गन्ना बोना छोड़ दिया है। यह आपकी उपलब्धियां हैं। विकास कार्यक्रमों की आपको चिन्ता है लेकिन जितना दुरुपयोग विकास कार्यक्रमों का इस सरकार में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। बढ़ती जनसंख्या की आपने बात की है कोई योजना कोई कार्यक्रम आपके पास नहीं है कंट्रोल के लिए, आपने इस बजट में लेशमात्र भी हवाला नहीं दिया है। महिला कल्याण की आप बात करते हैं।

प्रत्येक ब्लाक में एक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की आपनें बात की है। हमारे क्षेत्र में तीन ब्लाक आते हैं तीनों ब्लाकों में आज तक एक भी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं खोला गया है। ऊर्जा क्षेत्र में ढांचागत सुधार की बात करते हैं। मुरादाबाद और रामपुर के बीच पांच निर्यात फैक्ट्रियां हैं। दो साल से यह प्रयास हो रहा है कि उन्हें गांव के फीडर से अलग करके उनका अलग फीडर बना दिया जाए। लेकिन उन पांचों निर्यात फैक्ट्रियों को शहरों के फीडर से नहीं जोड़ा गया न ही अलग फीडर बनाया गया। वहां चौबीस घंटों में मात्र दो-चार घंटे बिजली आती है। आपने अपने बजट में गो सेवा आयोग का गठन किया है बजट भाषण के पृष्ठ सं० 06 पर है। यह बात तो समझ में आती है कि गो हत्या पर प्रतिबन्ध लगता है लेकिन आपने गो संवर्धन और गो रक्षा पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की बात की है क्या इसके लिए आपने गो सेवा आयोग का गठन किया है क्या यह भी सरकार की उपलब्धि मानी जाय। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आपने बहुत बातें कही हैं। लेकिन आपकी सरकार में एक भी अल्पसंख्यक संस्था को रिकग्नीजीशन नहीं मिला है। यह उपलब्धि है आपकी। जुबली गर्ल्स कालेज कानपुर में 2600 छात्र पढ़ते हैं इसमें मात्र एक हजार छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है यह आपकी उपलब्धि हो सकती है। माइनारटी कमीशन आपकी सरकार में लगभग नगण्य है। बल्कि सस्पेंड हो रहा है। 1961 में यह तय हुआ था कि एक मात्र भाषा और उसके साथ एक अन्य भाषा पढ़ाई जाएगी वह भाषा यूरोप की भी हो सकती है।

कोठारी कमीशन ने भी इसकी संस्तुति की थी। आपकी सरकार में तीसरे दर्जे से संस्कृत अनिवार्य कर दी गई है। यह काम शायद अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाई पर रोक लगाने के लिए किया गया है। चूंकि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई नहीं जाती है इसलिए छठी कक्षा में मुस्लिम बच्चों का दाखिला नहीं हो पाएगा। उनको संस्कृत नहीं आएगी। मौलाना अली मियां अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के सम्मानित व्यक्ति हैं। देश के सभी धर्मों के लोग उनको सम्मान देते हैं। आपकी सरकार में आपके पुलिस वालों द्वारा उनके

घर की तलाशी लेकर उनको अपमानित किया गया । जांच में यह बात साबित भी हो गई है । यह सब आपकी सरकार के माध्यम से हुआ । इससे अल्पसंख्यकों को कितना अपमानित किया गया या सम्मान मिला है । यह फैसला आप स्वयं करें । हमारे मुरादाबाद जनपद के प्रभारी मंत्री थे मा० मारकण्डेय चन्द उन्होंने वहां का दौरा किया । बाढ़ ग्रस्त और जल भराव के सात प्वाइंट उनको देखने थे लेकिन 6 प्वाइंट आपकी पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में थे इसलिए उन्होंने उसको देखा और सातवां हमारी विधान सभा के प्वाइंट को छोड़ दिया क्योंकि वह अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में था या फिर विपक्ष के विधायक के क्षेत्र में आता था ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

बारम्बार यह नारा लगता था कि भयमुक्त समाज भयग्रस्त अपराधी लेकिन इन शब्दों का सरकार अर्थ नहीं निकाल पाई या सरकार ने जानबूझ कर परिभाषाओं को परिवर्तित कर दिया । अगर ये नारे इस तरह से कर दिये जायं कि 'भयमुक्त अपराधी, भयग्रस्त समाज', गड्ढा युक्त सड़के और क्षेत्रीय असंतुलन तो कोई गलत बात नहीं होगी । आज ही अखबार में एक हेडिंग थी 'गनर को गनर चाहिये' । महानगर में पुलिस चौकी के पास मुख्य आरक्षी जगन्नाथ पटेल की हत्या होती है, डी०जी०पी० कार्यालय के पास मुख्य आरक्षी दर्शन लाल यादव की हत्या होती है, बिजनौर में माननीय वक्फ मंत्री के गनर ए०यू० खान की हत्या होती है और राजभवन के सामने जेल अधीक्षक रमाकान्त तिवारी की हत्या होती है । मेरे क्षेत्र में 2 जनवरी, 1999 को टाण्डा रोड पर 5 घंटे तक रोड होल्ड अप करके वाहनों को लूटा जाता है और लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है परन्तु आज तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया । कल ही सरोजनी नगर में लाखों रुपए लूट हुई है । माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी कल आंकड़े गिना रहे थे कि कितनी लूटें हुई, कितने और काण्ड हुए, उसी में [×××] यह भी आपकी उपलब्धि कही जा सकती है । मान्यवर, सेतु निर्माण और गड्ढा मुक्त सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं । मेरे यहां एक नेशनल हाइ-वे का रास्ता है, 24 कि०मी० का एक दिल्ली टेहरी मार्ग है और दूसरा बाजपुर–नैनीताल मार्ग है । इन सड़कों पर कितना गड्ढा मुक्त कार्य हुआ है, इसे आप स्वयं देख लें ? आज ये सड़कें गड्ढों से पटी हुई हैं, मैं यह बात चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, नहर पटरी योजना की बात कही गई है । यह कहा गया कि हम 1 हजार किलोमीटर नहर पटरी प्रत्येक वर्ष पक्की कर रहे हैं । यह दो साल से आप कह रहे हैं । मेरे क्षेत्र में 50 कि०मी० की नहरें आती हैं । पिछली बार भी मैंने इसे उठाया था और इस बार भी मजबूरन उठा रहा हूं, आपने क्षेत्रीय असंतुलन बनाने के लिये पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया । मेरे क्षेत्र में एक इंच भी नहर पटरी पक्की नहीं करायी गई बल्कि अपने सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्र में यह सब पैसा लगाया गया और मा० मुख्य मंत्री जी आपके आदेश से लगाया गया । मेरे क्षेत्र में करुला रहमत नगर सम्भल रोड पर कई गांव नगर निगम में आ गये, जिनकी आबादी लगभग दो लाख से ऊपर है परन्तु आज तक वहां पर न तो कोई अस्पताल है, न प्राइमरी स्कूल है, न हाईस्कूल है, न ही डिग्री कालेज है और न ही कन्या पाठशाला है और न ही पानी की टंकी या पानी की कोई पाईप लाइने बिछाई गई है । यदि इन सब बातों पर इस बजट में सोचा गया होता तो तब हम इस बजट को जनविरोधी नहीं कहते । मान्यवर, कल यहां

नोट :–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

करने की घोषणा की जिसमें 24 करोड़ 15 लाख भारत सरकार ने दे दिये उसके बाद भी बुनकरों के 10 हजार रुपये तक के कर्ज इस सरकार ने माफ नहीं किये ।

मेरा निश्चित मत है कि यह 24 करोड़ 15 लाख रुपये जो भारत सरकार से मिले थे उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी दूसरी मद में खर्च कर लिया जबकि इन्हें यह अधिकार नहीं है कि बुनकरों के कर्जे के नाम पर जो पैसा भारत सरकार से आये उसको यह किसी दूसरी मद में खर्च कर दें । उसके बाद 22 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को कर्जे माफी हेतु देना था वह न देकर वसूली के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है । जेलों में बन्द किया जा रहा है । वसूली के नाम पर पूरे प्रदेश में बुनकरों का उत्पीड़न हो रहा है । लखीमपुर में मान्यवर, 180 रुपये कर्जे की वसूली के लिये भरे बाजार में सरकारी वसूली अमीन ने एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला । पूरे प्रदेश में वसूली के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है । अल्पसंख्यकों के नाम पर इस बजट में कोई प्राविजन नहीं किया गया है कोई कार्य नहीं दिखाया गया है जिससे प्रदेश के लोग समाज में यह कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है इनके द्वारा रखा हुआ बजट अल्पसंख्यक विरोधी है तो बहुत उचित होगा । मान्यवर, यह कानून व्यवस्था की बात करते हैं कानून व्यवस्था की हालत यह है कि डकैती कत्ल और राहजनी आए दिन होती है झूठे मुकदमें कायम करके निर्दोष लोगों को जेल में बन्द किया जा रहा है उनकी सुनवाई कहीं नहीं है । कुछ समय पहले नियम-56 में ला एण्ड आर्डर के मामले उठाये गये कहां जघन्य हत्यायें हुई वहां डकैती पड़ी मुलजिमों को पकड़ा नहीं गया रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही है और यह खड़े होकर कहते हैं कि अपराधों की संख्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि सब मुकदमें लिखे जा रहे हैं । जबकि स्थिति यह है कि अपराध बढ़ रहे हैं । कानून का कोई भय नहीं रह गया है । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले वर्ष मुख्य मंत्री जी गए थे और उन्होंने कहा था कि लड़कियों का इण्टर कालेज खोला जाएगा लेकिन वह अभी तक नहीं खुल पाया है । इस बजट में भी कोई इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है । मान्यवर, यह कहा गया था कि जो इण्टर कालेज खोलेगा उसे 20 लाख रुपया यह देंगे, जो डिग्री कालेज खोलेगा उसे 50 लाख रुपया देंगे ।

मैं जानना चाहता हूं क्या उत्तर प्रदेश के किसी गांव ब्लाक में सरकार ने 20 लाख रुपया स्कूल खोलने के लिए दिया है खाली यह कह देना कि देंगे, यह उचित नहीं है, यह जब तक बैठे हैं तब तक तो यह देंगे नहीं और हट जाने के बाद इन्हें कौन पूछेगा ? प्रदेश में जो स्कूल हैं उनकी हालत बहुत जर्जर है जहां स्कूल बने हैं उनके भवन जर्जर स्थिति में हैं उसमें बैठ नहीं सकते हैं, तमाम अध्यापक पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा दे रहे हैं जहां अध्यापक हैं वहां बच्चे कम हैं कई स्कूल शहर के किनारे हैं वहां अध्यापकों की संख्या अधिक है कहीं बच्चे कम हैं कहीं अध्यापक कम हैं जहां अध्यापक हैं वहां बच्चे कम हैं जहां बच्चे हैं वहां अध्यापक नहीं हैं । अगर एक अध्यापक की तबियत खराब हो जाती है तो वह स्कूल बन्द करके चाबी अपने पास रखता है दूसरा अध्यापक चाभी लेने वाला नहीं होता है 200 बच्चों में एक अध्यापक है उस पर इतने बड़े वायदे कि शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार ला रहे हैं । आपने देखा मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं [x x x] मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं शिक्षा मंत्री को हटा दिया, लेकिन कहीं स्कूल खुलवा देते ? कहीं अध्यापकों की व्यवस्था कराते उनकी नियुक्ति कराने तो ठीक रहता ? मान्यवर, यही हालत स्वास्थ्य विभाग की है, आप जाकर देखें दवाइयों के बगैर लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल पाते हैं अस्पतालों में लोग एक्सीडेंट होकर जाते हैं तो उनसे कहा जाता है फंटी ले आओ हीप ले आओ दवा ले आओ...

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अधीष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब संक्षिप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

जो देहातों में अस्पताल बने हैं वहां कोई डाक्टर इनका नहीं है, थाने के नजदीक के अस्पताल में रिफर करने के लिए भी डाक्टर नहीं बैठते हैं। इस बजट में नये अस्पतालों की कोई योजना नहीं है जिससे यह समझा जाता कि स्वास्थ्य विभाग में कोई सुधार आएगा। स्वास्थ्य विभाग में जितनी [x x x] जो हालत स्वास्थ्य विभाग की है उसको आप देखें अगर कोई स्वस्थ्य व्यक्ति अस्पताल में जाकर लेट जाए तो वह बीमार हो जाएगा ऐसी व्यवस्था सफाई की है। पांच-पांच वर्ष हो गए झाड़ू लगाने का पैसा नहीं दिया गया बजट में जब प्राविजन होता है तो कहां चला जाता है धन किसकी सेवा में चला जाता है जो बजट नहीं पहुंचता है अस्पतालों में। मान्यवर, यह बजट जनता को गुमराह करने वाला, किसान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी है और पूंजीपतियों की तिजोरी भरने वाला है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 1999-2000 के समर्थन में बोलने के लिए मौका दिया है।

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य अल्पसंख्यक विरोधी बजट बता रहे थे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सामने बैठे उन माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बीस पच्चीस वर्षों से लखनऊ की राजधानी में शिया और सुन्नी का विवाद चलता रहा और अल्पसंख्यकों की हितैषी कहने वाली कई सरकारें आयी और गयीं लेकिन अल्पसंख्यकों का विवाद सियासी निगाहों से देखा गया। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिया और सुन्नी के दोनों नेताओं को एक साथ बैठाकर विवाद सुलझाने और समाप्त करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, इसके लिए हम मुख्य मंत्री जी को हृदय से बधाई देते हैं।

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि जबसे उनके नेतृत्व में सरकार बनी है तब से उत्तर प्रदेश में एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ है और कानून व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े-बड़े अपराधियों को दफन करने हेतु टास्क फोर्स की व्यवस्था किया जिससे प्रदेश के बड़े-बड़े माफिया के लोगों को और अपराधियों को पकड़ कर या तो जेल में बंद कर दिया है अथवा वे उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर चले गये हैं, इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

मान्यवर, कल सामने बैठे समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित महिलाओं के उत्पीड़न की बातें करते हैं लेकिन उनके उत्पीड़न को दूर करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह उनका जो दलित प्रेम है उसको मैं बताना चाहता हूं कि गेस्ट हाउस लखनऊ में जो काण्ड हुआ था जिसमें दलित महिला के ऊपर किस तरह से आपकी जब सरकार थी तो आप सभी ने सामूहिक रूप से वहां जाकर किस तरीके से सुश्री मायावती की जान लेने की कोशिश की गयी थी तो जो आपने दलित प्रेम दिखाया था वह सभी प्रदेश की जनता को पता है।

(व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जो यहां नहीं है उसका नाम लेकर कोई बात कहना ठीक नहीं है। (व्यवधान)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधीष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

छात्रों को लगा है कि बिना पढ़े भला होने वाला नहीं है, अब छात्रों ने पढ़ना शुरू कर दिया मान्यवर, एक हजार किलोमीटर नहर की पटरी को पक्का करना, 29 सौ ग्रामों को पक्के मार्ग से जोड़ना मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला मार्ग गड्ढा मुक्त किये जाने का कार्य किया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में कटिया हटाओ कनेक्शन पाओ का अभियान चलाया गया। विधायक निधि की स्थापना की गई है। विधायकों को 50 लाख रुपये की विधायक निधि के अन्तर्गत 25 लाख रुपये की किश्त दी गयी है महिलाओं के पति की मृत्यु के बाद पुत्रों के बराबर इस सरकार ने हक दिया है। अब जब प्रवेश होंगे तो पिता के साथ मां का नाम भी लिखा जाएगा। इस तरह से मात्र तेइस असेवित विकास खंड बचे हैं वहां विद्यालय खोले जाएंगे। प्रति विकास में दो न्याय पंचायतों में भी विद्यालय खोले जाने की बात है। छात्राओं को स्नातक तक शिक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है और राजकीय सेवाओं में 20 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। परित्यक्त महिलाओं को मिलने वाले जीवन निर्वाह भत्ते की सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये तक बढ़ा दी गयी है। पंचायती राज विभाग में 10 विभागों को दिया गया इस तरह से सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, कन्नौज, फर्रुखाबाद जनपद जो प्रदेश का 1/5 भाग आलू पैदा करता है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आलू निर्यात की घोषणा हेतु प्रयास किया और केन्द्र सरकार ने उस पर कार्यवाही की उसके लिये मैं अपने जिले की ओर से मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। हमारा कन्नौज जिला काम करने लगा है विनती है कि ये जिला बना रहे। ईशन नदी पर नाराघात का पुल नावार्ड में स्वीकृति हेतु गया है, शीघ्र स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कराया जाय। पाण्डु नदी अवशेष घाट और धोबी घाट पर पुल पर जो निर्माण कार्य हो रहा है, उसके संबंध में भी माननीय मुख्य मंत्री जी और मा० कलराज मिश्र जी को बधाई दूंगा। एक विनती है कि सौरिख, इन्दरगढ़ तिर्वा ठडिया तक सुर्सी तक जो मार्ग जाता है बड़ा मार्ग है इसको जिला मार्ग घोषित कर दिया जाय और जो उर्मदा क्षेत्र की टूटी फूटी सड़कें हैं ठीक कर दी जायें। मैं इसी के साथ बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मा० सदस्य ने मेरा नाम लिया था। जिस प्रकरण की बात है गेस्ट हाउस का मामला न्यायालय में लम्बित है।

(व्यवधान के मध्य)

इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग दोषी हैं इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कटघरे में चले जायेंगे। मान्यवर, यह ऐसे [xxx] लोग हैं जो ऐसे ही दूसरों को फंसाने की बात करते हैं।

खेलकूद, युवा कल्याण प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

हमारा हमेशा अक्ल से मतलब रहा है और आपको नकल से मतलब रहा है। हम हमेशा पढ़कर काम करते हैं आप बिना पढ़े काम करते हैं। माननीय विधायक जी ने वही बोल दिया जो अखबारों में दर्ज था, कोई दूसरी बात नहीं बोली थी।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

आप अपना खेलकूद का विभाग देखें करोड़ों का घोटाला है। [xxx] सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद।

नोट [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

यह ठीक नहीं है, बैठें।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

माननीय विधायक जी, मैं बता दूं कि जांच नहीं, अनेकों जांच करा लीजिये हम लोग वह आदमी हैं कि हमने भले ही खेल न खेला हो, हमने राजनीति का खेल खेला है, चुनाव लड़े हैं बिना पार्टी के लड़े हैं और कभी आउट नहीं हुये हैं।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बजट किसी भी सरकार का मैगनाकार्टा होता है और दिशा निर्धारित करता है आज हमारा प्रदेश किस स्थिति में है साल के बाद इतना संसाधन जुटाकर उसे हम कहां ले जाएंगें ? मुझे खेद है कि जो बजट पेश किया गया है गत वर्ष उसमें विकास दर 6 प्रतिशत रखी गई थी अधिष्ठाता जी, आप स्वयं जानते हैं शिक्षाविद् हैं और वैसे भी पारंगत हैं नियमों के, आज जो उत्तर प्रदेश की विकास दर है केवल 2 प्रतिशत बढ़ी है इसका मतलब यह है कि जो लक्ष्य रखा गया था उसमें हमारी यह वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल नहीं हुई। आज इन्होंने जो बजट सत्र में अनुपूरक मांग प्रस्तुत की गयी थी इस सदन में सबसे बड़ा दुख यह है कि इन्होंने जो गैर आयोजनागत खर्च है उसमें 93 प्रतिशत उन मदों पर रखा है। जब 93 प्रतिशत ऐसे मद पर खर्च करेंगे जहां से कोई उत्पादन के लक्ष्य प्राप्ति या आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी तो यह कैसे सोचा जा सकता है कि हमारा प्रदेश इस बजट के माध्यम से प्रगति के पथ पर कार्यशील होगा ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह से हमारा बैंकों का जमा ऋण अनुपात जो उत्तर प्रदेश का पहले 40 प्रतिशत था आज घटकर 27.66 प्रतिशत रह गया है यह इस बात का द्योतक है कि यहां पर बड़े उद्यमी यहां उद्योग लगाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर बैंकों का ऋण जमा अनुपात लगातार घटता जा रहा है। इन्होंने यहां पर राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी बना रखी है क्लार्क होटल में इसकी त्रैमासिक बैठक होती है जिसमें बहुत खर्च होता है। इस त्रैमासिक बैठक का कोई भी लाभ प्रदेश को नहीं हो पा रहा है और आर्थिक स्थिति जर्जर हो गयी है। यही स्थिति रही तो उत्तर प्रदेश की हालत बहुत बिगड़ जायेगी। वर्ष 1991 में हमारा प्रदेश देश में दूसरे नम्बर पर था और आज बाटम से दूसरे नम्बर पर आ गया है। सरकार के लोग कहते हैं कि हमसे पहले बहुत सी सरकारें रहीं हैं। आप कहते थे कि सबको देखा बार-बार हमको देखो एक बार। आपने एक बार में वह दिखाया कि आज नौजवान बेकार हैं, उनके लिये नौकरी नहीं है। शिक्षकों, किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां गन्ना बहुत अधिक होता है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सरकार ने सबसे ज्यादा गन्ने के दाम बढ़ाये हैं। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई किसानों का हितैषी हुआ है तो वह चौधरी चरण सिंह और माननीय मुलायम सिंह यादव है।

माननीय मुलायम सिंह यादव जब 90 में मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने 10 रुपये गन्ने का दाम बढ़ाया और 1 रुपया ढुलाई में कमी की। जब 91 में भाजपा आयी तो उसमें 2 रुपये गन्ने का मूल्य बढ़ाया लेकिन ढुलाई के दाम भी 1 रुपया बढ़ा दिये जिससे किसानों की वास्तव में केवल 1 रुपया ही मिला। इसके बाद 1993 में जब मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो फिर उन्होंने 10 रुपये गन्ने का दाम बढ़ाया और 1 रुपया ढुलाई में कम कर दिया। इस तरह से माननीय मुलायम सिंह जी ने 22 रुपया गन्ने के दाम बढ़ाये थे। इस समय उत्तर प्रदेश में हरियाणा में गन्ने के दाम एक थे। आज सहारनपुर से लेकर यमुना के उस पार गन्ना 105 रुपये पर बिक रहा है और आपकी सरकार 80-85 रुपया क्विंटल गन्ने का दाम दे रही है। एक क्विंटल पर हमारे किसान को 25 रुपये का घाटा हो रहा है। मान्यवर, मेरे यहां एक महालक्ष्मी शुगर मिल, इकबालपुर में है। इस पर किसानों का साढ़े 6 करोड़ रुपया बकाया है। एक

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

मान्यवर, आपने प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनन्तकाल से इस पुरूष प्रधान देश में महिलाओं की घोर उपेक्षा हुई है। वेदों, पुराणों और रामचरित मानस में लिखा है–"पुत्रि पवित्र किये कुल दोहू" पुत्री की इतनी उपयोगिता होने के बावजूद भी इस पुरूष प्रधान देश में महिला उपेक्षित रही है। पिछली किसी भी सरकार ने महिलाओं के लिये इतना बड़ा अच्छा कार्य नहीं किया जितना कि वर्तमान मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने किया है। महिलाओं को नौकरी में 20 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, यह एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि हमारे यहां पर जितने भी जन-प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनमें से अधिकांश का संबंध गांवों से है। आज बजट में 70 प्रतिशत धन सीधे-सीधे गांवों को देने की बात है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, जितने भी माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हैं मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूं कि जब से बी०जे०पी० की सरकार सत्ता में आयी है कहीं पर भी कोई दंगा-फसाद नहीं हुआ है। लखनऊ शहर में शिया-सुन्नी का जो विवाद होता था पूर्व में, उसे पूर्व की सरकारों ने सुलझाने के बजाय उलझाने का प्रयास किया परन्तु हमारी सरकार ने इसे गम्भीरता के साथ इसको निपटाया। ऊर्जा के क्षेत्र में अभी जो पुनर्गठन का साहसिक कदम सरकार द्वारा लिया गया है, वह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आप जानते होंगे इस प्रदेश में पूर्व की सरकारों द्वारा धन का कितना दुरुपयोग किया गया था। कोई भी धन सरकार के पास नहीं बचा था लेकिन बहुत कम धन के होते हुए भी जिस प्रकार से हमारी सरकार ने विकास को गति दी है वह अपने आप में एक बड़ा कदम है। माननीय अधिष्ठाता महोदय विपक्ष की तरफ से अभी चर्चा हो रही थी मैं भी सदन में बैठकर बड़े गौर से सुन रही थी। पुराने सदस्य भी बैठे हुए हैं लेकिन किसी भी सदस्य की तरफ से ऐसे सुझाव नहीं आये हैं जिससे सरकार को नई दिशा नये कदम मिल सके। विपक्ष की तरफ से गलत आरोप लगाये गये। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि पूर्व की सरकारें जो कार्य करती थीं वह कार्य हमारी सरकार ने नहीं किया है। पूर्व की सरकारों ने जातिगत आधार पर कार्य किया, हल्ला बोल किया, माफियाओं को संरक्षण दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और तो और पूर्व की सरकारों ने गेस्ट हाउस काण्ड भी किया। हमारी सरकार विकास के कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है और उसे करने के लिये उसे जो भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा वह उसके लिये तैयार है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप जानते होंगे कि किन परिस्थितियों में हमारी सरकार चल रही है। तरह तरह के आरोप सरकार पर लगाये जा रहे हैं। आर्थिक संकट होने के बावजूद भी हमारी सरकार धड़ल्ले से कार्य कर रही है। बजट भाषण पर चर्चा के माध्यम से अपनी सरकार को धन्यवाद देती हूं कि यह लोकप्रिय सरकार इतने अच्छे ढंग से उत्तर प्रदेश का शासन चला रही है। कहीं कोई अपराधी माफिया नहीं रह गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं और इस बजट का समर्थन करती हूं।

* श्री चन्द्र नाथ सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने हमको बोलने का अवसर दिया। आपने पहले भी बाहर बोलने का अवसर दिया था और बड़े ही सुचारू रूप से आप सदन चला रहे हैं इसके लिये बधाई देता हूं कितने अच्छे माहौल में हम लोग बजट पर चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर करे आगे भी आप इस पद पर शोभायमान रहें। दिल्ली में भी स्पीकर पद पर पहुंचें, इसके लिये मैं साधुवाद देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

आप बजट पर अपनी बात करें।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, मैं बजट की आलोचना करने के लिये तथा अपने सुझाव देने के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस बजट के बारे में काफी आलोचना हुई। मैं ज्यादा लम्बी आलोचना करने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि आज आजादी के 50 साल हो गये हैं स्वर्ण जयन्ती मनाई जा रही है। गांवों में सड़कें नहीं हैं, विकास कार्य हुए नहीं हैं, बिजली नहीं है। त्राहि-त्राहि जनता में मची हुई है। 45 वर्ष में कांग्रेस की हुकूमत में इसी तरह से बजट प्रस्तुत किया जाता रहा है लेकिन उससे भी घटिया बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है। जनता के कल्याण के लिये इसमें कोई योजना नहीं है। यह बजट अधिकारियों ने बनाया है, कागजी कार्यवाही की है चरित्रार्थ शून्य है। मैं आलोचना न करके कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि इनको सद्बुद्धि आ जाय और मेरे सुझावों का पालन करें इनमें दुर्बुद्धि ज्यादा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है हालांकि अधिकारी भी नदारद हैं सत्ता पक्ष के 80-90 मंत्रियों का जम्बो जैट नदारद हो चुका है शायद मेरे सुझाव उन तक जाते और उन्हें सद्बुद्धि आती। आज भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है सुना था पहले 12 प्रतिशत डी०आर०डी०ए० में लिया जाता था आज वह 35 प्रतिशत प्रत्येक जिले में कमीशन लिया जा रहा है प्रभारी मंत्री पहुंचते ही कहते हैं कि 10 प्रतिशत हमारा कमीशन है। अखबार में आज ही छपा है दैनिक अखबार में– "मिनिस्टर भ्रष्ट भ्रष्ट नौकरशाह मस्त मस्त जनता त्रस्त त्रस्त।" आज यह आलम हो चुका है कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि आज यहां पर कल्याण सिंह के मंत्रि-मण्डल की सदस्या [×××]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

बजट पर बोलें। नाम का उल्लेख करके जो चीज कही गई है उसको कार्यवाही का अंग नहीं माना जाएगा।

श्री चन्द्र नाथ सिंह--

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का चुन-चुनकर उत्पीड़न हो रहा है [× × ×] हमारी पार्टी आवाज उठाती है तो आप कहते हैं

(व्यवधान)

मान्यवर, एक महिला सभासद प्रतापगढ़ में जाकर उपद्रव करती हैं और कहती हैं कि मुख्य मंत्री का संरक्षण प्राप्त है उनको कमाण्डों मिला हुआ है हमारे अंगरक्षक वापस लिये जा रहे हैं। मेरा अन्तिम सुझाव है...

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री, श्री कल्याण जी ने महिलाओं को शिक्षा निःशुल्क डिग्री स्तर तक देने की बजट में व्यवस्था किया है । यह उनका प्रशंसनीय कार्य है । मान्यवर, श्री कल्याण सिंह जी ने इस बार पहली बार राजकीय सेवाओं में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण देने की बजट में घोषणा किया है । मान्यवर, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक वर्ष नहर की पटरी को पक्का किया जायेगा ।

मान्यवर, श्री कल्याण सिंह जी की सरकार ने पहली बार सारे विधायकों को 50-50 लाख रुपये देने की बजट में व्यवस्था किया है जिससे मा० विधायकगण अपने-अपने क्षेत्रों में जनता की सुविधा हेतु कार्य करायेंगे ।

मान्यवर, मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह ने पहली बार पूर्व विधायकों को रेलवे कूपन देने की घोषणा किया है जिसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं । मान्यवर, हमारी सरकार ने पहली बार एक क्रांतिकारी कदम यह उठाया है कि राज्य कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया है जिसे पहले की सरकारों ने नहीं बढ़ाया था ।

मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है इस तरह का बजट कभी भी पेश नहीं हुआ है । मुख्य मंत्री कल्याण सिंह ने गुण्डा राज, माफिया राज जो कायम था, लोग जो घर से नहीं निकल पाते थे पहली बार उन्होंने इस प्रकार का गुण्डा राज और माफिया राज खत्म किया है और इस समाज को भयमुक्त बनाया है । श्रीमन्, मैं इन्हीं शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष से भी यह चाहता हूं कि वे भी इस बजट का समर्थन करें तो अच्छा रहेगा ।

श्री अफजाल अहमद–

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं इस बजट की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, मैं यह बता देना चाहता हूं कि प्रदेश में अंधा कानून चल रहा है । जहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ है । महिलाओं की इज्जत आज सुरक्षित नहीं रह गयी है । मां बहनों का निकलना दूभर हो गया है । नौजवानों का शोषण हो रहा है और वह दिशा भ्रमित हो रहे हैं । आज चारों तरफ अंधा कानून चल रहा है और इस बजट में इसके रोक-थाम के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गयी है कि कैसे इसमें सुधार किया जाय ? अब मैं आपका ध्यान उद्योगों की तरफ ले जाना चाहता हूं । आज उत्तर प्रदेश के अन्दर उद्योगों की क्या स्थिति हो रही है ? इस बजट में छोटे उद्योगपतियों को आगे ले जाने के लिए कुछ नहीं किया गया है ।

आज बनारस की साड़ी उद्योग मर रहा है । कानपुर की टैनरी की चमड़े की क्या स्थिति हो गयी है ? भदोही के कारपेट कारखाने की क्या स्थिति हो गयी है ? अलीगढ़ के चाकू और ताले के कारखानों की क्या स्थिति हो रही है ? फिरोजाबाद की चूड़ी का कारखाना उसकी क्या स्थिति हो गयी है ? यह आपसे छुपा नहीं है । कोई भी इण्डस्ट्री लगाने की कोशिश नहीं की गयी है और सारी व्यवस्था चरमरा गयी है । मान्यवर, आज शिक्षा में भी गिरावट आयी है । मान्यवर, नकल को रोकने के लिए अध्यादेश लाया गया वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में नकल कराने का ठेका लिया जा रहा है । बोर्ड पर लिख दिया है और नकल करायी गयी है । जौनपुर का मैं उदाहरण देना चाहता हूं । देहातों में ग्रामीण क्षेत्रों में नकल करायी गयी है । एक तरफ तो कहते हैं कि हम नकल को रोक रहे हैं वहीं दूसरी ओर यह नकल को बढ़ावा दे रहे हैं । अल्पसंख्यकों के विद्यालयों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 117 ग्राण्ट पर अल्पसंख्यक विद्यालयों को लिया था । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 117 मदरसों को अनुदान सूची में लिया गया है । उस समय वित्तीय वर्ष में कहा था [illegible] अनदान सूची कब तक निर्गत हो जायेगी इसकी इस बजट में चर्चा नहीं की गयी है ? छात्रवृत्ति में भी अल्पसंख्यक छात्रों के साथ धोखा किया जा रहा है ।

शिया सुन्नी का मसला हल किया गया । यह बात कही गयी । शिया सुन्नी की लड़ाई के पीछे जो सुलह नहीं हो रही थी तो उसमें इस सरकार के कुछ लोग लगे थे जिससे विवाद को बढ़ावा मिल रहा था । बाद में अपने लोगों द्वारा उसका समाधान निकाला गया जिसका श्रेय यह ले रहे हैं । इसमें विपक्ष की भूमिका है । जब हमारी सरकार थी हमने कई बार प्रयास किया था और हम बहुत नजदीक आ गये थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सुलह नहीं होने देते थे । अब यह श्रेय खुद ले रहे हैं । मान्यवर, अली मियां जिनकी किताबें जो कि कैम्ब्रीज यूनिवर्सिटी में पढ़ी जाती हैं उनके घर पर भी छापे डलवाने का काम इन्होंने किया । यह बात जांच रिपोर्ट में आयी है । यह हमारा टेस्ट लेना चाह रहे हैं कि कितने हम सहनशील हैं ?

(व्यवधान)

मान्यवर, यह जो बजट है किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी और दलित विरोधी है । अल्पसंख्यक विरोधी बजट है । मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, 19 फरवरी, 1999 को प्रातः 11 बजे इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसको पढ़ने और समझने के बाद संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि यह बजट गांव गरीब किसान पिछड़ा और दलित विरोधी है तथा दिशा विहीन है । अल्पसंख्यक विरोधी बजट है । क्यों विरोधी बजट है क्योंकि जनता की जो मूलभूत आवश्यकता जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, पुल पुलिया और शिक्षा आदि के लिए कोई समुचित प्राविधान इसमें नहीं किया गया है । आज हमारे देश में सबसे बड़ी जमात किसानों की है सबसे ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं । कोई भी सरकार यदि सचमुच में किसानों की तरक्की चाहती है तो उसे गांवों की तरक्की करनी होगी क्योंकि देश और प्रदेश की तरक्की का रास्ता खेत खलिहान और गांव से होकर गुजरता है ।

गांव मजबूत होंगे तो शहर मजबूत होगा । गांव शहर दोनों मजबूत होंगे तो प्रदेश और देश का विकास होगा । जब गांव मजबूत नहीं होंगे तो किसानों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी । तब सेठ साहूकार चाहे गांव का हो या शहर का हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहेगा और वहीं नहीं बल्कि मंदिर के पुजारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे और जब गांवों की तरक्की होगी उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो सेठ साहूकार से वह सामान खरीदेगा । मंदिर में भी चढ़ावा चढ़ायेगा । मान्यवर, जितने भी सरकारें आयीं जो बजट पेश हुए हैं उनका अधिकांश भाग गांवों के विकास के लिए कृषि, बिजली सिंचाई आदि पर खर्च किया गया लेकिन इस सरकार ने 70 फीसदी खर्च की बात गांवों के लिए जो कही है वह फर्जी है । पिछले वर्ष भी इस सरकार ने 70 फीसदी खर्च की बात कही थी । अगर ऐसा था तो कृषि विकास दर में कमी क्यों आयी जबकि बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी । इस बजट में गांव गरीब और किसान की भलाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है । सारा धन थैलीशाहों की भलाई के लिए बजट में इस ढंग से नियोजित किया गया है उसका लाभ थैलीशाहों और उनके चट्टे-बट्टों–व्यापारियों, बिचौलियों टैक्स चोरों तथा जमाखोरों और मुनाफाखोरों को मिलता रहे । समय पर खाद की व्यवस्था नहीं हुई । खाद गायब हो गयी । पोटाश और डी०ए०पी० नहीं मिली । सरकार ने समझदारी के तहत लेट में भिजवायी ताकि मिलावटी खाद बिक्री अर्थात् नम्बर दो बाजार में हो सके । अगर सही समय पर खाद पहुंची होती । अगर सही समय पर सरकार खाद और बीज उपलब्ध कराती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जनक मुनाफाखोरों और जमाखोरों को मिलावट करने का मौका न मिलता । मान्यवर, औद्योगिक विकास दर में गिरावट आयी है । एक लाख की जनसंख्या पर प्रदेश का कुल औद्योगिक उत्पादन केवल 23.70 करोड़ रुपया है जबकि राष्ट्र का औसत औद्योगिक उत्पादन 42.28 करोड़ रुपया है ।

इसी तरह से जहां देश में एक लाख की औसत आबादी पर 13.7 कारखाने हैं वहीं प्रदेश में मात्र 7.2 हैं, जबकि पंजाब में तमिलनाडु में 31.2,गुजरात में 26.4, महाराष्ट्र में 20.3 है ।

मान्यवर, आज इस सूबे के ऊपर लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है जिसका 5 हजार करोड़ रुपये हर साल ब्याज देना पड़ता है । मान्यवर, इस सूबे का पूरा बजट है । 40,754.04 करोड़ रुपया है अर्थात् पूरे बजट का धन यदि कर्ज की अदायगी में दे दिया जाय तो भी कर्जे से मुक्ति नहीं मिलेगी । मान्यवर, जिस प्रकार से, दलितों से कर्ज वसूली की आर० सी० जारी होती है उसी प्रकार से यदि सरकार के ऊपर आर० सी० कर्जा देने वाली एजेन्सी जारी कर दें तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए सभी लोगों को कटघरों की हवा खानी पड़ेगी ।

मान्यवर, राजस्व में काफी गिरावट आई है । वर्ष 97-98 की अपेक्षा वर्ष 1998-99 में प्रदेश के राजस्व में भारी गिरावट आई है और व्यय कई गुना बढ़ा है और प्रति व्यक्ति आय घटी है और इसमें सुधार का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है । मान्यवर, चाहे कृषि विकास दर हो या औद्योगिक विकास दर हो दोनों में कमी आई है जो 6 प्रतिशत विकास की दर को प्राप्त करने का लक्ष्य सरकार का है उसकी पूर्ति का कोई सवाल नहीं पैदा होता है । नयी योजनाओं को शुरू करने के लिए कोई धन नहीं है । गांव में आज 10 घंटे भी विद्युत सप्लाई नहीं है । स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत जो धन रखा जाता है बाद में उसका डाइवर्जन कर दिया जाता है और गरीब आदमी जिसके लिए इस धन का बजट में प्राविधान किया जाता है वह वंचित रह जाता है । विधवा, विकलांग और वृद्ध पेंशन में बड़े पैमाने पर हो रही गड़बड़ियों की कोई रोकथाम नहीं है । इसमें पहले बड़े पैमाने पर पैसा रखा जाता था लेकिन इसमें कटौती की गयी है ।

मान्यवर, बजट का लक्ष्य होना चाहिए डेवलपमेन्ट एण्ड इक्विटी का अर्थात् बजट का लाभ उनको मिले जिनको आज जरूरत है और विकास का लाभ उनको मिले जो एक लम्बे अर्से से विकास की धारा से कटे हुए हैं । मान्यवर, आज 40 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं जिनके पास न रहने के लिए घर हैं, न पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए दो जून की रोटी । मान्यवर, पर्यावरण की बात है आने वाले 25 सालों में मानव जीवन को प्रदूषण से एक जबरदस्त खतरा है यहां लखनऊ में तो सांस लेना दूभर हो रहा है । इसकी समस्या का कोई जिक्र इसमें नहीं है । गांवों में विद्युतीकरण और विद्युत आपूर्ति का कोई जिक्र बजट में नहीं है ।

मान्यवर, गांव के दस्तकार, लोहार, सोनार, कहार, कुम्हार, माली, दर्जी आदि के उन्नयन का कोई जिक्र बजट में नहीं है । आज प्रदेश की करोड़ों जनता बेरोजगारी की शिकार हैं । आज किसी भी सरकार की सफलता इस बात पर निर्भर है कि उसके पास अपने असंख्य नागरिकों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी परिकल्पना है ? गरीबी कोई मूल समस्या नहीं है बल्कि मूल समस्या अगर कोई है तो वह है बेरोजगारी । बेरोजगारी पहले आती है और उसी के साथ पैदा होता है धन का अभाव फिर गरीबी फिर कुपोषण फिर शिक्षा का अभाव, दवा का अभाव । उत्तर प्रदेश सेवायोजन निदेशालय के अनुसार 94-95 में शिक्षित बेरोजगार थे 17.80 लाख, जिसमें 35 प्रतिशत हाईस्कूल, 44 प्रतिशत इण्टर, 17 प्रतिशत स्नातक, 30.085 डिप्लोमा, 3670 इंजीनियर और तबसे इसमें और वृद्धि हुई होगी लेकिन आज उसके अनुरूप रोजगार का सृजन नहीं किया गया है ।

मान्यवर, एक कहावत है कि जहां चाह वहां राह निकल आयेगी लेकिन यह रास्ता बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मोहजाल में फंसने से नहीं निकलेगा बल्कि रास्ता निकलेगा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने से, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से, शिक्षा को रोजगार परक बनाने से तथा परम्परागत शिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने से । मान्यवर, सहकारी समितियों का चुनाव बार-बार टाला जा रहा है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर न दवा है न डाक्टर, प्राइमरी विद्यालयों पर न टीचर है न टाट है और गांवों में 30 बच्चों पर

एक टीचर की बात कही जा रही है । आज मान्यवर, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है । आज बिना सोर्स सिफारिश के, घूस दबाव के कहीं कोई काम होने वाला नहीं है । इसलिए धर्म के नाम पर गुमराह करके हुकूमत करने वालों का समय समाप्त हो रहा है । इसी के साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करते हुए अपनी बात पर बल देता हूं ।

* श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया । मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । असल में बजट सरकार का एक संकल्प पत्र होता है । हमारी सरकार ने ऐसे कार्य किये हैं जिनके बारे में नारे पहले तो तमाम सरकारों द्वारा लगाये जाते रहे हैं लेकिन पहली बार झुग्गी-झोपड़ी का इंसान और गरीब व्यक्ति जिनके बारे में सरकार ने विचार किया और जो रिक्शा चलाने वाले और छोटे मजदूर हैं जो एक छत की कामना करते हैं हमारी सरकार ने पहली बार उन गरीब लोगों के लिये 5-10-15 रुपये रोजाना के हिसाब से लेकर उनको मकान देने की व्यवस्था की है । इसके लिये 40 हजार मकान 24 नगरीय प्राधिकरणों के माध्यम से बनाकर दिये जायेंगे । इसी प्रकार से अल्प आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को भाऊराव देवरस योजना के अन्तर्गत डेढ़ लाख और दो लाख रुपये की लागत से मकान देने की योजना है ।

इसी तरह से इन्दिरा आवास योजना में पिछले साल 61 हजार लोगों को मकान उपलब्ध कराये गये हैं और आगामी समय में और अधिक मकान बनाये जायेंगे । मेरा निवेदन है कि जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है जैसे नोयडा वहां पर जो गरीब मजदूर काम करते हैं उनको भी 5-10-15 रुपये रोजाना लेकर मकान बनाकर दिये जायं । इसी प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रदेश के लोगों को सस्ता सुलभ राशन देने की व्यवस्था के लिये सरकार संकल्पबद्ध है । पहली बार जिला स्तर पर राशन कार्ड छपवाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वितरित कराये गये हैं और हर परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है । जो राशन विक्रेता हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है । पिछले वर्ष 26944 छापे मारे गये, 398 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 909 लाइसेन्स निलम्बित किये गये और 180 लाइसेन्स निरस्त किये गये हैं । इसी प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिये कदम उठाये गये हैं और साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो नये राशनकार्ड बने हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था अविलम्ब सरकार करा दे तो उसका पूरा लाभ कार्ड धारकों को मिल जायेगा ।

मान्यवर, सरकार ने बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी व्यवस्था की है । पहली बार जो योग्य नौजवान हैं, उनको नौकरी मिलने का रास्ता दिखाया है । 2295 कृषि डिप्लोमाधारी 10-15 साल से जिन्दगी संवारने का सपना देख रहे थे और उम्मीद छोड़ दिया था कि उन्हें भी नौकरी मिलेगी । सरकार ने पहली बार शत-प्रतिशत डिप्लोमाधारियों को नौकरी दे दी है और एक अच्छा जीवन जीने का रास्ता प्रशस्त किया है । सिपाहियों की भर्ती, समूह "ग" की भर्ती, बी०एड०, बी०टी०सी० में जिस प्रकार की व्यवस्था की है । सरकार का जो सच्चा धर्म है, उसने ऐसी पारदर्शी व्यवस्था की जिससे योग्य व्यक्तियों को काम मिले । पिछली सरकारों की जानकारी है सिपाही की भर्ती होती थी तो दौड़ में कोई पास हो रहा है, चक्का कोई फेंक रहा है लेकिन भर्ती किसी और की हो रही है । हमारी सरकार ने भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है और सच्चे राजधर्म का निर्वाह किया है इसलिए उसको धन्यवाद देना चाहता हूं । इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

श्री वसीम अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे नेता विरोधी दल ने बजट के विरोध में जो बात रखी है उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान चाहूंगा । इसके पश्चात् एक विधेयक भी है ।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, इस बजट में इस सरकार की नीतियों पर और इस सरकार के कामों पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही गयी हैं । लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं । बार-बार कहा जा रहा है कि हमारी सरकार ने यह किया । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जब सरकार थी तो उन्होंने इण्टरमीडिएट तक सभी वर्ग की फीस को माफ किया था वह चाहे किसान, मजदूर, अगड़े हों, पिछड़े हो, चाहे किसी धर्म के मानने वाले रहे हो, इंटर तक की फीस माफ करने का काम मुलायम सिंह सरकार ने किया था । उसको खत्म करने का काम भाजपा, बहुजन की सरकार में किया गया । माननीय अधिष्ठाता महोदय, बार-बार कहा जाता है कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत, पिछली बार भी बजट में कहा गया था कि जो 1000 से अधिक के आबादी के गांव हैं, उनको जोड़ने का काम करेंगे । इस बारे में मैं अपने विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर आजमगढ़ की बात करना चाहता हूं । वहां पर एक भी सड़क नहीं बनाया गया । किसी गांव को नहीं जोड़ा गया । यह बात साल भर पहले कही गयी थी आज 15 महीने इस सरकार को चलते हो गये हैं ।

इसी तरह से जो यह कहा जा रहा है कि सड़कों पर पैसा दे रहे हैं । जो पुरानी सड़कें हैं वह बिल्कुल बेकार हालत में पड़ी हुई हैं इसको बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं । हमारे क्षेत्र बिलरियागंज और महराजगंज टाऊन एरिया में पानी की निकासी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गयी इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा गोपालपुर और सगड़ी विधान सभा क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र है । यह ऐसा क्षेत्र है जहां बाढ़ हजारों लोग को बेघर कर जाती है । उनके लिए एक भी पैसा, घर, पढ़ाई देने की व्यवस्था नहीं की गयी है । महुला का 40 किलोमीटर सड़क है उसमें 20 किलोमीटर सड़क हमारी सरकार में पक्का किया गया, 20 किलोमीटर अवशेष है । मैं चाहूंगा कि जो 20 किलोमीटर सड़क शेष है उसको लेपन स्तर तक करा दिया जाये । इससे गोरखपुर और फैजाबाद का जो रास्ता है वह 40 किलोमीटर कम हो जायेगा इसलिए उसको पक्का कराने का काम किया जाए । महाली सिंहवारा का पुल, कौआपुर का पुल बनाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है । वैदा, भटनी सड़क की बात चेवता तक मिलाने की नहीं की गई ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री वसीम अहमद–

सेमाड़ा से लेकर लगड़ होते हुए गोरखपुर मार्ग को जो जोड़ता है उसके लिए कुछ नहीं कहा गया । हमारे ब्लाक में बिलरियागंज व महराजगंज में एक भी लड़कियों एवं लड़कों का डिग्री कालेज नहीं है । इस बजट में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है इसलिए मैं बजट का विरोध करता हूं । खेलकूद के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे आजमगढ़ क्षेत्र में जो खिलाड़ियों की बहुतायत है । हर स्पोर्ट्स कालेज में आजमगढ़ के खिलाड़ी पाए जाते हैं वहां पर स्पोर्ट्स कालेज की व्यवस्था नहीं की गई इसलिए मैं विरोध करता हूं ।

मान्यवर, जब माननीय श्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने एक चीनी मिल की स्वीकृति के साथ ही बजाज ग्रुप को लाइसेन्स दिया था । माननीय मंत्री जी मौजूद हैं । उनका क्षेत्र भरौरा व श्रीनगर विशेष रूप से प्रभावित होता है परन्तु पांच साल से लाइसेन्स मिलने के बाद भी वह फैक्ट्री नहीं लग सकी है । मान्यवर, यह सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती है । जो मार्ग तहसील से जनपद को और जनपद से राजधानी को जोड़ते हैं । उनका आज बुरा हाल है । लखीमपुर में ही देख लीजिये । तहसील से जनपद को जोड़ने वाले मार्गों की हालत बहुत खराब है । पुल गायब हैं । माननीय सहकारिता मंत्री जी चार बार से चुनकर आ रहे हैं । उनके क्षेत्र में 3-3 पुल, लखीमपुर–कस्ता, मोहम्मदी–लखीमपुर तथा धमहाघाट का पुल, हवा में झूल रहे हैं । उनका प्रस्ताव भी बनकर शासन को नहीं आया है । इसके बावजूद भी ये अपने को तीसमारखां समझने लगते हैं । सभी को सेमान न्याय देने की बात करते हैं । पिछले एक वर्ष में हमारे क्षेत्र में जाति-पांत का जहर घोलने का काम किया गया । मुझे इसके लिये 6 बार आन्दोलन करना पड़ा । मेरे खिलाफ 4 झूठे मुकदमें दर्ज किये गये और हमारे 40-50 लोगों के लाइसेन्स निरस्त किये गये ।

इसके बावजूद भी ये न्याय दिलाने का ढिंढोरा पीटते हैं । मितव्ययिता की बात यह सरकार करती है । कौरवों की संख्या वाली यह सरकार मितव्ययिता की बात करती है । कल ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि एक मंत्री के पास एक कार है । स्वयं अध्यक्ष जी भी उपस्थित थे और यह भी कहा गया कि दूसरी जीप सुरक्षा के काम में लगी है । मैं पूछना चाहता हूं कि 25 दिसम्बर, 1998 को हैदरगंज में वह कौन सी जिप्सी थी जिस पर लालबत्ती लगी हुई थी और उसमें कौन से सुरक्षा कर्मी बैठे थे और किस मंत्री के थे ? उस लालबत्ती वाली जिप्सी से ग्राम प्रधान पर गोली चलाई गई । आखिर किस मंत्री के सुरक्षा कर्मी उस जिप्सी पर थे ? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो इनके छुट्ट भैय्ये हैं, उन तक को गनर दिया गया है । हमारे जनपद लखीमपुर की ही नजीर ले लें । वहां पर छुट्ट-भैय्यों को तो गनर दिये गये हैं परन्तु हमारे जो पूर्व विधायक हैं उनको तो छोड़िये मैंने अपने खर्चे पर अपनी सुरक्षा के लिये गनर मांगा था परन्तु मुझे नहीं दिया गया । मान्यवर, हम तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं । हम तो हौंसला रखते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट किसान विरोधी है । अल्पसंख्यक विरोधी है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

इसका विरोध करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं । धन्यवाद ।

श्री रामदेव आचार्य–

मान्यवर, मुझे आपने बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया इसलिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं बड़े ध्यान से माननीय नेता विपक्ष और विपक्ष के सदस्यों को सुन रहा था । मैं यह समझता हूं कि जो बजट माननीय कल्याण सिंह जी ने प्रस्तुत किया है वह किसानों का, गांव के गरीब का, महिला कल्याण का समर्थक है । विपक्ष के लोगों के जो विचार आये हैं उसमें इसको [x x x] का पुलिन्दा कहा है । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं क्या इसमें महिला कल्याण की बात नहीं की गई है ? गांव के गरीब, किसानों के विकास के लिये 70 प्रतिशत का अंश देने की बात [x x x] है ? अगर आप इस बजट के विरोधी हैं तो समर्थक किस बात के हैं ? आप चाहते हैं समरसता समाप्त हो जाय । आप नकल के घोटाले के समर्थक हैं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह लोग अराजकता, नकल, अपराध, भ्रष्टाचार, चारा घोटाले, आयुर्वेद घोटाले और बिजली चोरी के समर्थक हैं । माननीय कल्याण सिंह जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है । उसमें कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके समर्थन की बात न की गई हो । जिस

नोट :[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

क्षेत्र में पूर्व की सरकारों ने नीति नहीं बनाई थी उसमें नीति बनाने का कार्य सरकार ने किया है । आप इसलिये भी विरोधी हैं कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के बिना नियुक्त करने का काम किया गया है । कल एक विपक्ष के विधायक जी राबड़ी देवी पर रो रहे थे । मैं कहना चाहता हूं कि राबड़ी देवी का उदय किस बात पर हुआ ? जब जेल से छूटने के बाद पूर्व मुख्य मंत्री आये तो उन्होंने कहा । गाय चारा खाती है तो दूध देती है । भैंस चारा खाती है तो दूध देती है । [x x x]

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इस अंश को कार्यवाही से निकलवायें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं देख लूंगा ।

श्री राम देव आचार्य–

मान्यवर, ये महिला कल्याण के विरोधी हैं । मान्यवर, मै कहना चाहता हूं कि माननीय कल्याण सिंह जी ने पति के साथ पत्नी का नाम भी अभिभावक के रूप में जोड़ने का काम किया है । परित्यक्ता स्त्री को गुजारा भत्ता 500 से 5000 देने की बात कही है । यह इस बजट के विरोधी हैं जिसमें महिलाओं के लिये आरक्षण 20 प्रतिशत किया है । यह किसके समर्थक हैं ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने महिला कल्याण के संबंध में, किसान, मजदूर, गांवों के विकास के लिये, नगरीय विकास के लिये जो नीतियां बनाई हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं । पूरे प्रदेश की जनता इसका समर्थन करती है । आपका विरोध तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर देखने को मिला, कोई मसाला है नहीं आपके पास, केवल विरोध करना है । केवल विरोध की बात करते हैं, चिल्ल-पों करना खत्म कर दें । माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह ग्रामोन्मुखी है, किसान और महिलाओं के लिये हितकारी है । इसमें नीतियां बनाकर कार्य किया जा रहा है जिससे विकास की दर बढ़ेगी । जो भी कमियां आई हैं वह पूर्व की सरकारों के कारण रही हैं उसके लिये विपक्ष में बैठे लोग दोषी हैं । अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि–चल रही है विकास की नाव, कांव-कांव करते रहो । सड़कें बनेंगी गांव-गांव, कांव-कांव करते रहो । चलेगी नहीं आपकी दांव, कांव-कांव करते रहो ।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है यह सिर्फ लफबाजी बकने वाला है । यह किसी भी मायने में किसान का, गरीब का, दलित का, जनता का हितकारी नहीं है । जब बरसात आती है तो सब मेंढक टर्र-टर्र करने लगते हैं । आज केन्द्र में बजट चल रहा है और अन्य प्रान्तों में भी बजट चल रहा है । हर जगह बजट ही बजट है । आज थाने दलाल युक्त हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी के सम्मुख भ्रष्टाचार की याद दिलाना ऐसे ही शब्द ऐसा लगता है जैसे–"भैंस के आगे किंगरी बाजे भैंस खड़ी पगुरावै" । भ्रष्टाचार इससे ज्यादा क्या होगा कि पूरे दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई मैं यह कहूं कि रुपया देकर बनाया तो उसके लिये प्रमाण नहीं है । सबको मंत्री बना दिया । यह प्रमाणित है और यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ।

मान्यवर, जब आप स्वयं इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर चुके हैं तो प्रदेश के अधिकारी भ्रष्टाचार करने में क्यों पीछे हटेंगे ? मान्यवर, जब हम कहते हैं कि कत्लेआम हो रहे हैं तो आप कहते हैं बजट पेश हो रहा है लेकिन आज अभी-अभी इसी वक्त 9 नम्बर गेट पर कत्ल हो गया है इससे ज्यादा शर्मनाक बात

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

क्या होगी इधर बजट सत्र चल रहा है और उधर 9 नम्बर गेट पर कत्ल हो रहा है, इस कत्ल को करने वाला कौन है, कातिल कहां भाग गया ? इनकी संचार व्यवस्था कहां चली जाती है । दिन दहाड़े गोली मार दी जाए और पुलिस पी०ए०सी०, दो चेतक, 2 क्षेत्राधिकारी टुकुर-टुकुर देखते रहे । मान्यवर, इससे शर्मनाक घटना और क्या होगी ?

श्री अधिष्ठाता–

बजट पर बोलें ।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, विजी रोड पर एक बहुत बड़े अफसर का कत्ल होता है उस समय आपकी संचार व्यवस्था कहां चली जाती है, कोई गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि कातिल [x x x] पुलिस गिरफ्तार करती है तो अपनी नौकरी से हाथ धोती है,एक गनर की हत्या हो गई दिन में सरेआम और बन्दूक लूट ली गई । कत्ल करने वाले गिरफ्तार नहीं होते हैं । अगर सरकार में दम होता तो 9 नम्बर गेट पर कोई कत्ल न होता, इससे शर्मनाक बात और नहीं हो सकती है । मान्यवर, गन्ना क्रेशर और कोल्हू बन्द हो जाने से गन्ना किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ । किसान 60-70 रुपये में गन्ना बेचने को मजबूर है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

डा० कौशल किशोर–

गन्ना क्रेशर मालिक अपनी यूनिट बन्द कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है ? मान्यवर, इस वर्ष 155 लाख कुन्तल शक्कर पैदा होने का अनुमान है । 134 लाख कु० शक्कर की खपत देश में है 55 लाख कु० शक्कर का बफर स्टाक है । इसके बाद भी शक्कर सरकार बाहर से मंगा रही है । भानुपुर सेन्टर लगाने के लिए हाईकोर्ट व सरकार ने आदेश दिए लेकिन इसको लगाया नहीं गया है । मान्यवर, निघासन क्षेत्र में एक ऐसा रास्ता है जिस पर ट्रेन, बैलगाड़ी, मोटर, सब चलती हैं । मान्यवर, ऐसे पुल की आवश्यकता है जिस पर ट्रेन न चलती हो । ट्रेन के लिए अलग से पुल बनाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

डा० कौशल किशोर–

हमारे यहां बिजली पानी नहीं है। 33 के०वी० सब स्टेशन मंजूर हुआ और चूंकि मंजूर कराने वाले डा० कौशल किशोर थे इसलिए शिलान्यास नहीं किया गया और न 33 के०वी० का सब-स्टेशन अब तक बन सका ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

डा० कौशल किशोर–

दो मिनट का समय और दे दें ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

इसलिये आप इस पर विचार कर लें। सरकार इस पर विचार कर ले। जो अतिरिक्त टैक्स लगाये गये हैं इसको हटाया जाय और मेरठ सम्भाग के जो जनपद हैं उसमें ज्यादा पैसेन्जर टैक्स है उसको कम करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उसका अननुमोदन करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय। मान्यवर, मैं संक्षेप में अपने विचार रखूंगा। यह आर्डिनेंस रिप्लेसिंग विधेयक है और बड़े विस्तार के साथ बिन्दुओं को लिया गया है। इसके पूर्व 1997 में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था चर्चा हो गयी थी और चर्चा के उपरान्त यह पारित किया गया था। उसके बाद 98 में लागू किया गया। जैसे ही यह लागू किया गया तो अनेकों ज्ञापन प्राप्त हुए और वह ज्ञापन थे कि यात्री कर बढ़ा दिया है दूसरे कर बढ़ा दिये गये हैं उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। कई मांगों में जो श्रेणी निर्धारित की गयी थी उसके बारे में एतराज किया गया है। उन सारी बातों पर एक मंत्रि-परिषद् की उप समिति का गठन किया गया और विचार करने के बाद विधेयक में केवल संशोधन करके इसको सिम्प्लीफाई किया गया है ताकि जो भी दिक्कतें थीं उनको दूर किया जाय। वाहनों के बारे में, धारा 2 से 6 देखें, उस सबमें कहीं न कहीं जो कर निर्धारित किया गया था उनमें कमी की गयी है। पहले यह यहां से प्राप्त हुआ था।

आपके विचार आये, और विचार आने के बाद जो ट्रान्सपोर्टर थे उनके ज्ञापन आये कि अधिक भार लाद दिया गया है। इस सरकार ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि उनके व्यवसाय को देखते हुए इसका सरलीकरण किया जाय। एक बात माननीय सदस्य ने कही क्षेत्र ग्रस्त होकर कही है। वह क्षेत्र ऐसा है, मान्यवर, पूरे प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है। उसमें मैदानी क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक मैदानी का और एक मेरठ संभाग का। उसमें यह है कि घनत्व ज्यादा है, सड़कों की हालत अच्छी है, जो गाड़ियां चलती हैं वह अच्छी हैं और आमदनी अच्छी है तो यह प्रदेश के विकास में योगदान हो जाय। अगर सम्पन्नता के आधार पर रखें तो कुछ और जनपद ऐसे हैं जो सम्पन्नता में आगे पहुंच गये हैं। यह विचारणीय बिन्दु है। मैं चाहूंगा कि यह विधेयक पारित हो जाय। फिर भी इस बिन्दु का परीक्षण करूंगा जैसे कि मैदानी को एक इकाई माना जाय या दो इकाई माना जाय। मैं चाहूंगा कि आप इस संकल्प को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बरीष जी आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि पास होने के बाद विचार करेंगे तो यह सदन के सामने उन्होंने आश्वासन दिया है। जो छोटे-छोटे थ्री व्हीलर्स हैं, टैम्पों हैं उन पर विचार कर लें। एक बात कहना चाहता हूं कि अभी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि ट्रांसपोर्टर के ज्ञापन आये और सरकार ने उस पर विचार करने के बाद निर्णय लिया यह बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। लेकिन उससे पहले जब सदन में प्रस्तुत हुआ था, 97 में तब भी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे होंगे। लेकिन यह सरकार बाहर के लोगों के विचार तो मान लेती है लेकिन चुनकर आते हैं उनके विचारों को समाहित करने का काम नहीं कर रही है। तो भविष्य में जिस बात को कहेंगे, मैंने पहले भी संकेत दिया था। पुनः दोहराना चाहता हूं कि यहां सदस्य जो रचनात्मक सुझाव देते हैं नयी परम्पराओं का सृजन करें उनको सम्मिलित करके कार्य करेंगे तो जो गतिरोध पैदा होता है वह समाप्त होगा। मैं इसे वापस लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1999 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 8 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा ।

(2) यह 9 नवम्बर, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की धारा 9 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 9 में, उपधारा (1) में, खण्ड (तीन) और (चार) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(तीन) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन देय अतिरिक्त कर प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा ;

(चार) (क) धारा 6 के अधीन देय अतिरिक्त कर । उस मामले से भिन्न जिस पर उपखण्ड (ख) लाना होता है । चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर की एक–तिहाई दर से प्रत्येक कलेण्डर माह के पन्द्रहवें दिन के या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(ख) मेला और धार्मिक सभाओं जैसे विशेष अवसरों पर यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने या बारात, पर्यटक पार्टी या ऐसी अन्य रिजर्व पार्टी की सवारी के लिये जारी किये गये अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों के सम्बन्ध में धारा–6 के अधीन देय के अतिरिक्त कर का भुगतान ऐसे अस्थायी परमिट के जारी किये जाने के समय किया जायगा ।"

धारा 12 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 12 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "पूर्ण कलेण्डर मास" के स्थान पर शब्द "तीस दिन" रख दिये जायेंगे

(ख) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(8) जहां किसी मोटर यान का यथास्थिति संचालक या स्वामी अपने मोटर यान का उस यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उपयोग करने में असमर्थ है और उस यान के संबंध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन, यदि कोई हो, और परमिट यदि कोई हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ उस यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित कर दिये जाते हैं तो यह अभ्यर्पण दुर्घटना के दिनांक को किया गया समझा जायेगा ।"

4–मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, भाग "घ" में, सारणी में,– प्रथम अनुसूची का संशोधन

(क) अनुच्छेद एक में,

(एक) खण्ड (4) में, स्तम्भ–3 में, उपखण्ड (ख) के सम्मुख दिये गये अंक "250.00" के स्थान पर अंक "201.00" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (5) में, उपखण्ड (ख) में, स्तम्भ 3 में, क्रमशः मद संख्या (एक) और मद संख्या (दो) के सम्मुख दिये गये अंक "250.00" और "25.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "201.00" और "8.00" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) खण्ड (6) में, उपखण्ड (ख) में, स्तम्भ-3 में क्रमशः मद संख्या (एक) और मद संख्या (दो) के सम्मुख दिये गये अंक "450.00" और "30.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "265.00" और "11.50" रख दिये जायेंगे;

(चार) खण्ड (7) में, उपखण्ड (ख) के सामने दिये गये शब्द और अंक "900.00" और पैंतीस से अधिक प्रत्येक स्थान के लिए "35.00 रुपया" के स्थान पर शब्द और अंक "438.00 और पैंतीस से अधिक प्रत्येक स्थान के लिए 17.00 रुपया" रख दिये जायेंगे ।

(ख) अनुच्छेद दो और तीन में शब्द "रजिस्ट्रीकृत लदान भार" के स्थान पर शब्द "सकल यान भार" रख दिये जायेंगे,

5–मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची में,– तृतीय अनुसूची का संशोधन

(क) अनुच्छेद 1 और 2 में शब्द "रजिस्ट्रीकृत लदान भार" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "सकल यान भार" रख दिये जायेंगे,

(ख) स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि कृषि उपज, खनिज पदार्थ और पेट्रोलियम माल का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले माल वाहनों के सम्बन्ध में देय अतिरिक्त कर की दर अनुच्छेद एक और दो के सामने विनिर्दिष्ट दर की आधी होगी ।"

(ग) स्पष्टीकरण (2) में शब्द "उत्तर काशी, टेहरी गढ़वाल" के स्थान पर शब्द "उत्तर काशी, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर, टेहरी गढ़वाल" रख दिये जायेंगे ।

चतुर्थ अनुसूची का संशोधन

6–मूल अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में,–

(1) अनुच्छेद एक में,–

(क) खण्ड (क) में,–

(एक) क्रम संख्या–1 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "155.00" और "173.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "140.00" और "156.00" रख दिये जायेंगे;

(दो) क्रम संख्या–2 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "196.00" और "219.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "176.00" और "197.00" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) क्रम संख्या–3 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "248.00" और "276.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "223.00" और "248.00" रख दिये जायेंगे ;

(चार) क्रम संख्या–4 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "310.00" और "346.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "279.00" और "311.00" रख दिये जायेंगे ;

(पांच) क्रम संख्या–5 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "402.00" और "449.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "362.00" और "404.00" रख दिये जायेंगे ;

(छः) क्रम संख्या–6 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "495.00" और "553.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "446.00" और "498.00" रख दिये जायेंगे ;

(सात) क्रम संख्या–7 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "619.00" और "691.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "557.00" और "622.00" रख दिये जायेंगे ;

(आठ) क्रम संख्या–8 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये शब्द और अंक "619.00 और प्रत्येक 4.500 किमी० या उसके भाग के लिये रुपया 155.00" और "691.00 और प्रत्येक 4.500 किमी० या उसके भाग के लिए रु० 173.00" के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक "557.00 और प्रत्येक 4.500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये रुपया 140.00" और "622.00 और प्रत्येक 4.500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये रुपया 156.00" रख दिये जायेंगे ।

(ख) खण्ड (ख) में,–

अन्त में दिये गये विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की गणना के लिए उतने दिनों की गणना नहीं की जायेगी जितने दिनों तक अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ियां उत्तर प्रदेश के बाहर संचालित की गयी हों ।"

(2) अनुच्छेद दो में,–

(क) खण्ड (क) में,–

(एक) क्रम संख्या–1 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये अंक "155.00" के स्थान पर अंक "140.00" रख दिये जायेंगे ;

(दो) क्रम संख्या–2 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये अंक "197.00" के स्थान पर अंक "177.00" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) क्रम संख्या–3 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये अंक "248.00" के स्थान पर अंक "223.00" रख दिये जायेंगे ;

(चार) क्रम संख्या–4 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये अंक "311.00" के स्थान पर अंक "280.00" रख दिये जायेंगे ;

(पांच) क्रम संख्या–5 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये अंक "404.00" के स्थान पर अंक "364.00" रख दिये जायेंगे ;

(छः) क्रम संख्या–6 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये अंक "497.00" के स्थान पर अंक "447.00" रख दिये जायेंगे ;

(सात) क्रम संख्या–7 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये अंक "621.00" के स्थान पर अंक "559.00" रख दिये जायेंगे ;

(आठ) क्रम संख्या–8 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये शब्द और अंक "621.00 और प्रत्येक 4,500 किमी० या उसके भाग के लिये रुपया 155.00 के स्थान पर शब्द और अंक "559.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये रुपया 140.00" रख दिये जायेंगे ।

(ख) खण्ड (ख) में,–

अन्त में दिये गये विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की गणना के लिए उतने दिनों की गणना नहीं की जायेगी जितने दिनों तक अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ियां उत्तर प्रदेश के बाहर संचालित की गयी हों ।"

(3) अनुच्छेद तीन में,–

(क) खण्ड (क) में,–

(एक) क्रम संख्या-1 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "174.00" और "194.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "157.00" और "175.00" रख दिये जायेंगे ;

(दो) क्रम संख्या–2 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "221.00" और "246.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "199.00" और "221.00" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) क्रम संख्या–3 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "279.00" और "311.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "251.00" और "280.00" रख दिये जायेंगे ;

(चार) क्रम संख्या–4 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "348.00" और "389.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "313.00" और "350.00" रख दिये जायेंगे ;

(पांच) क्रम संख्या–5 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "453.00" और "505.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "408.00" और "455.00" रख दिये जायेंगे ;

(छः) क्रम संख्या–6 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "557.00" और "622.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "501.00" और "560.00" रख दिये जायेंगे ;

(सात) क्रम संख्या–7 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "697.00" और "778.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "627.00" और "700.00" रख दिये जायेंगे ;

(आठ) क्रम संख्या–8 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये शब्द और अंक "697.00 और प्रत्येक 4,500 किमी० या उसके भाग के लिये 174.00 रुपया" और "778.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये 194.00 रुपया" के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक "627.00 और प्रत्येक किलोमीटर 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये 157.00 रुपया और प्रत्येक 700 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये 175.00 रुपया" रख दिये जायेंगे ।

(ख) खण्ड (ख) में,–

अन्त में दिये गये विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की गणना के लिए उतने दिनों की गणना नहीं की जायेगी जितने दिनों तक अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ियां उत्तर प्रदेश के बाहर संचालित की गयी हों ।"

(4) अनुच्छेद चार में,–

(क) खण्ड (क) में,–

(एक) क्रम संख्या–1 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "116.00" और "130.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "104.00" और "117.00" रख दिये जायेंगे ;

(दो) क्रम संख्या–2 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "147.00" और "164.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "132.00" और "148.00" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) क्रम संख्या–3 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "186.00" और "207.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "167.00" और "186.00" रख दिये जायेंगे ;

(चार) क्रम संख्या–4 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "232.00" और "259.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "209.00" और "233.00" रख दिये जायेंगे ;

(पांच) क्रम संख्या–5 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "302.00" और "337.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "272.00" और "303.00" रख दिये जायेंगे ;

(छः) क्रम संख्या–6 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "372.00" और "415.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "335.00" और "374.00" रख दिये जायेंगे ;

(सात) क्रम संख्या–7 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "464.00" और "518.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "418.00" और "466.00" रख दिये जायेंगे ;

(आठ) क्रम संख्या–8 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये शब्द और अंक "464.00" और प्रत्येक 4,500 किमी० या उसके भाग के लिये 116.00 रु०" और "518.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये 130.00 रूपया" के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक "418.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये 104.00" रुपया और 466.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये 117.00 रुपया" रख दिये जायेंगे ।

(ख) खण्ड (ख) में,–

अन्त में दिये गये विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि खण्ड के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की गणना के लिए उतने दिनों की गणना नहीं की जायेंगी जितने दिनों तक अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गांड़ियां उत्तर प्रदेश के बाहर संचालित की गयी हों ।"

(5) अनुच्छेद पांच में, खण्ड (क) में उपखण्ड (एक) और (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे अर्थात्:–

(एक) ड्राइवर को छोड़कर 3 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली मोटर टैक्सी	
(एक-क) ड्राइवर को छोड़कर 3 व्यक्तियों से अनधिक किन्तु 6 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली तिपहिया मोटर टैक्सी	450.00
(एक-ख) उपखण्ड (एक) और (एक-क) में विर्निदष्ट से भिन्न मोटर टैक्सी	675.00
(दो) बड़ी टैक्सी	4500.00

(6) स्पष्टीकरण में,–

(एक) खण्ड (9), में उपखण्ड (क) में शब्द "उतरकाशी और टेहरी गढ़वाल" के स्थान पर शब्द "उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चम्पावत बागेश्वर और टेहरी गढ़वाल" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (10) में शब्द "महोबा और बांदा" के स्थान पर शब्द "महोबा, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर और बांदा" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) खण्ड (11) में शब्द "गाजियाबाद और बुलन्दशहर" के स्थान पर शब्द "गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर और बुलन्दशहर" रख दिये जायेंगे ;

भुगतान किये गये कर या अतिरिक्त कर की अधिक धनराशि का समायोजन

7–किसी यान के सम्बन्ध में, मूल अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये कर या अतिरिक्त कर की धनराशि जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर देय कर या अतिरिक्त कर से अधिक होगी, वह यथास्थिति, अगली तिमाही या माह के लिए उस यान के सम्बन्ध में देय कर या अतिरिक्त कर के प्रति समायोज्य होगी ।

निरसन और अपवाद

8–(1) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1999

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 8 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 24 फरवरी, 1999 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं ।

पहली सूचना श्री राम औतार शाक्य की प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के हजारों प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री पूर्णमासी पंकज की जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) में छः/सात वर्ष पूर्व कराये गये बैनामे में स्टाम्प शुल्क की कमी दिखाकर अधिकारियों द्वारा किसानों/व्यापारियों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री मो० मुकीम की जनपद सिद्धार्थ नगर में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित माननीय सदस्य की आवश्यक परियोजना को स्वीकृत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

अगली सूचना श्री दद्दू प्रसाद की जनपद चित्रकूट की तहसील मऊ में पात्र व्यक्तियों को प्रदत्त पट्टों की अमल दरामद न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा में डी०आर० डी० ए० द्वारा सड़कों/लिंकमार्गों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा जांच आख्या गायब किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री राम विशुन आजाद की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में मस्कनवां में राजकीय कन्या हाई स्कूल को उच्चीकृत किये जाने तथा विद्यालय की बाउन्ड्री को निर्मित कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाईस्कूल व इण्टर के परीक्षा केन्द्रों को 8 से 10 कि०मी० दूरी पर निर्धारित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

नियम 56 में जो सूचना प्राप्त हुई थी और उसे नियम 51 में परिवर्तित किया गया है वह है श्री अकबर हुसैन की जनपद बिजनौर अन्तर्गत स्योहारा गन्ना मिल द्वारा प्रदूषित जल को गांगन नदी में प्रवाहित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, नवीं सूचना डा० कौशल किशोर की जनपद लखीमपुर में सिंचाई विभाग द्वारा देवकली माइनर खोदे जाने के बाद अब तक भू–स्वामी को मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई, दसवीं सूचना श्री बाबू लाल कुशवाहा की जनपद बांदा की तहसील नरेनी अन्तर्गत ग्राम चन्दपुरा में पट्टेदारों को आवंटित भूमि के कब्जे में व्यवधान डाले जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई, ग्यारहवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की प्रदेश में प्राइमरी पाठशालाओं में टाट–पट्टियों की कमी तथा भवनों की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । बारहवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की सीतापुर नगर के हुसैनगंज व टाउनहाल मोहल्ले में जल निगम द्वारा निर्मित नलकूप द्वारा समुचित जल आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई तेरहवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की जनपद बांदा के जसपुरा विकास खण्ड अन्तर्गत बड़ा गांव सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना जिसको नियम 51 में परिवर्तित किया गया है वह हैं । श्री दिलीप कुमार वर्मा की विधान सभा में नियम 51 के अन्तर्गत शासन को दिये गये निर्देशों के बावजूद कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं उनके नाम हैं–श्री लाखी राम जोशी, श्री राजेन्द्र यादव, श्री अजय भट्ट, श्री समर पाल सिंह, श्री राजधारी, श्री हरदेव सिंह, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री बिन्दु लाल, श्री राजपाल सिंह, श्री भगवती प्रसाद सागर व श्री राजाराम पाल, श्री लाल जी वर्मा व श्री मुराद लारी, श्री बी० आर० वर्मा, डा० राम बाबू हरित, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री विजय पाल सिंह, श्री श्याम देव राय चौधरी, आचार्य रामदेव वैश्य ।

लखनऊ विश्वविद्यालय कैम्पस में बिना स्वीकृति के चल रहे कथित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों विशेषतः एम० एस० सी (टेक०), फार्मास्युटिकल्स केमिस्ट्री के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्रों के साथ हुई धोखाधड़ी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम 51 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ।

उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

लखनऊ विश्वविद्यालय रसायन विभाग में एम०एस०सी (टेक०).....

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

यह पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

.....। फार्मास्युटिकल्स केमेस्ट्री पाठ्यक्रम जुलाई, 1994 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था । बी०एस०सी० रसायन शास्त्र के साथ अथवा उनके समकक्ष अर्हता रखने वाले छात्र इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह हैं । इस पाठ्यक्रम में कुल 45 सीटे हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत एम०एस०सी० (टेक०) के फार्मास्युटिकल्स केमेस्ट्री पाठ्य-समिति, बोर्ड विज्ञान संकाय विद्या परिषद् तथा कार्य-परिषद् से अनुमोदित है ।

विश्वविद्यालय द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को इस पाठ्यक्रम की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था । परिषद् द्वारा यह सूचित किया गया कि यह पाठ्यक्रम तकनीकी/इंजीनियरिंग/मेनेजमेंट पाठ्यक्रम की श्रेणी में न होने के कारण परिषद् की मान्यता की परिधि में नहीं आता है । पुनः छात्रों के अनुरोध को देखते हुये वर्ष 1996 में पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु परिषद् से अनुरोध किया गया था । परिषद् द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस पाठ्यक्रम हेतु परिषद् की मान्यता अनिवार्य नहीं है और ऐसे पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से मानक के साथ चलाये जाते हैं किन्तु छात्रों द्वारा इस पाठ्यक्रम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता के लिये दबाव डाला जा रहा है और इसी क्रम में दिनांक 11-2-99 को आमरण अनशन पर बैठ गये । छात्रों के प्रतिनिधि मण्डल से वार्ता के लिये प्राक्टर, अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय तथा कुलपति द्वारा प्रयास किया गया किन्तु छात्रों ने इसे स्वीकार नहीं किया तथा आन्दोलनरत रहे ।

विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रम की विवरण पुस्तिका में इस प्रकार की भ्रामक सूचना कभी नहीं दी गई कि एम०एस०सी० (टेक०) फार्मास्युटिकल पाठ्यक्रम अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है या उसकी परिधि में आता है बल्कि स्पष्ट रूप से विवरण पुस्तिका में उल्लिखित है कि पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की मान्यता की परिधि में नहीं आता है । ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत देहरा–धौलाना–गुलावटी मार्ग क्षतिग्रस्त होने तथा मरम्मत कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, लोक निर्माण राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य ।

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)–

मान्यवर, देहरा धौलाना गुलावटी मार्ग जनपद गाजियाबाद के .....

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे केवल पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

.... । डासना–धौलाना–गुलावठी अन्य जिला मार्ग का एक भाग है । देहरा से गुलावटी तक के भाग की लम्बाई 21.3 कि०मी० है । इस भाग में मार्ग की चौड़ाई 3.70 मीटर है । कि०मी० 6.10 के बाद यह मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है तथा यातायात चालू रखने के लिये न्यूनतम मरम्मत ही की जा सकी है । स्थाई गैंग द्वारा मिट्टी डालकर मार्ग की सतह को समतल रखा जा रहा है । तथा आवश्यक मरम्मत की जा रही है ।

इस मार्ग के ग्रेस्ट की मोटाई 15 से 22 से०मी० है जबकि यातायात घनत्व के अनुसार इसे 33 से०मी० होना चाहिये । वर्ष 1998 की वर्षा से मार्ग के दोनो ओर जल प्लावन के कारण कई स्थानों पर बोगी ऐक्शन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण इस मार्ग का काफी भाग क्षतिग्रस्त हो गया है । पिछले पांच वर्षों में इस मार्ग पर किये गये नवीनीकरण/मरम्मत का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	कि०मी०
1994–95	16, 17
1995–96	8, 9, 10, 11, 18, 24, 25, 28
1996–97	——
1997–98	19, 21, 22, 23, 26, 27
1998–99	——

यह मार्ग इतना अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है कि साधारण मरम्मत से इसमें सुधार सम्भव नहीं हो पा रहा है । अपेक्षित सुधार हेतु इस मार्ग का सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है जिसके लिये लगभग 139.00 लाख रूपये की आवश्यकता होगी । यह सुदृढ़ीकरण प्रदेश के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है ।

जनपद मुरादाबाद में अजुध्या शुगर मिल में कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि आवश्यक सुविधायें न दिये जाने तथा बिना ग्रेच्युटी भुगतान किये श्रमिकों को सेवानिवृत्त किये जाने के संबंध में श्री अकबर हुसैन द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, श्री अकबर हुसैन, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद मुरादाबाद में अजुध्या शुगर मिल में कार्यरत कर्मचारियों को .....

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हुकुम सिंह–

[भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि आवश्यक सुविधायें न दिये जाने तथा बिना ग्रेच्युटी भुगतान किये श्रमिकों को सेवानिवृत्त किये जाने के संबंध में लोकमहत्व के प्रश्न पर ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग की गई है ।

2—इस संबंध में उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मेसर्स अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर जिला मुदाराबाद लगभग 50 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था जिसमें चीनी का उत्पादन होता है । कारखाने की क्षमता 250 टी०सी०डी० है । कारखाने में नियोजित श्रमिकों की संख्या 2000 के लगभग है जो काफी अधिक "सरप्लस पूल" है क्योंकि उक्त क्षमता के निकटवर्ती चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों का नियोजन उक्त मिल मे आधा है ।

3—प्रतिष्ठान में दो श्रमिक यूनियनें–1–अजुध्या शुगर मिल मजदूर यूनियन (असम्बद्ध), 2–अजुध्या शुगर मिल वर्क्स यूनियन (इंटक) कार्यरत है । अधिकांश श्रमिक अजुध्या शुगर मिल मजदूर यूनियन से सम्बद्ध हैं ।

4—उपरोक्त प्रतिष्ठान को बी०आई०एफ०आर० द्वारा रुग्ण इकाई घोषित किया जा चुका है ।

5—कर्मचारियों के भविष्य निधि के संबंध में सूचनीय है कि दिनांक 20 नवम्बर, 1997 को तत्कालीन उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के समक्ष सम्पन्न हुये समझौते के अनुसार सेवायोजक पक्ष समस्त कर्मचारियों के भविष्य निधि में मालिक के अंशदान के बकाया का भुगतान दिसम्बर, 1998 से पूर्व से लागू बी०आई०एफ०आर० स्कीम के तहत कर रहे हैं ।

6—जहां तक एवजी के श्रमिकों को रोजगार देने का सम्बन्ध है दिनांक 01 फरवरी, 1995 को सेवायोजक द्वारा दोनों यूनियनों के मध्य सम्पन्न समझौते के अनुसार श्रमिकों की संख्या 2500 टी०सी०डी० के नई मिलों के स्तर पर आ जाने की स्थिति तक कोई भी मृतक का कोई भी एवजी श्रमिक नियोजित किया जाना सम्भव नहीं है । जिन श्रमिकों का कार्य सन्तोषजनक रहा है उन्हें कार्य के अनुसार पदनाम व तद्नुसार वेतन दिया जा रहा है ।

7—ग्रेच्युटी के संबंध में सूचनीय है कि 32 श्रमिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान के रूप में रु० 10,00,200.90 पैसे का भुगतान किया जा चुका है तथा मिल कर्मचारियों को पूर्व से मिलने वाली सुविधायें जैसे–चारपाई, बाल्टी, फर्नीचर, बोनस, यथासमय वेतन का भुगतान यथावत् दी जा रही है एवं

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सहायता प्रदान की जा रही है । भारत सरकार से वर्ष 1993-94 के बाद नकद व सामग्री के रूप में जो सहायता अब तक वास्तव में प्रदान की गई है उसका विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	नकद	सामग्री (रु० करोड़ में)
1993-94	243.2437	70.1971
1994-95	165.6229	72.2123
1995-96	158.2586	59.5475
1996-97	114.3691	77.2173
1997-98	188.7140	57.9710

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के फलस्वरूप यद्यपि जनसंख्या वृद्धि दर में अपेक्षित कमी नहीं आयी है, परन्तु जन्म दर, मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आयी है । जन्मदर में अपेक्षित कमी न होने व मृत्यु दर में कमी होना भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है । इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें देने के फलस्वरूप लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और जीवन अनुशंसा में वृद्धि हुई है ।

प्रदेश में हो रही जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण इस प्रकार हैं :-

1-कम आयु में विवाह विशेषकर बालिका विवाह ।

2-परिवार में पुत्र की लालसा ।

3-साक्षरता, विशेषकर महिलाओं में साक्षरता में कमी ।

4-महिलाओं का समाज में अपेक्षित सम्मान/स्थान का अभाव ।

5-परिवार कल्याण कार्यक्रम में अपेक्षित सामुदायिक सहभागिता का अभाव ।

देश के कुछ राज्यों जैसे केरल व तमिलनाडु जहां समाज में महिलाओं को समानता का दर्जा दिया गया है, साक्षरता की दर ऊंची है, परिवार में बालक बालिकाओं में भेद नहीं अपनाया जाता है, विवाह की उम्र में वृद्धि हुई है तथा जनप्रतिनिधि, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि मंचों में महिला उत्थान, छोटे परिवार की आवश्यकता, महिला शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि पर विशेष बल देते हैं, के फलस्वरूप कुल प्रजनन दर में गिरावट आने के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगी है तथा राज्य जनसंख्या स्थायित्व के लक्ष्य के समीप पहुंच गया है ।

इससे स्पष्ट है कि केवल नसबन्दी की संख्या बढ़ाकर ही जनसंख्या वृद्धि को रोकना संभव नहीं है । समयान्तर विधियों का प्रयोग आवश्यक है, जिसके लिये ऐसे दम्पत्तियों, जो नव विवाहित हैं अथवा जिनके एक या दो बच्चे हैं, को स्थाई गर्भ-निरोधक अपनाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है ।

यह सत्य है कि 70 के दशक में परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरुषों की 60 से 70% की जो सहभागिता थी वह वर्तमान में घटकर मात्र 1-2 प्रतिशत रह गई है । इसका एक मुख्य कारण महिला नसबन्दी की आधुनिक विधि लेप्रोस्कोपी की लोकप्रियता है । यह विधि काफी आसान, कम समय लेने वाली तथा विश्वसनीय है । इसीलिये इसकी ग्राह्यता समुदाय में तेजी से बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप पुरुष नसबन्दी में काफी गिरावट आई है । यह भी एक सत्य है कि वर्तमान समय में परिवार परिसीमन का ज्यादा दायित्व महिलाओं को ही उठाना पड़ रहा है चाहे वह लूप निवेशन हो या खाने की गोलियां या

नत्थी 'क'

(देखिये अता०प्र०रा०–61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की सूची, जिन्हें फैक्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

क्र०सं०	जनपद का नाम
1	2
1	गाजीपुर
2	मिर्जापुर
3	सोनभद्र
4	वाराणसी
5	भदोही
6	आजमगढ़
7	बलिया
8	जौनपुर
9	मऊ
10	चमोली
11	देहरादून
12	पौड़ी
13	टिहरी
14	उत्तरकाशी
15	इटावा
16	फर्रुखाबाद
17	कानपुर नगर
18	कानपुर देहात
19	बरेली
20	पीलीभीत
21	बदायूं
22	शाहजहांपुर
23	फैजाबाद
24	बहराइच
25	गोण्डा
26	बाराबंकी
27	सुल्तानपुर
28	अम्बेडकर नगर
29	इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 139 विधान सभा (266)–1999 813 (कम्प्यूटर/आफसेट) ।